खण्ड-205, अंक-2
मंगलवार, 6 श्रावण, शक संवत् 1881
(28 जुलाई, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 205 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ जुलाई, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८७

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर श्री, सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी , श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री

नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासो, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान, अधमी श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्दसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)

शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री, श्री महाबीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २८ जुलाई, १९५९

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बेसिक रीडरों की प्राप्ति में कठिनाई

१—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राज्य में पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति में शिक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को वर्तमान शिक्षा सत्र में कठिनाई अनुभव हो रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—जी हां।

**२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के वर्तमान शिक्षा सत्र के लिये बेसिक रीडरों की छपाई का भार किन-किन फर्मों को सौंपा गया था ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५०–१५१ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कठिनाइयां अभिभावकों और शिक्षार्थियों को पाठ्य-पुस्तकों के खरीदने में पड़ रही हैं उसमें एक कारण अत्यन्त महंगाई होना भी है जैसा कि इन पुस्तकों से सिद्ध होता है जिनमें से एक सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक है जिसकी कीमत ३९ नये पैसे हैं और दूसरी गीता प्रेस द्वारा छपी हुई पाठ्य पुस्तक है जिसकी कीमत १९ नये पैसे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि इस महंगाई को दूर करने का वह कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—यथार्थ में महंगाई का कारण यह है कि कागज इस साल मुश्किल से प्रकाशकों को मिल सका। आगे के लिये प्रयत्न किया जा रहा है कि कागज का कोटा सरकार निश्चित कर दे और वह प्रकाशकों को दे सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जो महंगाई कागज की प्रकाशकों को अनुभव हो रही है वह गीता प्रेस को क्यों नहीं अनुभव हो रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—संभव है कि उनको कोटा मिलता हो।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—जो तालिका शिक्षा मंत्री जी ने दी है उसमें गीता प्रेस और दूसरे प्रेसों को क्या सरकार ने इन कीमतों को तय करके यह काम उन्हें सुपुर्द किया था ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह पाठ्य-पुस्तकों की जो दिक्कत हो रही है यह किन-किन कक्षाओं के बालकों के लिये है और कौन-कौन सी पाठ्य-पुस्तकें हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—बेसिक रीडरों के संबंध में यह दिक्कत हो रही है।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार गीता प्रेस से यह जानकारी हासिल करने की कृपा करेगी कि यह मैटीरियल जो इन पुस्तकों में दिया हुआ है वह यदि उनको दिया जाय तो वे उतने ही दामों पर छापने के लिये तैयार होंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—गीता प्रेस के जो भी प्रकाशन होते हैं वे कुछ सस्ते होते हैं और इस कारण साधारण जो प्रकाशक होते हैं वे उन भावों में पुस्तकें नहीं बेंच पाते हैं जिन भावों में गीता प्रेस देती है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—इन कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन को राज्य व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन रहा है। अब रीडरें तो सरकार विभाग से ही लिखवाती है, लेकिन प्रकाशन का काम प्रेसेज को देती हैं। इसमें दो दिक्कतें हैं। एक तो यदि सरकार ने प्रकाशन का काम अपने हाथ में लिया तो सरकार को बहुत बड़ा प्रबन्ध करना होगा। शुरू में बहुत बड़ी पूंजी लगानी होगी क्योंकि हमारा साधारण गवर्नमेंट प्रेस तो सरकारी कामों से ही लदा रहता है और वह हमारी रीडरों को नहीं छाप सकता। दूसरी दिक्कत यह है कि प्रेस का एक व्यवसाय है। बहुत से हमारे यहां प्रेस वाले हैं और सरकारी रीडरें मिलने से थोड़ा बहुत उनका काम चलता रहता है। तो इस तरह से यह प्रश्न अब तक निर्णित नहीं हो सका, लेकिन यह प्रश्न हमारे सामने है अवश्य।

मनकापुर बाजार में गोला विस्फोट दुर्घटना

३—श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनकापुर बाजार, थाना मनकापुर, जिला गोंडा में १४-५-५९ की रात में कोई बम विस्फोट हुआ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति घायल हुए? उपरोक्त घायलों में कितने घटनास्थल पर मरे और कितने बाद में मर गये?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—१४ मई, १९५९ को दिन में १० बजे मनकापुर बाजार में गोला विस्फोट की घटना हुई। इसमें ८ व्यक्ति जख्मी हुए।

उपर्युक्त घायलों में से ३ व्यक्ति उसी दिन मनकापुर अस्पताल में मरे और २ व्यक्तियों की मृत्यु बाद में फैजाबाद अस्पताल में हुई।

४—श्री बलदेवसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त घटना की किस अधिकारी ने जांच की और जांच से क्या नतीजा निकला?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त घटना की जांच एस०ओ०, मनकापुर द्वारा की जा रही है।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस बम विस्फोट में ५ आदमियों की मृत्यु हुई वह मार्केट में हुआ है या आतशबाज के घर या किसी उत्सव में?

श्री रामस्वरूप यादव—यह एक शख्स जिसके पास ऐसा सामान बनाने के लिये लाइसेंस था—वहां पर एक दूसरा शख्स मेवालाल गया था और उसने दियासलाई का एक हिस्सा फेंक दिया—उसी के स्थान पर यह कांड हुआ।

श्री बलदेवसिंह—मैं स्वयं अपनी जानकारी की बिना पर यह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह घटना दिन की नहीं रात की है और उनकी सूचना गलत है?

श्री रामस्वरूप यादव—यह घटना दिन की है।

श्री बलदेवसिंह—जवाब में 'दिन' बतलाया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सूचना गलत है और क्या मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर वे जांच कराने की कोशिश करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त जो सूचना वायरलेस से प्राप्त हुई है वह तो मैंने उत्तर में दे दी। अगर माननीय सदस्य को शंका है तो उसकी पुष्टि कर ली जायगी कि सही है या नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—इस महत्वपूर्ण घटना की जांच में अभी कितना समय लगेगा?

श्री रामस्वरूप यादव—समय का बताना संभव नहीं है, उसकी जांच हो रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब पुलिस द्वारा कुछ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मृतकों की संख्या इतनी अधिक हुई है सरकार इस बात की आवश्यकता पर विचार करेगी कि इसकी जांच एस० ओ० से न करा करके किसी उच्च-अधिकारी से कराई जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अवश्य इस बात को देखूंगा कि एक बड़े अधिकारी से द्वारा इसकी जांच हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत निर्धारित ।]

पिथौरागढ़ बाजार में पेय जल-कष्ट

*१—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि तहसील पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ बाजार के लोगों को जो पानी पीने को मिलता है वह कीटाणु-विशेषज्ञों के निरीक्षण के आधार पर पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के लिये पानी का कोई और प्रबन्ध करने जा रही है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी हां । स्थानीय टाउन एरिया कमेटी एक योजना बनवा रही है, जिसके प्राप्त होने पर यह विचार किया जायेगा कि यह किस हद तक तथा कैसे कार्यान्वित की जा सकती है।

*२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या यह सही है कि पर्वतीय जिलों के लिये पीने के पानी के लिये २० लाख रुपया सरकार की योजना में है ?

श्री जयराम वर्मा—जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कीटाणु विशेषज्ञों की रिपोर्ट सरकार के पास कितने साल पूर्व पहुंची थी ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि सरकार इस बात को मानती है कि पिथौरागढ़ के लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र दूसरे पानी का प्रबन्ध नहीं कर पा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—हर एक जगह पानी के लिये योजना बनानी पड़ती है कि कितना पैसा खर्च होगा, पानी कहां से आयेगा, टैक्स को लोग पे अप कर सकेंगे या नहीं इसके लिये उनकी क्षमता देखी जाती है। दूसरी योजनाओं में इतना पैसा उपलब्ध नहीं है कि जिसमें से ग्रांट के तौर पर दे दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह—जो २० लाख रुपया पर्वतीय जिलों को पीने का पानी देने के लिये रखा गया है क्या सरकार उसमें पिथौरागढ़ को प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार प्राथमिकता सिर्फ उनको देती है जिनकी जरूरत को वह सब से ज्यादा महसूस करती है। जो पिथौरागढ़ के लोगों को तकलीफ है वैसी तकलीफ बहुत सी जगह है और यह देखना पड़ेगा कि किसको प्राथमिकता दी जाय।

शारदा नदी के पचपेड़ी घाट का पैण्टून पुल तथा नावें

*३—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि पचपेड़ी घाट पैन्टून पुल शारदा नदी, जिला खीरी, नदी में अधिक पानी आ जाने के कारण बेकार हो गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी नहीं, केवल २४ दिनों के लिये २२ फरवरी से १७ मार्च, १९५९ तक यह पुल नदी में पानी बढ़ने के कारण बन्द किया गया था किन्तु उस बीच में भी बैलगाड़ियों को पुल पर से पार उतारने का उचित प्रबन्ध कर दिया गया था।

*४--श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त घाट पर कितनी बड़ी तथा छोटी नावें हैं ?

श्री गिरधारीलाल--अभी सरकारी नाव कोई नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर नावें किराये पर ले ली जाती हैं।

*५--श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि बड़ी नाव की दशा अच्छी नहीं है एवं उसमें पानी आया करता है और डूबने का खतरा है ?

श्री गिरधारीलाल--किराये पर ली हुई नावों में से एक बड़ी नाव की दशा अच्छी नहीं थी और उसमें बहुधा पानी आ जाया करता था किन्तु आवश्यक मरम्मत तथा पानी निकालने का बराबर प्रबन्ध रखा गया।

[२८ जुलाई, १९५९ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[माननीय सदस्य का देहावसान हो जाने के कारण प्रश्न हटा दिये गये।]

बस्ती जिले में ग्राम समाज, बिहारे की परती भूमि

*३--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम समाज, बिहारे, तहसील खलीलाबाद (बस्ती) की परती जमीन को बन विभाग ने छोड़ दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--वन विभाग में गांव समाज की कोई जमीन निहित नहीं हुई है, इसलिये उस जमीन को वन विभाग द्वारा छोड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार पुनः जांच करायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अगर माननीय सदस्य मुझे और कोई इत्तला देंगे इसके सिलसिले में तो मैं जरूर जांच कराऊंगा।

आगरा-अलीगढ़ व मथुरा-हाथरस सड़कों पर मरम्मत की आवश्यकता

*४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-अलीगढ़ रोड पर सहेड़ी पर ६ फर्लांग मीतई पर ५ फर्लांग तथा मथुरा-हाथरस रोड पर हतीसा-भगवन्तपुर पर तीन फर्लांग और फरह पर ६ फर्लांग सड़क इस वर्षा में इतनी खराब हो गयी कि उसमें एक-एक गज के गड्ढे हो गये हैं ? अभी तक उन सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य क्यों आरम्भ नहीं हो सका ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)--प्रथम भाग--जी हां, इन सड़कों पर गहरे गड्ढे हो गए थे।

द्वितीय भाग--इन स्थानों पर मिट्टी भराई करके ईंटों की सोलिंग अप्रैल, १९५९ तक कर दी गई थी।

*५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहेड़ी पर लगभग एक मील की लम्बाई में चार या पांच फीट सड़क को ऊंची उठाना जो निश्चित हुआ है उसके लिये समीप के टीले को काट कर परन्तु किसानों की मिट्टी न लेकर उस सड़क को ऊंचा कराने के आदेश प्रदान करेंगे ?

श्री महावीरसिंह--टीला सड़क से लगभग २ फर्लांग खेतों के रास्ते से पड़ता है इसलिये वहां से मिट्टी काट कर सड़क तक लाने में अधिक लागत लगती व कठिनाइयां होतीं। काश्तकारों के सहयोग से २२ फीट का इम्बैंकमेंट बना दिया गया है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछली वर्षा के आरम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व ही मिट्टी डालना शुरू हुआ था जो पहली वर्षा में ही समाप्त हो गई थी ?

श्री महावीरसिंह---ऐसा नहीं है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या मंत्री जी ने इस पर विचार किया है कि लगभग एक मील तक सड़क के दोनों ओर जो गड्ढे बना दिये गये हैं, उनसे किसानों की फसल को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री महावीरसिंह---काश्तकारों के सहयोग से यह गड्ढे बनाये गये थे इसलिये यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या मंत्री जी यह देख कर कि मरम्मत के बावजूद सड़क की हालत खराब है, उसको पुनः ठीक कराने के लिये विचार करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---सड़क की हालत जैसा कि माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, वैसी नहीं है। सिर्फ तारकोलिंग का काम बाकी रह गया है बाकी सब काम पूरा हो गया है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या यह सत्य है कि गड्ढों को पूरा करने के लिये टीले को काट कर काम चलाना पड़ेगा ?

श्री महावीरसिंह---यह तो काश्तकारों के हाथ में है, जैसा चाहें करें।

पीलीभीत जिले से वन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत जिले से सरकार के पास कितनी शिकायतें वहां के वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सन् १९५८-५९ में आई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सूचना आने पर मंत्री जी सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष---सूचना आने पर आपको जवाब मिलेगा ही।

वन विभाग के बाराबंकी सेक्शन को दिया गया ट्रैक्टर

*७---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग बाराबंकी सेक्शन में जो ट्रेक्टर १९५६ में दिया गया है, उस पर कितना सालाना खर्च होता है और उसकी सहायता से कितनी जमीन की जुताई सालाना अब तक की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---बाराबंकी सेक्शन को एक ट्रैक्टर सितम्बर, १९५७ में दिया गया न कि १९५६ में। सितम्बर, १९५७ से मार्च, १९५८ तक और फिर अप्रैल, १९५८ से नवम्बर, १९५८ तक क्रमशः १,६४९ रुपये और २,९६१ रुपये की धनराशि इस पर व्यय हुई। इस समय में इस ट्रैक्टर द्वारा ५० एकड़ भूमि की जुताई की गई और १२,८०० पौधे विभिन्न स्थानों को ले जाये गये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि यह ट्रैक्टर जमीन जोतने के लिये ही लिया गया था फिर डेढ़ साल में ५० एकड़ जमीन ही क्यों जोती गई ?

श्री सैयद अली जहीर---जिस जरूरत के लिये ट्रैक्टर लिया गया था उसमें भी काम आया और दूसरे कामों में भी इससे काम लिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पौधे ढोने के लिये ठेले का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह तेज चलता है, फिर इस काम के लिये इसका उपयोग क्यों किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर--हर वक्त तो जमीन जोती नहीं जाती है। दूसरे वक्त में इससे काम लिया गया।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--मंत्री जी ने जो खर्चा बताया है क्या उसमें रिपेयर का खर्चा भी शामिल है ?

श्री सैयद अली जहीर--रिपेयर के लिये इसमें अलग से खर्चा नहीं लिखा हुआ है। यह जो खर्चा हुआ है वह तेल और पेट्रोल वगैरा पर हुआ है।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ५० एकड़ जमीन कितने वर्षों में जोती गई ?

श्री सैयद अली जहीर--सितम्बर, १९५७ में यह आया था, उसी वक्त से लेकर नवम्बर, ५८ तक यह जमीन जोती गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ५० एकड़ जोतने में कितना समय लगा यह बता दें ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तफसील मेरे पास नहीं है कि ५० एकड़ जोतने में कितना वक्त लगा।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जमीन जोतने के अलावा ट्रैक्टर से और कौन-कौन से काम लिये गये ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो जवाब में लिख दिया गया है कि पौधे ले जाने के काम में आया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ६ हजार पौधे जो ढोये गये वह कहां से कहां ले जाये गये ?

श्री सैयद अली जहीर--गोपालपुर, शाहपुर, दाऊदपुर, गेरी, बसेरा वगैरह में, बाराबंकी जिले में जगह-जगह पर ले जाये गये।

देवरिया जिले की पंचायती अदालतों से सम्बन्धित कर्ज के मुकदमे

*८--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के अदालती पंचायतों द्वारा ५०० रुपये तक के कर्ज के कितने मुकदमे सन् १९५७-५८ में निर्णीत हुये हैं तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री जयराम वर्मा--इस प्रकार के १,२०५ मुकदमों में १९५७-५८ में निर्णय हुआ तथा ३२ मुकदमे अब भी विचाराधीन हैं।

*९--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया की अदालती पंचायतों में कर्ज के सम्बन्ध में सन् १९५७-५८ में कितने मुकदमे ऐसे दाखिल किये गये हैं जिसमें कर्ज की रकम के लिये लिखित प्रमाण (प्रोनोट, दस्तावेज), आदि नहीं दिये गये हैं और कितने मुकदमों में लिखित प्रमाण दिये गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा--८३३ ऐसे मुकदमे दाखिल किये गये हैं जिनमें कर्जे की रकम के लिये लिखित प्रमाण (प्रोनोट, दस्तावेज आदि) नहीं दिये गये तथा ६०० मुकदमों में लिखित प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के ६०० मुकदमे जिनमें कोई सबूत नहीं है और पंचायती अदालतों में ५०० रुपये तक के दाखिल हैं तो इसको देखते हुए ऐसा विचार करेगी कि बिना सबूत के कोई मुकदमा न दाखिल किया जाय ?

श्री जयराम वर्मा--यह जरूरी नहीं है कि हर मुकदमे में लोगों के पास दस्तावेज और प्रोनोट हों। बगैर दस्तावेज और प्रोनोट के भी लोग कर्जा देते हैं और ऐसे मुकदमें चलते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार के पास यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि पंचायती अदालतों को जो ५०० रुपये का अधिकार दिया गया है इसके साथ-साथ कांकरेंट अधिकार स्माल काजेज कोर्ट्स या अन्य अदालतों को भी दिये जाने के लिए सोच रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं।

सहारनपुर जिले के पंचायत घर

*१०--**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला सहारनपुर में कुल कितने पंचायत घर बन चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हैं ?

श्री जयराम वर्मा--जिला सहारनपुर में १४२ पंचायत घर बन चुके हैं और ७३ अधूरे पड़े हैं।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में १४२ पंचायत घरों में से ७३ क्यों अधूरे पड़े हैं ?

श्री जयराम वर्मा--इसमें कुछ धनाभाव कारण रहा है, कुछ आपस की दलबन्दी और कहीं पर सामान नहीं मिल पाया।

श्रीमती शकुन्तलादेवी--क्या सरकार यह बतायेगी कि यह अधूरे पड़े पंचायत घर कितने समय में पूरे हो जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--यह कोशिश की जा रही है कि पंचायत घर जल्दी बन जायं, लेकिन यह निश्चित रूप से कि वह कितने दिन में बन जायेंगे यह बताना सम्भव नहीं है।

राज्य के राष्ट्रीय तथा प्रदेशीय मार्ग

*११--**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल हाईवेज की गणना में उत्तर प्रदेश में कौन-कौन-सी सड़कें हैं और इस प्रदेश के अन्तर्गत कहां से कहां तक उनकी कितनी-कितनी लम्बाई है और प्रदेशीय सड़कें जो निर्माण विभाग के अधीन हैं वे कहां से कहां तक फैली हैं और उनकी पृथक-पृथक लम्बाई कितनी है ?

श्री महावीरसिंह--उत्तर सदस्य महोदय की मेज पर रखी गई† सूची में दिया हुआ है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय मार्ग और प्रदेशीय मार्ग के जो आंकड़े सूची में दिये हुए हैं, उसमें प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो सड़कें बनी हैं वह भी इन आंकड़ों में शामिल हैं ?

श्री महावीरसिंह--जो बन रही हैं उनको छोड़ कर बाकी सब शामिल हैं।

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री देवनारायण भारतीय--प्रदेशीय मार्ग के संख्या २३ पर जलालाबाद-शाहजहांपुर सड़क का फासला १८ मील ४ फर्लांग दिया गया है। उसी के नीचे फिर १७ मील ५ फर्लांग दिया है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह एक ही सड़क के दो बार आंकड़े क्यों दिये गए हैं?

श्री महावीरसिंह--इसको देखना पड़ेगा। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं यह जानना चाहता हूं कि शाहजहांपुर और जलालाबाद के बीच में केवल एक ही सड़क है तो उस सड़क को दो बार क्यों लिखा गया और उसके आंकड़े दो बार क्यों लिखे गए?

श्री अध्यक्ष--आप जानते हैं कि लम्बाई क्या है?

श्री देवनारायण भारतीय--एक मार्ग की १८ मील है और एक मार्ग की १७ मील है...

श्री अध्यक्ष--तो वह दोनों १८ मील या १७ मील इस प्रकार दिया है उसको 'or समझ लीजिए।

श्री देवनारायण भारतीय--लेकिन उससे कुल मीजान गलत हो जाता है।

श्री गिरधारीलाल--यह जो प्रश्न किया गया है इसके सिलसिले में मुझे खुद भी शंका हो रही है इसलिये इसकी मैं बाद में सफाई कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने खुद सफाई कर दी कि 'or' लिखना भूल गए हैं। अब बार-बार उसमें समय खर्च करने की कोई बात नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार जो आंकड़े उन्होंने प्रदेशीय मार्गों के दिये हैं उन्हें दोहराने की कृपा करेगी और उसमें जो भूलें हुई हैं उनको सही करके बतलाने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष--यह तो एक गोल सवाल है। वह तो एक गलती आपने बतलायी उसे उन्होंने मान लिया।

सिविल लाइन, इलाहाबाद की लीज की भूमि

*१२--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो सिविल लाइन में बंगले बने हैं उनकी जमीन पर जो लीज है उनकी लीज पूर्ण होने पर लीज नहीं बदली जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा--जी हां, क्योंकि लीज की शर्तों के अनुसार लीज की अवधि अर्थात १०० साल पूर्ण होने के पश्चात् यह अन्तिम रूप से समाप्त समझी जाती है।

*१३--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बंगलों की लीज बदलने के लिये इलाहाबाद में कोई सरकारी कमेटी जून, सन् १९५८ में बनी थी? यदि हां, तो उस कमेटी ने अपने कौन-कौन से सुझाव तय किये और उसके अनुसार कौन-कौन सी कार्यवाही सरकार ने की?

श्री जयराम वर्मा--जी हां। यह कमेटी केवल परामर्शदात्री तथा शासकीय थी और इसकी सिफारिशों को बतलाना जनहित में न होगा।

*१४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के लीज होल्डर ऐसोसियेशन ने उक्त कमेटी के समक्ष कोई सुझाव पेश किये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री जयराम वर्मा––प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले––क्या माननीय मंत्री जी उन लीज़ होल्डरों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिनकी लीज़ १०० वर्ष बीत जाने पर पुनः रिन्यू कर दी गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––श्रीमन्, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले––क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने लीज़ होल्डरों की ज़मीन की लीज़ समाप्त होने वाली है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––यह मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनों की लीज़ समाप्त होने वाली है कोई एक साल में और कोई दो साल में । तो इस तरह की १००, २०० लीज़ होंगी । इस समय ठीक-ठीक बताने के लिये पूरी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल––क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पर परामर्शदात्री समिति ने जो सुझाव दिये उनमें से कुछ सुझाव सरकार ने स्वीकार किये हैं और अगर किये हैं तो वे कौन-कौन से हैं और यदि वे अधिक हैं तो प्रमुख कौन-कौन हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––श्रीमन्, यह अभी मैंने बतलाया कि यह बताना जनहित में नहीं है लेकिन इतना कह सकता हूं कि परामर्शदात्री समिति की राय भी कतई बेकार नहीं गई है ।

श्री गेंदासिंह––जो लीज़ १०० वर्ष से ज्यादा की हो गई हैं और उनको फिर से रिन्यू कर दिया गया तो क्या यह परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट आने के बाद किया गया या पहले किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––मुझे मालूम नहीं है कि पहले किया गया या बाद को किया गया, लेकिन कानूनी पोजीशन यह है कि लीज़ १०० साल के बाद खत्म हो जाती हैं उनको रिन्यू नहीं किया जाता बल्कि नई लीज़ दी जाती है । वह शायद एकाध मौकों पर किया गया हो, लेकिन यह प्रश्न रोका हुआ है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लीज़ होल्डरों की अवधि समाप्त हो गई है उन लीज़ होल्डरों की लीज़ बढ़ाने के लिये कोई आज्ञा सरकार ने दी है ?

श्री जयराम वर्मा––लीज़ फिर से बढ़ाई नहीं जा सकती । वह तो समाप्त हो गई, लेकिन वे लीज़ लेना चाहते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाती है और दी गई है ।

चांद पट्टी पुल निर्माण में अपव्यय की जांच

*१५––**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)––क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभा सचिव स्वशासन विभाग के पास चांद पट्टी, जिला आजमगढ़ में अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा बनाये जाने वाले पुल में ८,७०९ रुपये इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को बेकार दिये जाने के विरोध में २५-७-५८ का भेजा हुआ मेरा पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा और कब कराई गई ?

श्री जयराम वर्मा––सदस्य महोदय का उक्त पत्र प्राप्त हुआ जिसपर अतिरिक्त जिलाधीश, नियोजन ने अगस्त, १९५८ के अन्तिम सप्ताह में जांच की । जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या स्वशासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जांचकर्ता की रिपोर्ट सरकार के पास कब आई ?

श्री जयराम वर्मा––इसको उत्तर में बता दिया गया कि करीब अगस्त, १९५८ में एडीशनल डिप्टी कमिश्नर ने इसकी जांच की थी और तभी इसकी रिपोर्ट आई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या स्वशासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच हुई है वह कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––इसके बारे में कुछ चीजों पर हमने फिर से खबर मांगी थी जो सरकार के सामने अभी तक नहीं आई है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो नुकसान हुआ है वह वास्तव में काम की खराबी की वजह से हुआ है या स्थान के बदल देने से हुआ है। इस बात पर निर्णय लेने के लिये कुछ जानकारी हासिल की गई है वह मिलने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या यह सही है कि जो पत्र लिखा गया था उसमें यह लिखा गया था कि पुल जो पहले बनाया गया था खराब हो गया इसलिये दूसरा बनाया गया और उसकी जांच अतिरिक्त जिलाधीश ने की है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा––श्रीमन, सरकार के पास जो जानकारी है वह यह है कि यह पुल कुछ चन्दे से, कुछ जिला परिषद् के अनुदान से बनने वाला था, पूरा रुपया इकट्ठा नहीं हो सका। इसलिये फिर नियोजन समिति ने कहा कि हम इसको फ्लड कंट्रोल फंड से बनवा देंगे और जब उन्होंने बनवाना शुरू किया तो उन्होंने इसका स्थान बदल दिया। यह जगह छोड़ दी गई और इसमें जो रुपया लगा था उसका थोड़ा-सा नुकसान हुआ। इसमें यह भी शिकायत है कि कुछ कुएं टेढ़े हो गये है वहां से मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है कि कुयें सीधे हो सकते हैं। अक्सर गलाते वक्त कुयें टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन अगर उस जगह बनाना होता तो उन कुओं को सीधा कर लिया जाता और यह नुकसान नहीं होता, लेकिन चूंकि जगह छोड़ दी गई है इसलिये नुकसान तो हुआ ही।

पिहानी-गोपामऊ सड़क पर गढ़ा बन जाना

*१६––**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला हरदोई में पिहानी–गोपामऊ वाली कच्ची सड़क पर ग्राम टंडौर के पास बीच सड़क पर एक तालाब बन गया है और उस सड़क पर बैलगाड़ियों का यातायात ठप हो गया है ?

श्री जयराम वर्मा––पिहानी–गोपामऊ सड़क पर ग्राम टंडौर के निकट ८० फीट लम्बाई का एक गढ़ा-सा बन गया है जिसमें नहर का पानी गूल कलवर्ट न होने के कारण जमा हो जाता है इस स्थान पर बैलगाड़ियों का रास्ता घूम कर गांव से निकाला गया है।

*१७––**श्री बुलाकीराम**––यदि हां, तो सरकार उसको ठीक कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा––यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद्, हरदोई की है तथा परिषद् उक्त स्थान पर गूल कलवर्ट बनाने तथा अन्य प्रकार से सड़क को ठीक कराने की व्यवस्था कर रही है।

श्री बुलाकीराम––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सड़क पर गूलें ठीक कराने तथा अन्य प्रकार से सड़क ठीक कराने की व्यवस्था कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री जयराम वर्मा––जिला परिषद् यह काम कर रही है और वह यह काम कितने दिन में पूरा कर लेगी, कहना संभव नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो गड्ढा दिखाई पड़ा उसकी सूचना सरकार को कब मिल पायी है ?

श्री जयराम वर्मा—इसकी सूचना प्रश्न करने पर ही हुई। पहले कोई सूचना नहीं थी।

औसेर ग्राम की भूमि का वन विभाग में निहित होना

*१८—**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औसेर मौजा, जिला फर्रुखाबाद में वन विभाग के अन्तर्गत कितनी जमीन ली जा रही है ? उसमें किसानों की मौरूसी जमीन कितनी शामिल है ?

श्री रामस्वरूप यादव—गांव औसेर, जिला फर्रुखाबाद में १·०२० एकड़ भूमि वन विभाग में निहित हुई है, इसमें पट्टों की ६·६७ एकड़ मौरूसी भूमि शामिल है।

श्री होरीलाल यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पट्टेदारों की भूमि शामिल है उसमें पट्टेदार पूर्ववत खेती करते रहेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जब वह जमीन जंगल में शामिल हो जायगी तो कैसे खेती करते रहेंगे।

श्री होरीलाल यादव—जिन पट्टेदारों की जमीन ली जायगी उनके लिए सरकार कोई मुआवजा देने या बदले में दूसरी जमीन देने की कोशिश करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—मुआवजा देने का सवाल नहीं है। सेटिलमेंन्ट हो रहा है और सेटिलमेंट आफिसर के सामने यह सवाल है कि इन लोगों ने अपनी जो उज्रदारी होगी, की होगी। उसमें अगर जमीन मौरूसी है तो छोड़ दी जायगी और जंगल होगी तो ले ली जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो जमीन वन विभाग को दी जा रही है उसमें वन लगाया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—जैसा मैंने कहा था, फैसला हो जाने के बाद वह जमीन अगर वन में शामिल होगी तो वन तो लगेगा ही।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें भूमिधरों की कितनी आराजी ले ली गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इसमें तो मौरूसी भूमि शामिल है। पता नहीं कि कितनी भूमिधरी है और कितनी नहीं।

औसेर ग्राम में किसान सम्मेलन का प्रस्ताव

*१९—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २० दिसम्बर, १९५८ को ग्राम औसेर, जिला फर्रुखाबाद में होने वाले किसान सम्मेलन में पाडो नदी पर पुल तथा तिर्वा-रसूलाबाद सड़क के निर्माण हेतु पास हुये प्रस्ताव मिले हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री महावीरसिंह—प्रथम भाग—जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

मैनपुरी जिले के पंचायत घर

*२०—**श्री नत्थूसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कितने पंचायतघर बन चुके हैं, कितने अधूरे पड़े हैं और कितने ऐसे हैं जिनमें केवल नींव पड़कर रह गई है ?

श्री जयराम वर्मा—मैनपुरी जिले में १२४ पंचायत घर बन चुके हैं, ११२ अधूरे पड़े हैं तथा २० ऐसे हैं जिनकी नींव पड़कर रह गई है।

श्री नत्थूसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो पंचायतघर अधूरे पड़े हुए हैं उनको कितना समय हो गया है ?

श्री जयराम वर्मा---यह विभिन्न सालों में बनना शुरू हुये थे और अधूरे पड़े हुए हैं । किसी एक के बारे में अगर पूछा जाय तो बतलाया जा सकता है ।

श्री नत्थूसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो पंचायतघर अधूरे पड़े हुए हैं उनको क्या सरकार बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जयराम वर्मा---यह पंचायतघर बन सकें इस के लिये इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जो टैक्स बाकी है वह वसूल हो जाय ताकि पंचायतघरों के बनवाने में आसानी हो सके ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पंचायतघरों में कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी बुनियादें मंत्रियों और उपमंत्रियों ने रखी थीं ?

श्री अध्यक्ष---बहुत ब्योरे का सवाल है । आपको मान लेना चाहिए कि ऐसा है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी को इसकी भी सूचना है कि ये जो १२ पंचायत घर अभी अधूरे पड़े हुए हैं वह इसलिये पड़े हुए हैं कि उन्हें लोहा छत बनाने के लिए नहीं मिल सका ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह एक कारण हो सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश गया है कि पुराने टैक्सों की वसूली माफ कर देनी चाहिये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ऐसे कोई आदेश नहीं गये हैं । ऐसे आदेश गये हैं कि अगर पंचायतें माफ करना चाहें तो कर सकती हैं ।

चन्द्रप्रभा व जयश्री शेरों के रख-रखाव पर व्यय

*२१---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकिया-नौगढ़ के जंगल में शेर जयश्री व रानी को रखने के लिये जो घेरा बनाया गया है उसमें कितनी जमीन किसानों की एक्वायर की गई है और किन-किन गांवों की ओर घेरा बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---चकिया-नौगढ़ के जंगल में शेर जयश्री व रानी को रखने के लिये जो घेरा बनाया गया है उसके लिये कोई जमीन किसानों की एक्वायर नहीं की गई । परन्तु इस घेरे के अन्दर बुड़न, घुसुरिया व बलियारी गांवों की लगभग १३२ बीघा जमीन पड़ती थी वह जमीन उनसे ले ली गई । घेरे को बनाने में कुल १,३५,१०९ रुपये की धनराशि व्यय हुई ।

*२२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की जमीन घेरा बनाने के लिये ली गई है वह किस सन् में ली गई थी और क्या उन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना रुपया दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उपर्युक्त ग्रामों के किसानों की जमीन घेरा बनाने के लिये १९५६ में ली गई थी । उनको धन के रूप में कोई मुआवजा नहीं दिया गया बल्कि उनकी जमीन के बदले में उतना ही रकबा जमीन भैंसोड़ा कम्पार्टमेंट ११ (सी) में दिये जाने का निश्चय किया गया है । कुछ किसान नई दी गई भूमि पर अब तक बस चुके हैं और शेष को बसाने की चेष्टा की जा रही है ।

*२३---**श्री ऊदल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जयश्री व रानी बाहर जंगलों में घूम रहे हैं और लोगों के जानवरों तथा मनुष्यों को खा रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या-क्या इन्तजाम रोकथाम के लिये किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---राजा जयश्री व रानी चन्द्रप्रभा जन्तु-विहार के बाहर व भीतर भी घूमते हैं । उन्होंने अभी तक किसी मनुष्य को नहीं मारा है । लेकिन गांव वालों के जानवर जो जंगल में घुस जाते हैं उन पर वे कभी-कभी हमला कर देते हैं । ऐसा प्रायः सभी मांसाहारी जानवर जैसे बाघ, चीता आदि जंगल में किया करते हैं । इसकी रोक-थाम के लिये विशेष प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों से जो जमीन ली गयी वह समझौता करके ली गयी या जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर---समझौते का तो पता नहीं है, लेकिन जो जमीन घिर गयी उसके बदले में उनको वैसी ही जमीन दे दी गयी ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजा जयश्री और रानी चन्द्रप्रभा के लिए जो १ लाख से अधिक रुपये का खर्च करके घेरा बनाया गया वह उससे बाहर निकल सकते हैं और पशुओं का शिकार कर सकते हैं ? तो सरकार इसके लिए भी कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा कि कहा गया कि बाहर निकल करके भी शिकार करते हैं, ऐसा नहीं है । जो जानवर जंगलों में चरने के लिए चले जाते हैं उनका शिकार जरूर करते हैं ।

श्री ऊदल---जैसा कि मान्यवर, प्रश्न संख्या २३ के उत्तर में लिखा हुआ है कि जयश्री और रानी चन्द्रप्रभा जन्तु-विहार के भीतर और बाहर भी घूमते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जब बाहर भी घूमते हैं तो १,३५,००० रुपया लगाकर घेरा बनवाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री सैयद अली जहीर---पहले जब तार लगाया गया तो यह ख़याल था कि इसी के अन्दर रहेंगे, लेकिन चूंकि बाहर भी जंगल है, वहां भी चले जाते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि चाहे बाहर हो या भीतर, दोनों जगह वह पशु-संहार कर रहे हैं तो उसको बचाने के लिए सरकार उनके लिए सस्ते गोश्त की दूकान खोलने पर विचार कर रही है ?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि प्रदेश के राजस्व पर जो १,३०,००० रुपये का भार है राजा और रानी के आराम का, तो उनको अन्यत्र हटाने की कृपा करेंगे ताकि किसानों की जमीन बच जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं नहीं समझा कि कोई खर्चा बराबर बढ़ रहा हो, वह तो एक दफे हुआ और खत्म हो गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह राजा जो अनियन्त्रित ढंग से घूम रहा है उसका कारण यही है कि उसके पास कोई मन्त्री नहीं है और उसको कोई मंत्री देने की कृपा की जायगी ?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया ।)

फर्रुखाबाद जिले की न्याय पंचायतों में सदस्यों के रिक्त स्थान

*२४---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में अदालत पंचायतों में कितने स्थान अदालती सदस्यों के रिक्त हैं और उनका चुनाव कब तक हो जावेगा ?

श्री जयराम वर्मा---फर्रुखाबाद जिले में अदालत पंचायतों (न्याय पंचायतों) के सदस्यों (पंचों) के ६३ स्थान रिक्त हैं । इनके नामांकन की कार्यवाही सम्भवतः ३१ जुलाई, १९५९ तक समाप्त हो जावेगी ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें ऐसे कितने स्थान हैं जो दो वर्ष से या उससे अधिक समय से खाली पड़े हुये हैं ?

श्री जयराम वर्मा---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो स्थान रिक्त पड़े हैं वह ३१ जुलाई तक पूर्ण रूप से भर जायंगे ?

श्री जयराम वर्मा---ऐसे आदेश दे दिये गये हैं कि ३१ जुलाई तक जरूर भर जांय ।

सहारनपुर-बागपत मोटर सड़क में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*२५---श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर-बागपत मोटर रोड कब बननी शुरू हुई थी और ग्राम जलालाबाद, जिला मुजफ्फरनगर के काश्तकारों की कितनी जमीन इस सड़क में ली गयी और उस जमीन का मुआवजा उन काश्तकारों को दिया गया या नहीं ?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग---सड़क पर कार्य १९४७-४८ में आरम्भ किया गया था, जो १९५० में आर्थिक संकट के कारण स्थगित हो गया था । १९५४ में कार्य पुनः आरम्भ किया गया था ।

द्वितीय भाग---२२० ३५ एकड़ भूमि स्थायी तौर पर ।

तृतीय भाग---अभी नहीं ।

*२६---श्री गयूर अली खां---क्या सरकार को ज्ञात है कि जलालाबाद, जिला मुजफ्फरनगर के जिन काश्तकारों की जमीन सहारनपुर-बागपत मोटर रोड में सरकार ने ली थी उसका लगान काश्तकार अब भी अदा कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---क्योंकि जलालाबाद ग्राम में चकबन्दी हो रही है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १२ साल से आज तक मुआविजा नहीं दिया गया उसका क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---वहां चकबन्दी हो रही है ।

श्री गयूर अली खां---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ११-१२ साल से जो अबतक मुआविजा नहीं दिया गया वह कितने दिनों में दिया जायगा ?

श्री महावीरसिंह---चकबन्दी जब तक होती है तब तक एवार्ड घोषित नहीं किये जा सकते और जब तक एवार्ड घोषित नहीं किये जा सकते तब तक मुआविजा देने का प्रश्न नहीं उठता । शीघ्र ही, यह अन्दाजा है कि चकबन्दी वहां खत्म हो जायगी और तब मुआविजा दिया जा सकेगा ।

श्री गयूर अली खां---क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम जलालाबाद में चकबन्दी का कार्य खत्म हो चुका है ?

श्री महावीरसिंह---इत्तला नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि १२ साल से वहां पर चकबन्दी हो रही है ?

श्री महावीरसिंह---इस सड़क का इतिहास है, अगर इजाजत दें तो अर्ज कर दूं । यह कार्य सन् १९४७-४८ में आरम्भ किया गया था और भूमि की विज्ञप्ति १९४९ में की गई थी । सरकार ने कब्जा १९-३-१९४९ को लिया था और उसके बाद इस कार्य को स्थगित कर दिया क्योंकि कुछ सर्वेक्षण वगैरह में और दूसरी चीजों में एतराज थे, धन का भी अभाव था । इसके बाद यह कार्य १९५४ में आरम्भ किया गया । इसलिये यह कहना कि यह कार्य बराबर इतने दिनों तक चलता रहा, गलत हो जाता है ।

श्री गौरीशंकरराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९ में जब कब्जा लिया गया उस समय मुआवजा न देने की क्या बात थी ? क्या उस समय भी यह चकबन्दी हो रही थी ?

श्री महावीरसिंह---मैंने अर्ज किया कि मुआविजा तो जमा हो गया और कहीं-कहीं किसी गांव में बांट भी दिया गया, लेकिन इस गांव वालों ने एतराज किया मुआविजा लेने में और सर्वेक्षण एलाइनमेन्ट में भी एतराज किया था और इसी लिये मुआविजा लेने से भी इनकार कर दिया ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जमीन पर कब्जा लेने के बाद भी उन गांवों से लगान की वसूली बराबर होती आई है ?

श्री महावीरसिंह---जवाब में यह आ गया है ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या लगान की वसूली भी चकबन्दी के कारण होती रही ? इसका क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---जी हां ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि सड़क का काम बन्द हो जाने पर भी यह जमीन सरकार के पास रही, किसानों के पास नहीं रही ?

श्री महावीरसिंह---वह तो जब ले ली गई तब सरकार के पास आ गई ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या इस बात को देखते हुये कि जमीन सरकार के पास रही और किसानों से लगान वसूल किया गया, सरकार जमीन उनको वापस करने पर विचार करेगी या नहीं, या वह भी चकबन्दी के कारण रुकी रहेगी ?

श्री महावीरसिंह---ये प्रश्न चकबन्दी खत्म होने पर आवेंगे ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि किसानों से जमीन सड़क के लिये ली गई और जिन खेतों पर किसान खेती कर रहे हैं वहां भी चकबन्दी हो रही है, तो इस प्रकार चकबन्दी की वजह से लगान माफ नहीं किया गया ?

श्री महावीरसिंह---जब चकबन्दी होती है तो यह नहीं मालूम होता कि कौन प्लाट किसको दिया जायगा, इसलिये किसी प्लाट के लिये किसी दूसरे को मुआवजा नहीं दे सकते और जब तक चकबन्दी खत्म नहीं होती तब तक उसका वितरण नहीं हो सकता ।

फतेहपुर जिले में पुरानी मुगल सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*२७---श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह ज्ञात है कि प्रान्त में पुरानी मुगल रोड पक्की हो गई है और सिर्फ फतेहपुर जिले के आधे (पूर्वीय) भाग में अब भी कच्ची है ?

श्री महावीरसिंह---जी हां ।

*२८---श्री वासुदेव दीक्षित---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले का वह भाग जो कच्चा है उसको पक्का कराने की किसी योजना पर वह विचार कर रही है । यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरसिंह---प्रथम भाग–इस सड़क को पक्का करने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है ।

द्वितीय भाग---धन की कमी के कारण ।

श्री बासुदेव दीक्षित---क्या मंत्री जी इस सड़क को तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखने के सुझाव पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह---जरूर विचार होगा ।

आग बुझाने वाले दल रखने वाली नगरपालिकाएं

*२९---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में आग बुझाने वाले दलों की व्यवस्था है और उक्त दलों में कौन कर्मचारी तथा अधिकारी होते हैं ?

श्री जयराम वर्मा---कवाल नगरपालिकाओं को छोड़कर देहरादून, सहारनपुर, हरद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, अल्मोड़ा, और नैनीताल, कुल इन १९ बोर्डों में ऐसे दलों की व्यवस्था है । इनमें से विभिन्न बोर्डों में विभिन्न अधिकारी तथा कर्मचारी हैं । सामान्यतया फायर आफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन तथा ड्राइवर होते हैं । कवाल बोर्डों में इसकी व्यवस्था पुलिस विभाग करता है ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन नगरपालिकाओं में आग बुझाने वाले दलों की व्यवस्था नहीं है उनमें व्यवस्था कर दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा---जब उनके पास साधन हो जावेंगे तो कर दिया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव---जो नगरपालिकायें इस प्रकार के दल रखती हैं क्या सरकार उन्हें कोई सहायता देती है ?

श्री जयराम वर्मा---कोई सहायता नहीं दी जाती ।

श्री प्रताप सिंह---अल्मोड़ा के आग बुझाने वाले दल के लिये जो इनइफैक्टिव है क्या सरकार उसे इफैक्टिव बनाने के आदेश जारी करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हमारे पास यही खबर नहीं है कि इनइफैक्टिव है ।

चांदपुर नगरपालिका के मेहतरों की हड़ताल

*३०—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड चांदपुर, जिला बिजनौर के कर्मचारी मेहतर लगभग ३ माह से हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगों के विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री जयराम वर्मा—शासन को ऐसी सूचना मिली है कि नगरपालिका के मेहतर कर्मचारी ३ माह से हड़ताल कर रहे थे तथा नगरपालिका द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी उन्होंने हड़ताल समाप्त नहीं की थी । हड़ताल की वर्तमान स्थिति क्या है इसकी सूचना जिलाधीश से मांगी गई है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या चांदपुर नगरपालिका के मेहतर कर्मचारियों ने सन् ४७ के जो० ओ० की पे कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सुविधायें न मिलने पर लिखित शिकायत सरकार को की थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह शायद हमारे यहां आई है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—इस हड़ताल की सही सूचना जिलाधीश बिजनौर से कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस विषय में मैं थोड़ी-सी सूचना दे दूं । हमारे प्रतिनिधि वाल्मीकि जी उनसे खुद मिलने के लिये गये थे और उनको खत लिखा तो अन्तिम सूचना उन्हीं से मिल सकेगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—इन हड़ताली मजदूरों की मांगें क्या थीं ?

श्री जयराम वर्मा—वेतन-क्रम में वृद्धियां मिलें, वेतन-क्रम बढ़े और जो इन्क्रीमेंट देय हो गये हैं वे दिये जावें, तथा बोर्ड के अन्य कर्मचारी उन्हें परेशान न करें ।

श्री रामायणराय—इनमें किन मांगों को मानने में सरकार को कठिनाई हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा—नगरपालिका ने आश्वासन दिया मगर मेहतर उसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—सन् ४७ के जी० ओ० के अनुसार उनसे जुर्माने में वसूल रकम से उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

महमूदाबाद-कुर्सी-लखनऊ सड़क को निर्माण विभाग में लेने की प्रार्थना

*३१—श्री बलवान सिंह (अनुपस्थित) (जिला कानपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि महमूदाबाद-कुर्सी-लखनऊ रोड को निर्माण विभाग से हटाकर जिला बोर्ड, लखनऊ को किन कारणों से दिया गया और कब ?

श्री गिरधारीलाल—उस समय सरकार के निश्चय के अनुसार कि सभी स्थानीय सड़कें रख-रखाव के लिये जिला बोर्डों को हस्तांतरित कर दी जायें, यह सड़क १९२४ में जिला बोर्ड को दे दी गई थी ।

*३२—श्री बलवानसिंह (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस सम्बन्ध में ईंटा भट्ठा संचालकों का कोई प्रार्थना-पत्र मिला है कि जिला अन्तरिम परिषद् से यह रोड निर्माण विभाग में ले ली जाय ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

मुबारकपुर टाउन एरिया की आडिट रिपोर्ट

*३३—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुबारकपुर टाउन एरिया, जिला आजमगढ़ के सन् १९५७–५८ के आडिट की कार्यवाही हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां । आडिट रिपोर्ट† की प्रति प्रस्तुत है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतान की कृपा करेंगे कि आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ ५ पर बख्शी सम्बन्धी जो मामले दिये गये हैं, जिनसे बोर्ड को काफी हानि हुई, इसके लिये भूतपूर्व बख्शी के खिलाफ सरकार क्या कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—आडिट रिपोर्ट के बाद कम्प्लायेंस की रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही का प्रश्न उठता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ ४ पर पैरा ३ में भूतपूर्व चेयरमैन के खिलाफ जो शिकायतें हैं कि उन्होंने बहुत रुपया खर्च किया जिसका कोई हिसाब या वाउचर नहीं है, उनके विरुद्ध सरकार क्या कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ये मामले जब उठते हैं जबकि डी० एम० उनसे एक्सप्लेनेशन लेकर हमको भेजते हैं । वह स्टेज अभी नहीं आई है । अगर वह बोर्ड छोड़ कर चले भी जावेंगे तो भी उन्हें चार्ज किया जा सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि जिलाधीश आजमगढ़ ने भूतपूर्व चेयरमैन से इस सम्बन्ध में जवाब तलब किया है ?

श्री जयराम वर्मा—ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है ।

छोटी गंडक के नदावर घाट पुल के निकट डाली गई मिट्टी

*३४—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में सलेमपुर तहसील के अन्तर्गत छोटी गन्डक नदी के नदावर घाट के पुल के दोनो ओर वर्ष १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ व १९५८–५९ में प्रतिवर्ष कितने रुपये की मिट्टी डाली गई है ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—१९५५–५६ में लगभग ५०० रुपये, १९५६–५७ में लगभग ४,१६३ रुपये, १९५७–५८ में लगभग १,५८७ रुपये, १९५८–५९ में लगभग २,५०० रुपये ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या यह सही है कि प्रतिवर्ष जो मिट्टी पड़ती है, बरसात के पानी से वह कट जाती है ?

श्री धर्मसिंह—यह बात सम्भव हो सकती है ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या सरकार सन् १९५५ से १९५९ तक पड़ी हुई मिट्टी के व्यय को देखते हुए और बरसात में मिट्टी के कट जाने से स्थायी लाभ न होने से क्या सरकार दोनों ओर पाये बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस बात की आवश्यकता नहीं है ।

---

†नोट—आडिट रिपोर्ट छापी नहीं गयी ।

श्री रामायणराय--मिट्टी डालने पर जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को देखते हुए क्या सरकार मिट्टी की जगह पर कंकड़ या पत्थर के टुकड़े डलवाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि पुल नीचा होने की वजह से बरसात के दिनों में नावें उसके ऊपर से चला करती हैं जिसकी वजह से उसके किनारे कटते रहते हैं तो क्या सरकार उस पुल को बड़ा करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

चोरगलिया क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की पुनर्वासन व्यवस्था

*३५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चोरगलिया, जिला नैनीताल में बाढ़ से बहे पांच गांवों के किसानों को पुनः बसाने हेतु वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--कुछ बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को ३१ मार्च, १९५९ को बेचाबांगर, हल्का हंसरामपुर, तहसील कालाढूंगी में ६४ एकड़ जमीन दे दी गई है। शेष परिवारों के लिये हल्द्वानी तहसील के हल्का किशनपुर, ग्राम शिवराजपुर में ६३ एकड़ भूमि देकर बसाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

*३६--श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि भविष्य में उक्त चोरगलिया इलाके को बाढ़ से बचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई Wire Pitching और spur-construction योजनाएं आने वाली बरसात से पहले कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल--एक तखमीना ३५,९२७ रुपया का बनाया जा रहा है, जो राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की Technical Sub Committee तथा बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा। बोर्ड की स्वीकृति तथा धनराशि प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

दोहरीघाट पम्प नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*३७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट पम्प नहर में पिढ़वल, मरथिया, कादीपुर मुंगेसर, सिकरौंर, वेला सुल्तापुर, दरियाबाद, मझवारा, खैरा मुहम्मदपुर, मलेरीकोट और लखनीमुबारकपुर गांवों की ली गई भूमि का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

मंडावर परगने के कुछ गांवों में पानी भर जाने की शिकायत

*३८--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बिजनौर में परगना मंडावर में कतिपय गांवों में वर्षाकाल में पर्याप्त क्षेत्र में वाटर लागिंग हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कुछ विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, इस पानी के निकास हेतु योजना बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

खुर्जा तहसील में शाहपुर गांव का नाला

*३९--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की तहसील खुर्जा में १९५८ में शाहपुर आदि गांवों का नाला खोदने के लिये नहर विभाग ने कितने का एस्टीमट भेजा था और कब ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३४ के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गिरधारीलाल---इस कार्य के लिए ६,३१६ रुपये की लागत की योजना का एस्टीमेट सरकार के पास नहीं भेजा गया क्योंकि ऐसे एस्टीमेट को मंजूर करने के लिए मुख्य अभियन्ता को खुद ही अधिकार है।

*४०---श्री छत्तरसिंह---सरकार ने कितना एस्टीमेट मंजूर किया और कब ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले में बाढ़ क्षेत्र से पानी के निकास पर व्यय

*४१---श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ क्षेत्रों में जो पानी भरा पड़ा था उसको हटवाने के लिये उसने क्या-क्या किया है ?

श्री गिरधारीलाल---अलीगढ़ जिले में बाढ़ क्षेत्रों का पानी हटवाने के लिए १२६-२-३३० मील मौजूदा नाली का रिमाडेलिंग किया गया तथा ६६-१-१६५ मील लम्बाई के नये नाले बनाये गये।

*४२---श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में नाली और नाले खोदने के लिये सरकार ने कहां-कहां मदद दी है ?

श्री गिरधारीलाल---मदद का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह कार्य सम्पूर्ण रूप से सरकार द्वारा ही किया गया है।

*४३---श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन नालियों और नालों में कितना रुपया खर्च किया है ?

श्री गिरधारीलाल---५,१०,५४४ रुपया।

माइनर जुरौलिया को पिचौरा तक बढ़ाने की प्रार्थना

*४४---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोअर गंगानहर, भोगनीपुर डिवीजन, जिला इटावा की माइनर जुरौलिया जो औरैया तहसील जिला इटावा के अन्तर्गत है को पुखरांया तहसील, जिला कानपुर के अन्तर्गत पिचौरा तक बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर माइनर जुरौलिया को पिचौरा तक बढ़ाने की सम्भावनाओं पर छान बीन की गयी।

फैजाबाद तथा आजमगढ़ डिवीजन में ट्यूबवेल औपरेटर्स, अमीन तथा मुन्शियों की जगहें

*४५---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Tube-well Division, Faizabad में Tube-well Operator तथा अमीन की कुल कितनी पोस्ट permanent हैं और कितनी temporary और जो permanent स्वीकृत हुई हैं वह किस-किस वर्ष से कितनी-कितनी ?

श्री गिरधारीलाल---कुल ३५० पोस्ट ट्यूबवेल आपरेटर्स तथा २० पोस्ट अमीन की हैं। ये सभी पोस्ट टेम्पोरेरी हैं तथा अभी कोई भी पोस्ट स्थाई नहीं हुई हैं।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

*४६—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन permanent posts पर कब-कब और कितने operator और अमीन permanent किये गये ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न ही नहीं उठता।

*४७—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Tube-well Division, Azamgarh कितनी पोस्ट मुंशियों की कब से permanent स्वीकृत हैं और क्या उन स्थानों पर मुंशी permanent कर दिये गये ?

श्री गिरधारीलाल—पहली अप्रैल सन् १९५६ से २ तथा पहली अप्रैल सन् १९५७ से ५। इन पोस्टों के अन्तर्गत २ मुंशियों को स्थाई कर दिया गया है और १ को २ वर्ष के लिये परिवीक्षण पर रख दिया गया है।

जाल्हूपुर परगने के नाले से क्षति तथा वाराणसी जिले में लगने वाले नलकूप

*४८—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम जाल्हूपुर के पूरब तथा ग्राम अम्ला के दक्षिण परगना जाल्हूपुर, वाराणसी में एक बड़ा नाला है जिससे गरीब किसानों की कई सौ बीघा जमीन बरसात व बाढ़ के दिनों में डूब जाती है और बोवाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके उचित प्रबन्ध के लिये विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। यह नाला गंगा नदी में मिलता है और गंगा में बाढ़ के समय इस नाले में भी पानी उमड़ता है और उसके चारों ओर के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। क्योंकि बड़ी नदियों के किनारे ऐसा होता ही रहता है, नाले के द्वारा आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है।

*४९—श्री लोकनाथसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना जाल्हूपुर, कटेहर व सुल्तानीपुर, जिला वाराणसी में सन् १९५९ ई० में कितने ट्यूबवेल लगाये जाने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुखलिसपुर–बस्ती नहर की गूलें

*५०—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुखलिसपुर, बस्ती नहर से कितनी गूलें बनाई गई हैं ? क्या शेष गूलें १९५९–६० के साल में बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—सिंचाई विभाग नहरों पर गूलें बनाने का कार्य नहीं करता है। गूलें कृषकों द्वारा स्वयं बनाई जाती हैं।

आजमगढ़ जिले में गांवों को ऊंचा करने का कार्य

*५१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन गांव हैं जिनके कुछ भाग बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे किये गये हैं तथा शेष भाग नीचा पड़ा हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५२–५३—श्री राजकुमार शर्मा—[माननीय सदस्य का देहावसान हो जाने के कारण प्रश्न हटा दिये गये।]

कानपुर में गंगा के मार्ग में कथित परिवर्तन

*५४—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर शहर के किनारे से गंगा की धारा धीरे-धीरे हट कर उन्नाव की तरफ जा रही है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गिरधारीलाल—सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसलिये इस सिलसिले में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अखड़डी ड्रेन की खुदाई की स्वीकृति तथा संडीला तहसील की जल मग्न-भूमि

*५५—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की अखड़डी ड्रेन की खुदाई और उसकी वृद्धि के लिये कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? स्वीकृति के उपरान्त अब तक कितनी फसलों को हानि पहुंच चुकी है?

श्री गिरधारीलाल—स्वीकृति ८ मार्च, १९५८ को प्रदान की गई थी। हानि पहुंचने वाली फसलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५६—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील संडीला, जिला हरदोई के गांव, महमूदपुर, ऊगपुर, प्रतापपुर, नगवा आदि प्रतिवर्ष जल-मग्न हो जाते हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। इन ग्रामों के निचले भाग पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बरसात में जल-मग्न हो जाते हैं।

बाराबंकी जिले में रबी की फसल की क्षतिपूर्ति के लिये सहायता

*५७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में दरियाबाद माइनर की टेल पर ग्राम खुजरी, चिर्रा, न्यामतपुर, खड़पिपरा, खुबेपुर, परस हुआ आदि की इस वर्ष रबी की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो सिंचाई माफी तथा फसल की नुकसान सरकार देगी?

श्री गिरधारीलाल—पानी से ११ एकड़ क्षेत्र ग्राम शाहपुर और २ एकड़ क्षेत्र ग्राम खड़पिपरा, परगना रूदौली, तहसील रामसनेही घाट जहां कि अधिकांश चने की खेती है, की क्षति हुई है। जिस क्षेत्र की फसल को हानि पहुंची है उन कृषकों को २११.४७ रु० मुआवजा देने का प्रस्ताव है और उनको १०२.९८ रु० सिंचाई की दर में छूट दी गई है।

हरदोई जिले में मन्सूरनगर ड्रेन की स्वीकृति तथा नलकूपों की कच्ची गूलें

*५८—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मन्सूर नगर, जिला हरदोई निवासियों ने गत दो वर्ष पूर्व गांव के निकट जो लगभग एक हजार एकड़ झावर है उसका पानी निकालने के निमित्त सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—हां, इस सम्बन्ध में कृषकगण का एक प्रार्थना-पत्र मिला था। इस क्षेत्र के लिये ६ मील लम्बी मन्सूर नगर ड्रेन स्वीकृत भी कर ली गई है। जो कि एन० ई० एस० खंड के रुपये से बनना तय हुआ है। अतः ब्लाक के खुलने पर काम शुरू होगा।

*५९—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में ऐसे कितने ट्यूबवेल हैं जिनकी नाली अभी तक पक्की नहीं बनी है?

श्री गिरधारीलाल--हरदोई जिले में इस समय २७ नलकूप कार्य कर रहे हैं। भूमि न प्राप्त होने के कारण किसी भी नलकूप पर पक्की गूल का निर्माण नहीं हो सकता है। कच्ची गूलों का निर्माण हो चुका है जिनसे सिंचाई कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

अलीगढ़ ड्रेन से क्षति तथा मीतई के निकट बरसाती पानी रुकना

*६०--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिनांक १८ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे यह अनुभव नहीं करते थे कि अलीगढ़ ड्रेन को १४ से २२ मील के बीच २२ ठेकेदारों द्वारा वर्षा से पूर्व काम पूरा नहीं होने पर बुलन्दशहर जिले के ८२ मील की वर्षा का पानी जब फैलेगा तो उसका प्रलयकारी परिणाम होगा? यदि वे यह अनुभव करते थे, तो इस प्रकार समय से पूर्व कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

*६१--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पानी के फैलने से कितने जिलों की कितनी भूमि में पानी भरा और फसल धन, जन तथा पशुओं की कितनी हानि हुई और पीड़ितों की सहायता के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६२--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-अलीगढ़ रोड के मीतई स्थान पर हजारों बीघों में वर्षा के रुके पानी के लिये निकाले गये नालों को क्यों बन्द कर दिया गया?

श्री गिरधारीलाल--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

उन्नाव जिले में बाढ़ सुरक्षा योजनायें

*६३--**श्री मुल्लाप्रसाद हंस** (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में गंगा और कल्याणी नदियों के बीच के क्षेत्र को बाढ़ की क्षति से बचाने के लिये कौन-कौन सी योजनायें पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में बनाई गई थी?

श्री गिरधारी लाल--पहली पंच वर्षीय योजना में इस विषय में कोई योजना नहीं बनाई गई थी। दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १२ ग्रामों को ऊंचा करने तथा दो कम्यूनिटी शेड बनाने का प्रस्ताव था।

*६४--**श्री मुल्लाप्रसाद हंस**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन योजनाओं में क्या प्रगति हुई है और यदि कोई प्रगति नहीं हुई, तो किन कारणों से नहीं हुई?

श्री गिरधारी लाल--अभी तक धनाभाव के कारण इस विषय में कोई भी प्रगति नहीं हो सकी है।

कुशीनगर नागरिक संघ की बिजली के लिये मांग तथा गोरखपुर जिले में राप्ती बांध न होना

*६५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर, जिला देवरिया में गत सन् १९५६ में बुद्ध जयन्ती के अवसर पर बिजली की सप्लाई कुशीनगर के सड़क पर भी की गई थी? यदि हां, तो उक्त नगर के सड़क पर की बिजली कितने दिनों से बन्द की गई है?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, अक्तूबर, १९५७ से।

*६६—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुशीनगर नागरिक संघ की ओर से माह जनवरी, १९५९ ई० में यह मांग की गई थी कि सड़क को बिजली सप्लाई की जाय और उसका चार्ज नागरिक संघ अदा करेगा ? यदि हां, तो उनके मांग के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । मामला विचाराधीन है ।

*६७—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी के किनारे तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में बने कोठावेलकुर बांध तथा राप्ती गोरी नदी के संगम पर बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

किसरोली–फरीदपुर–दलेलगंज नाला

*६८—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में किसरोली–फरीदपुर–दलेलगंज हो कर जो नाला बनाया जा रहा है वह किन-किन ग्रामों से हो कर जा रहा है और वह कितना चौड़ा और कितना लम्बा होगा और कितने एकड़ जमीन कटेगी और लागत कितनी लगेगी ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रशिक्षित ओवरसियरों को नौकरी

*६९—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ओवरसियर को प्रशिक्षण करने के लिये कितने सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल हैं ?

श्री गिरधारीलाल—सरकारी १

गैर-सरकारी १९

(इनमें तीन स्कूल ऐसे हैं जो सरकार द्वारा खोले गये हैं परन्तु उनका प्रतिरूप और संगठन गैर-सरकारी स्कूल का रक्खा गया है ।)

*७०—श्री तेजबहादुर—विगत चार वर्षों में उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—४,५९० ।

*७१—श्री तेजबहादुर—प्रश्न ७० में प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने को काम में लगा लिया गया है और कितने अभी तक बेकार बैठे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता किन्तु विगत चार वर्षों में १,५९० व्यक्तियों को काम में लगाया गया ।

हाई कोर्ट द्वारा पंचायत निरीक्षक व मंत्रियों की बहाली

*७२—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—तारांकित प्रश्न संख्या ४७ व ४८, दिनांक ३ मार्च, १९५९ के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उन अधिकारियों को क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार का अनुचित आदेश न देने के निमित्त कोई सुझाव दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस सम्बन्ध में शासकीय आदेश संख्या ३२१९/२ बी/१७८/१९५८, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५८ की प्रतिलिपि समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को संचालक पंचायतराज द्वारा ६ नवम्बर, १९५८ को भेजी गई थी। तत्पश्चात् व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक जिन अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, उन्हें अलग से कोई सुझाव शासन ने नहीं दिया है।

अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्षों को सुविधायें तथा पंचायत निरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कथित आदेश

*७३—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् को अधिकार डेलीगेट किये गये हैं और वे कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या सुविधा सरकार फिक्स्ड एलाउन्स, टेलीफोन आदि को दे रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अन्तरिम जिला परिषदों के जिन उपाध्यक्षों को अध्यक्षों द्वारा अधिकार हस्तान्तरित किये गये हैं उन्हें बराबर काम नहीं करना पड़ता है अतः उन्हें फिक्स्ड एलाउन्स, या टेलीफोन ऐसी कोई सामान्य सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता। उपाध्यक्षों को यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियम बना दिये गये हैं। जिन उपाध्यक्षों के पास बहुत अधिक काम है और उनके निवास-स्थान पर टेलीफोन होना आवश्यक है, उन्हें जिलाधीश की संस्तुति पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। जहां पर अध्यक्षों ने उपाध्यक्षों को उनके काम के सिलसिले में गाड़ी का प्रयोग करने की सिफारिश की, वहां शासन ने उन्हें वह सुविधा भी प्रदान कर दी है।

*७४—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश ने समस्त जिलों में कोई आदेश इस आशय का भेजा था कि पंचायत निरीक्षक पद की एक मास से अधिक खाली रहने वाली जगहों पर नियुक्ति प्रादेशिक स्तर पर चुने गये अभ्यर्थियों में से की जायगी ? यदि हां, तो कब और वह आदेश क्या था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

लखनऊ में हजरतगंज मकबरे को निर्माण योजना में लेना

*७५—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हजरतगंज (लखनऊ) मकबर को गिरा कर उसके स्थान पर निर्माण कार्य कराने की कोई योजना लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इस योजना की प्रमुख-प्रमुख बातें सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। इस मकबरे की पुरानी इमारतों को तुड़वा कर नये दुमंजिले फ्लैट्स बनवाने की योजना है। नक्शे नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा पास किये जा चुके हैं। ट्रस्ट का तथा उनका मत है कि इमारत स्लम की अवस्था में है।

*७६—**श्री मदन पांडेय**—क्या यह सही है कि उक्त मकबरे के हाते की इमारतें बहुत मजबूत हालत में हैं तथा उस अहाते के निवासी मकबरे को तोड़ने की बात का प्रस्तावों द्वारा विरोध कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त मकबरे की इमारतें मजबूत हालत में नहीं हैं। उक्त अहाते के निवासी इस योजना का विरोध कर रह हैं।

राबर्ट्सगंज में वन विभाग की कथित भूमि किसी कोआपरेटिव फार्मिंग को देना

*७७—श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिला मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज में ९०० एकड़ जंगल की जमीन किसी को कोआपरेटिव फार्मिग के लिये दी गई है? यदि हां, तो उनके नाम तथा स्थान क्या हैं?

श्री सैयदअली जहीर—राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में वन विभाग की कोई जमीन किसी को कोआपरेटिव फार्मिग के लिये नहीं दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

*७८—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त जंगल की सफाई तथा जमीन तोड़ने के लिये कितना रुपया दिया गया है?

श्री सैयदअली जहीर—प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को केन्द्र से कर्ज न मिलना

*७९—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में और द्वितीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार से कितना धन कर्ज के रूप में मिला और उस कर्ज की वापसी की क्या शर्तें हैं?

श्री गिरधारी लाल—इस अवधि में इस विभाग को केन्द्रीय सरकार से कोई धन कर्ज के रूप में नहीं मिला।

मूंइधरा बांध की मरम्मत के लिये प्रार्थना

*८०—श्री ऊदल—क्या सरकार को इस बात का पता है कि जो १९५८ की बरसात में जिला जौनपुर, तहसील मछलीशहर का मूंइधरा बांध टूट गया था अभी उसकी मरम्मत नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या उसकी मरम्मत बरसात के पहले करा दी जायेगी?

श्री गिरधारी लाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८१—८३—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित तीसरे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५–१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

वन विभाग की कथित गायब फाइलें

*८४—श्री लक्ष्म णराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि गत वित्तीय वर्ष में लखनऊ व नैनीताल के बीच में वन विभाग की कुछ फाइलें गायब हो गई थीं? यदि हां, तो कब, कितनी तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री सैयद अली जहीर—गत वित्तीय वर्ष में लखनऊ व नैनीताल के बीच वन विभाग की कोई फाइल गायब नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जिले में रजिस्ट्रियों से आय तथा कच्ची सड़कों के लिये अनुदान

*८५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह झांसी जिला परिषद् (भूतपूर्व जिला बोर्ड) को कितना रुपया कच्ची सड़क को पक्की मैटिल्ड रोड बनाने के लिये प्रति मील के हिसाब से ग्रांट देती है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अन्तरिम जिला परिषद्, झांसी को उसकी कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिये शासन की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। उक्त परिषद् की उन कच्ची सड़कों के रखरखाव के लिये २०० रु० प्रति मील के हिसाब से वार्षिक अनुदान दिया जाता है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसे सन् १९५२ ई० में हस्तान्तरित की गई थी।

*८६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की गरौठा तहसील की मऊरानीपुर में मोठ तहसील की झांसी में तथा महरौनी तहसील की ललितपुर में सन् १९५६ से १९५८ तक कितनी-कितनी रजिस्ट्रियां और उनसे कितनी-कितनी आय हुई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

तहसीलवार निम्न विवरण संलग्न है —

वर्ष	गरोठा की रजिस्ट्रियां जो मऊरानीपुर में हुईं		मोठ की रजिस्ट्रियां जो झांसी में हुईं		महरौनी की रजिस्ट्रियां जो ललितपुर में हुईं	
	रजिस्ट्रियों की संख्या	आय	रजिस्ट्रियों की संख्या	आय	रजिस्ट्रियों की संख्या	आय
		रुपये		रुपये		रुपये
१९५६ ..	५०८	४,२०१.२५	७४३	५,७५०.३७	११३	७९७.८७
१९५७ ..	५५९	६,०३८.७५	८३०	९,७०९.३७	१०२	१,०९८.१९
१९५८ ..	६७४	११,४९९.३८	९२४	१४,९११.२५	१८४	२,०८१.२५

*८७-८८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[मुख्य मंत्री से संबंधित पांचवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

ओधा क्षेत्र में पानी भरने से क्षति

*८९—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के ओधा क्षेत्र (माधौगढ़) में १९५८-५९ में कितनी खरीफ की फसल और कितनी रबी की फसल पानी भरने (water-logging) के कारण क्षति-ग्रस्त हुई ?

*९०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षति-ग्रस्त व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधायें सरकार द्वारा दी गयीं ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

बांदा जिले में जल कष्ट निवारणार्थ प्रयास

*९१—**श्री गरीबदास**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष के पेय जल संकट को ध्यान में रखते हुये सरकार इस वर्ष जिला बांदा की जनता की सुविधा के लिये पानी की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस वर्ष बांदा में जल-कष्ट की समस्या को दूर करने के लिये एक ट्यूबवेल जो पहले ही बनाया जा चुका था बोर्ड के अनुरोध पर सरकार ने पंपिंग प्लांट लगा कर (हार्नेस) करने की अनुमति दी थी। किन्तु बाद में बोर्ड के विरोध करने पर यह स्कीम पूरी न की जा सकी। लेकिन बांदा जलकल को पुनर्संघटन के लिये एक योजना, जिसकी लागत ९,६२,२५० रुपये है, मुख्य अभियंता द्वारा तैयार की जा चुकी है। इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये ऋण देने के प्रश्न पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

झूंसी का पीपों का पुल

*९२—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में झूसी का जो नाव का पुल गत माघ मेले के अवसर पर टूट गया था उस पर उस समय कितनी इंच मिट्टी पड़ी हुई थी ?

श्री गिरधारी लाल—साल स्लीपरों के ऊपर लोहे के चेकर प्लेटें बिछी थीं जिन्हें दबाये रखने के लिये एक इंच मिट्टी पड़ी हुई थी ।

रिहन्द बांध से उत्पादित बिजली

*९३—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्ड डैम में शुरू-शुरू में कितनी बिजली पैदा करने का अनुमान था और अब कितनी बिजली पैदा करने का अनुमान है ?

श्री गिरधारी लाल—रिहन्द डैम से १०० प्रतिशत लोड फैक्टर पर १,०५,००० किलोवाट बिजली उपलब्ध होने का अनुमान था । परन्तु क्योंकि कुछ बिजली स्वयं पावर हाउस में उपयोग में आयेगी और कुछ पीपरी के सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर आदि में व्यय हो जायेगी, इसलिये १,०३,००० किलोवाट बिजली बराबर उपयोग के लिये उपलब्ध रहेगी ।

*९४—श्री त्रिलोकी सिंह—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्ड डैम को पूरा करने की अब अनुमानित लागत क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—४६ करोड़ ५ लाख १३ हजार रुपये ।

अयोध्या में सरयू नदी के पुल का निर्माण

*९५—श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरयू नदी पर अयोध्या के निकट जो पुल बन रहा है उसके कब तक बन जाने की संभावना है और इसमें आज तक कितना काम हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—केन्द्रीय सरकार से पुल के आगणन की स्वीकृति के बाद लगभग तीन वर्ष पुल के निर्माण में लगेंगे ।

दूसरा भाग—इस समय नदी को ट्रेन करने का कार्य चालू है ।

अयोध्या की ओर का गाइड बांध (Guide Bund) बन चुका है और लकड़मंडी की ओर के गाइड बांध (Guide Bund) के शीघ्र पूरा होने की आशा है ।

*९६—श्री बलदेवसिंह—इस पुल पर कुल कितना धन लगने का अनुमान है ?

श्री गिरधारी लाल—लगभग २२५.०० लाख रुपये से लेकर २५०.०० लाख रुपये तक ।

अन्तरिम जिला परिषदों की कार्यकारिणी का चुनाव

*९७—श्री बुलाकी राम—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक किन-किन जिलों में अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी तथा उसके अन्तर्गत अन्य विभिन्न कमेटियों का चुनाव नहीं हो सका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अन्तरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी का चुनाव प्रत्येक जिले में हो चुका है तथा अधिकतर जिलों में कार्यकारिणी के अन्तर्गत कोई अन्य कमेटियां नहीं हैं कुछ जिलों में कार्य कारिणी के अतिरिक्त कुछ अन्य कमेटियां बनाई गई हैं ।

कानपुर जिले के कुछ गांवों से बरसाती पानी निकालने की प्रार्थना

*९८—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले में ग्राम खेड़ा सनाया हथेई, रठगांव आदि गांवों में वाटर लागिंग हो जाता है जिसके कारण एक ही फसल उस अंचल में हो पाती है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, किन्तु अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप ही स्वाभाविक जल प्रवाह रुकने के कारण वाटर लागिंग हो जाता है। इन ग्रामों में साधारणतया रबी और खरीफ दोनों ही फसलें बोई जाती हैं परन्तु कहीं-कहीं पानी जमा होने के कारण खरीफ की फसल को कुछ हानि हो जाती है और केवल एक ही ग्राम (सनाया खेड़ा) के कुछ भाग में दिसम्बर तक पानी जमा रहने के कारण रबी की फसल नहीं बोई जाती है।

*९९—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि इन गांवों का पानी वर्षा के बाद निकल जाया करे ?

श्री गिरधारी लाल—इस सम्बन्ध में जिलाधीश कानपुर एक योजना बना रहे हैं।

मैनपुरी-भावंत सड़क का अधूरा निर्माण

*१००—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में मैनपुरी से भावंत होकर किशनी जाने वाली सड़क के लिये सन् १९५६ व १९५७ ई० में ७५ हजार रुपया मरम्मत के लिये स्वीकार किये थे पर २५ हजार रुपया देने के बाद फिर नहीं दिये गये और सड़क का काम अधूरा पड़ा है ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैनपुरी भावंत सड़क के पुनर्निर्माण के लिये भूतपूर्व जिला बोर्ड को ७५,००० रुपये का नहीं बल्कि २५,००० रुपये का अनुदान शासन द्वारा १९५१–५२ में स्वीकार किया गया था।

आर्थिक संकट के कारण शेष अनुदान स्वीकार नहीं किया जा सका ।

बकेवर तथा अजीतमल थानों के भवन निर्माण पर व्यय

*१०१—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में थाना बकेवर व थाना अजीतमल के नये भवन निर्माण किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। थाना बकेवर व थाना अजीतमल के नये भवनों का निर्माण क्रमशः दिसम्बर, १९५८ और मई, १९५८ में पूरा किया गया है ?

*१०२—**श्री भजनलाल**—क्या यह सही है कि इन भवनों के निर्माण का कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया है ? इन भवनों के निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। इन पर निम्नलिखित व्यय हुआ है :

बकेवर	..	७८,९८७ रु०
अजीतमल	..	८४,०४२ रु०

*१०३—**श्री भजन लाल**—क्या यह सही है कि इन भवनों की इमारत सिर्फ १ १/२ ईंट की दीवारों पर ही आश्रित है जिसमें ईंटों के रोड़े इस्तेमाल किये गये हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में विशेष इंजीनियर द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—इन भवनों की दीवारें अधिकतर एक ही ईंट की हैं और कुछ १ १/२ इटों की हैं। दीवारों में कहीं भी रोड़े इस्तेमाल नहीं किये गये हैं ।

*१०४—श्री होरीलाल यादव—[गृह मंत्री से संबंधित प्रथम शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०५—[हटा दिया गया।]

गंडक कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में समझौता

*१०६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि (Gandak Canal Project) के बारे में बिहार प्रदेश की सरकार से समझौता २१ फरवरी, १९५९ को लखनऊ की बैठक में हुआ है।

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*१०७—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—यदि हां, तो क्या सरकार उस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—यह तय हुआ था कि (१) नहर गोरखपुर व देवरिया जिलों से होकर गुजरेगी। (२) जो भाग उत्तर प्रदेश में पड़ेगा उसे उत्तर प्रदेश सरकार बनावेगी और बैराज (Barrage) तथा उत्तर प्रदेश के बाहर की नहर बिहार सरकार और (३) (Betterment Levy) लगाया जायेगा।

बरसहिया-वजीरनगर सड़क का निर्माण

*१०८—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की तहसील मिश्रिख में सीतापुर से शाहजहांपुर जाने वाली रोड पर महोली और उरदौली के बीच से बरसहिया से वजीर नगर जाने वाली रोड बन रही है ? यदि हां, तो उस पर कितना कार्य हो चुका है ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इस सड़क के तीन मीलों में कार्य समाप्त हो चुका है तथा चौथे मील में मिट्टी का काम हो चुका है एवं पुलिया बन चुकी है।

*१०९—श्री मूलचन्द—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त सड़क बनाने में अभी कितना समय लगेगा और कुल कितना रुपया इस पर व्यय होने का अनुमान है ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस सड़क के बनने में कितना समय लगेगा।

द्वितीय भाग—इस सड़क पर २,५१,७८० रुपया व्यय होने का अनुमान है।

करौता कैलानी ताल पानी निकास योजना का सर्वेक्षण

*११०—श्री उग्रसेन—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में करौता कैलानी ताल पानी निकास योजना का सर्वेक्षण कराने का विचार कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। सर्वेक्षण कार्य इस समय प्रगति पर है।

*१११—श्री उग्रसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत घाघरा कटाव निरोधक योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

अलकनन्दा नदी पर मोटर पुल की आवश्यकता

*११२—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले की मंदाकिनी घाटी में प्रतिवर्ष जाने वाले हजारों यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिये रुद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी पर मोटर पुल कब तक बन जावेगा ?

श्री गिरधारी लाल—इस पुल के सन् १९६०-६१ तक बन जाने की आशा है ।

*११३—**श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी**—क्या यह सही है कि गढ़वाल जिले में श्रीनगर में अलकनन्दा पर पुल बनाने के लिये सरकार विगत दो वर्षों से वित्तीय व्यवस्था करती जा रही है पर उस निधि का सदुपयोग करने की अब तक कोई कोशिश नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां । इस पुल की अनुमानित लागत स्वीकृत लागत से बहुत अधिक हो जाने के कारण पुल का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

*११४—**श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल जिले में खिरसू छांतीखाल अश्वमार्ग और ऊरनीमठ-चमोली मोटर मार्ग निर्माण के लिये Alignment कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक यह कार्य शुरू होगा ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी नहीं,

द्वितीय भाग—इन सड़कों के निर्माण के विषय पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा ।

उन्नाव जिले में चकलौंसी-संडीला सड़क पर सई नदी के पुल की निर्माण योजना

*११५—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार प्रश्न संख्या २८, दिनांक १० दिसम्बर, १९५७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि पुल के बनवाने का आगणन अब तैयार हो गया है या नहीं ? यदि तैयार हो गया है, तो कितने रुपये का ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—जी हां, यह आगणन स्वीकृत भी हो चुका है ।

द्वितीय भाग—आगणन ३,५०,००० रुपये का है ।

नहरी क्षेत्रों में नलकूपों पर बनी गूलें

*११६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री नहर से सींचे जाने वाले क्षेत्रों में भी नलकूपों पर बनी एक मील पक्की और एक मील कच्ची गूलों या नालियों के निर्माण के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अरथला-भंगेल सड़क का कथित निर्माण

*११७—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि हीन्डन नदी की बाढ़ से तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ व तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के गांवों को बचाने व सहायता पहुंचाने हेतु एक सड़क अरथला से कनावनी छजारखी, बहलोलपुर, परथला सोहराना होकर भंगेल तक दो वर्ष पूर्व बनायी जा रही थी ? यदि हां, तो वह सड़क कब तक तैयार होगी और कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ऐसी कोई सड़क नहीं बनाई जा रही है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी जिले के कुछ गांवों की भूमि जलमग्न रहने की शिकायत

*११८—श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत ६ वर्ष से लभौआ, कुढ़ी एवं नगला बलुआ, परगना मुस्तफाबाद तथा शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में करीब ४०० एकड़ भूमि पानी की बाढ़ से प्रति वर्ष डूब जाया करती है ?

*११९—क्या सरकार को विदित है कि पानी भरा रहने के कारण उक्त भूमि में एक भी फसल नहीं होती और उसका लगान प्रतिवर्ष जनता से लिया जाता है ?

*१२०—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त भूमि में कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जिनके पास सिवाय इस भूमि के जहां पानी भरा रहता है दूसरी जगह जमीन नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२१—श्री रामस्वरूप वर्मा—[स्थगित]

काली नदी पर स्थित पम्पिग स्टेशन की वियर वाल में खराबी

*१२२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि ट्यूबवेल डिवीजन, अलीगढ़ के अन्तर्गत काली नदी पर स्थित पंपिग स्टेशन की वियर वाल जुलाई, १९५६ में बाढ़ के कारण कुछ कमजोर हो गई थी ? यदि हां, तो उसकी तुरन्त मरम्मत क्यों नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

चिरइया नाले का निर्माण

*१२३—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील के अन्तर्गत चिरइया नाले के निर्माण में कितना रुपया व्यय हो चुका है तथा नाले की खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ और कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

*१२४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में उन्नाव जिले की और कौन सी नई ड्रेनों पर खुदाई का कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

नगर महापालिकाओं के चुनाव का स्थगन

*१२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश के महानगर पालिका के चुनाव जुलाई ५,१९५९ को न होकर अक्तूबर, १९५९ को होने जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने अपनी २७ मई, १९५९ के प्रेस नोट में नगर महापालिकाओं के जुलाई में निर्वाचन न कराने के कारण दे दिये थे। इस प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

इसी नोट में यह भी कहा गया था कि आशा की जाती है कि अक्तूबर या नवम्बर में ये चुनाव कराये जा सकेंगे।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५२-१५३ पर)

*१२६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन-किन विरोधी पार्टियों नें सरकार को जुलाई में चुनाव न कराने को लिखा था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा——जिन विरोधी पार्टियों ने सरकार को गरमी के मौसम में चुनाव न कराने को लिखा था उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) श्री त्रिलोकीसिंह, सेक्रेटरी, आल इंडिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा श्री एच० के० गौड़, कन्वीनर, सिविक बोर्ड, शहर पी०एस०पी० लखनऊ।

(२) श्री कुंज बिहारी लाल राठी तथा श्री राजकुमार श्रीवास्तव, नेता भारतीय जनसंघ, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(३) श्री बाबू खां, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, लखनऊ तथा श्री महादेव टंडन, सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी, आगरा।

इसके अतिरिक्त टेलीफून से या मौखिक अन्य और भी बहुत से व्यक्तियों ने चुनाव स्थगित कराने को कहा था।

*१२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जुलाई में चुनाव कराने के लिये कौन कौन सी तैयारी हो चुकी थी और उसमें अब तक कितना व्यय हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महापालिकाओं के निर्वाचनों के संबंध में नगरों का परिसीमन किया जा चुका था तथा निर्वाचक नामावलियां छपवाई तथा प्रकाशित की जा चुकी थीं। इसके अतिरिक्त और भी प्रारम्भिक कार्यवाही जैसे निर्वाचन केंद्रों की सूची तैयार करना, नियमों का बनाना आदि की जा चुकी थी। इस संबंध में लगभग ३२,००० (३२ हजार) रुपया व्यय हुआ है।

कुरावली-फिरोर सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१२८—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह जिला मैनपुरी में कुरावली-फिरोर रोड को इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्का बनवायेगी?

श्री गिरधारीलाल——यह संभव नहीं मालूम होता।

मुगलसराय में थर्मल स्टेशन खोलने की योजना

*१२९—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मुगलसराय में एक लाख किलोवाट के लगभग का थर्मल स्टेशन खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो इस योजना में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है और उसकी रूप रेखा क्या है?

श्री गिरधारीलाल——जी हां। यह अभी निश्चित नहीं है कि यह थर्मल स्टेशन मुगलसराय में ही लगेगा केंद्रीय सरकार से इस योजना के संबंध में प्रारम्भिक कार्य करने की स्वीकृति मांगी गयी है। योजना की रूप रेखा प्रारम्भिक कार्य पूरा हो जाने पर ज्ञात होगी।

*१३०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उपर्युक्त स्टेशन से किन किन और कितने जिलों को बिजली मिल सकेगी और उनसे गांवों तथा लघु उद्योग धधों की बिजली की कितनी आवश्यकता पूरी हो सकेगी?

श्री गिरधारीलाल——यह सब सूचना योजना की प्रारम्भिक जांच पड़ताल पूरी हो जाने पर उपलब्ध होगी।

कानपुर नगरपालिका के डाक्टरों की सूची की मांग

*१३१--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कानपुर नगर महापालिका में चीफ मेडिकल आफिसर को लेकर सीनियारिटी के अनुसार डाक्टरों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कानपुर में अभी नगर महापालिका स्थापित नहीं हुई है। अतएवं बांछित सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रेसीडेंट, यू० पी० इर्रीगेशन ऐण्ड एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स स्टेनोग्राफर ऐसोसियेशन का कथित स्मृति-पत्र

*१३२--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेसीडेंट यू० पी० इर्रीगेशन ऐन्ड एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट स्टेनोग्राफर एसोसियेशन, लखनऊ, ने तारीख १५ फरवरी, १९५९ को स्टेनोग्राफर्स के वेतन-क्रम के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में कोई स्मृति-पत्र भेजा है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*१३३--श्री भगवतीसिंह विशारद--यदि हां, तो क्या निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्मृति-पत्र में लिखित मांगों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत गांवों में गृह निर्माणार्थ वर्किंग ग्रुप की नियुक्ति

*१३४--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायगी कि उसने तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रदेश के गांवों में मकानों की समस्या के हल के लिये कोई वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी, हां।

*१३५-१३६--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[वांच्छित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण ११ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३७--श्री बुलाकीराम--[हटा दिया गया]।

गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन में ठेकेदारों पर बकाया की जानकारी

*१३८--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन के अन्तर्गत ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनके ऊपर पिछले सालों का रुपया बकाया पड़ा है ?

श्री सैयद अली जहीर--ऐसे ठेकेदारों की संख्या १९५७-५८ तक २८० थी। १९५८-५९ से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि ठेकेदारों के हिसाब अभी बन रहे हैं।

विधायकों के लिए अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता स्वीकार करने पर विचार

*१३९--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह आदेश देने की कृपा करेगी कि जो विधायक अन्तिरिम जिला परिषद् के निर्माण के उपरान्त निर्वाचित हुये हैं वे अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य बनाये जायं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

गोरखपुर फारेस्ट डिवीजन में पौधशालायें

*१४०---श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत दो वर्षों के अन्दर गोरखपुर जिले के अन्दर जंगलात विभाग की ओर से कितनी नर्सरियां खोली गई हैं ? इन नर्सरियों में कितने प्रकार के पौधे तैयार किये जा रहे हैं तथा आगामी वर्ष में कहां-कहां नयी नर्सरियां वह खोलने जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तालबेहट रेंज के फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध शिकायतें

*१४१-श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट रेंज (जिला झांसी) के फारेस्ट गार्डों के विरुद्ध अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतों के साथ-साथ १३-१४ जनवरी, १९५९ को एक आदमी की बन्दूक छीन लेने और जनवरी-फरवरी १९५९ में एक आदमी को गोली से मार देने तक की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४२---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रेंज तालबेहट, जिला झांसी में ऐसे कितने फारेस्ट गार्ड हैं जो तीन वर्ष से अधिक से इसी रेंज में हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ईशन करबन तथा सैंगर नदियों के तालाबों को गहरा करने तथा नवीन ड्रेनें बनाने की जानकारी

*१४३---श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बार ईशन कारबन नदी तथा सैंगर नदी के तालों को गहरा करने के लिये सरकार की कितने रुपये की योजना है और इन बरसाती नदियों के गहरा तथा चौड़ा कराने का काम कब तक समाप्त हो जायेगा ?

*१४४---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर ड्रेन, कोटा ड्रेन, मुरसान किला ड्रेन, मितनपुर ड्रेन के अतिरिक्त कौन-कौन ड्रेन इस वर्षा से पूर्व खुद सकेंगी ।

श्री गिरधारीलाल---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राप्ती पुल निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न मिलने की शिकायत

*१४५---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शहर गोरखपुर में राप्ती पुल निर्माण के सम्बन्ध में चकरा अव्वल तथा हांसूपुर के निवासियों की भूमि सन् १९५७ में ली गयी है ? यदि हां, तो उसके बाद से आज तक काश्तकारान को उनके मुआवजा देने के मुताल्लिक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग : जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी कमिश्नरी में अल्प बचत योजनान्तर्गत एकत्रित धन

*१४६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी कमिश्नरी (झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिला) में सन् १९५८-५९ में अल्पबचत योजना में प्रत्येक जिले में अलग-अलग कितना रुपया जमा करने के आंकड़े अधिकारियों द्वारा भेजे गये ?

श्री सैयद अली जहीर--झांसी कमिश्नरी के जिलों से वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में निम्नलिखित धनराशि के आंकड़े प्राप्त हुये :

	रुपये
झांसी	१४,५४,६८०
जालौन	५,३७,५४४
हमीरपुर	६,०५,८१०
बांदा	७,२१,१७४

अलीगढ़ जिले में वन विभाग की भूमि

*१४७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ जिले में कुल कितनी जमीन वन विभाग में है और वह कहां-कहां है ?

श्री सैयद अली जहीर--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में नहर काटने के मुकदमें तथा नारायणी नहर में ली गई जमीन का मुआवजा

*१४८--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की नारायणी नहर में ली गई जमीनों का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१४९--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५८-५९ में नहर विभाग द्वारा नहर काटने के कितने मुकदमें चलाये गये, और उसमें कितने फैसले हुए तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रतापगढ़ जिले में तालाबों से पानी निकास योजना तथा रिहन्द से बिजली मिलने की जानकारी

*१५०--श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले को भी रिहन्द बांध से बिजली दी जायगी ? यदि हां, तो यह बिजली फी यूनिट कितने मूल्य पर दी जा सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१५१--श्री हरकेशबहादुर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पट्टी तहसील में मनसैता, इनवच कसिया, सुखऊंसिंह बांध और नौरेडा ताल के पानी के निकास की स्कीम सफल हो जाने पर कितनी भूमि कृषि योग्य उपलब्ध हो सकेगी।

*१५२--इन स्कीमों पर कितना रुपया १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में सरकार व्यय करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम मीर मलूकपुर में रास्ता बनवाने का आश्वासन

१—श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुहर्रम के जुलूस व जानवरों के आने जाने हेतु ग्राम मीर मलूकपुर, परगना व तहसील अकबरपुर (फैजाबाद) में जो रास्ता २८-७-५८ से पहले बनवा देने का आश्वासन २०८८/२४-७-५८ के पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता इर्रीगेशन डिवीजन, फैजाबाद ने दिया था वह रास्ता बनाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२—श्री देवीप्रसाद मिश्र—यदि उत्तर हां में है, तो कब बनाया गया और यदि उत्तर नहीं में है, तो क्यों नहीं बनाया गया और उस विलम्ब का जिम्मेदार कौन है ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मकसूद आलम खां के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने सदन में दो सज्जनों के देहान्त का जिक्र किया था तो गलती से एक पुराने साथी का नाम भूल गया, उसके लिये मैं आप से और सदन से क्षमा चाहता हूं । मेरा मकसद श्री मकसूद आलम खां, पीलीभीत से है । वह हमारे पुराने कार्यकर्त्ता थे । १९२१ से लेकर १९४२ तक वह हमारी स्वाधीनता की लड़ाई में चार बार जेल गये थे । यद्यपि उनकी शिक्षा पुराने ढंग की, फारसी उर्दू की थी, लेकिन राजनीति के अलावा वे सामाजिक क्षेत्र की बहुत सी बातों में दिलचस्पी लेते थे । उस वक्त भी वे एक इंटरमीडियेट कालेज की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसीडेंट थे । पुरानी सभ्यता और संस्कृति लोग उनके आचरण से सीख सकते थे और जैसा कि मैंने और भी अन्य मौकों पर कहा है, वे उन लोगों में से थे जिनके जाने से पुराने जमाने से हमारी कड़ियां टूटती जाती हैं । काफी लंबी बीमारी के बाद २१ मई, १९५९ को ७१ वर्ष की उम्र में आपका देहान्त हुआ । वे इस सदन में १९५० में एक बाई-इलेक्शन में आये थे । १९५२ में वे फिर चुने गये । इस वक्त वह इस सदन के सदस्य नहीं थे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम लोगों की समवेदना उनके परिवार के पास पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि मकसूद आलम खां साहब से पुराना संबंध होते हुए भी मुझे यह पता नहीं था कि वह नहीं रहे । जैसा माननीय नेता सदन ने कहा है कि वह इस प्रदेश की पुरानी सभ्यता के एक जीते-जागते नमूना थे । पिछली बार जब मुझे पीलीभीत जाने का अवसर मिला, वह बीमार थे और मैं उनको उस दशा में देखने भी गया था । अवस्था काफी थी, कमजोर भी बहुत हो गये थे, तकलीफ थी, लेकिन उनसे मिलकर जो बात २०, २५, ३० साल पहले थी, उनके विचारों में पहले जैसा ही संकल्प, वही दृढ़ता, वही इतमीनान और यह उमंग कि किस तरह से समाज और देश की दशा सुधरे, थोड़ी देर उनके पास बैठ कर जो बातें हुईं उसका असर मेरे ऊपर पड़ा । सारी जिन्दगी उन्होंने गरीबी में बिताई और तकलीफ में, फिर भी डिगे नहीं । उनकी जिन्दगी हमारे लिये एक मिसाल है और मैं अपनी ओर से और अन्य सदस्य जो इधर बैठे हुए हैं उनकी ओर से मान्यवर से यह निवेदन करूंगा कि हमारी समवेदना संतप्त परिवार के पास पहुंचाने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता और विरोधी दल के माननीय नेता ने स्वर्गीय श्री मकसूद आलम खां के गुणों की जो चर्चा की और जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। किसी भी व्यक्ति का स्वाधीनता संग्राम का सेनानी होना इस बात का प्रमाण है कि उसने अपने जीवन में निःस्वार्थ देश सेवा, तप, त्याग और बलिदान का परिचय दिया और ऐसे सज्जन के स्वर्गवास पर विशेष रूप से अधिक दुख होना आवश्यक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मनुष्यों की, जो निःस्वार्थ जनसेवा के जीवन को अपनाये हैं, कमी होती जा रही है। इसलिये मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनके शोकसंतप्त परिवार को हम लोगों की समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, श्री मकसद आलम खां के निधन से हम सभी को दुख है। इस समय जब कि हमारे देश में हिन्दू और मुस्लिम एकता की नितान्त आवश्यकता है उस समय ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाना जो कि एकता के प्रतीक थे, हम लोगों के लिये विशेष चिन्ता का विषय है। श्री मकसूद आलम खां साहब स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी रहे और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा, उनके बारे में मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है। मैं इस समय और ज्यादा न कह कर इतना निवेदन करूंगा कि कल उनके नाम का छूट जाना नितान्त अनुचित था, माननीय मुख्य मंत्री जी के यह कहने पर मुझे और विशेष दुख हुआ और ऐसी गलती आयन्दा नहीं होनी चाहिये। इस समय मैं केवल इतना ही कहूंगा और आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि हमारी और हमारे दल की सहानुभूति और समवेदना उनके दुखी परिवार के पास अवश्य भेज दी जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री मकसूद आलम खां के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय त्रिलोकीसिंह और माननीय पालीवाल जी ने जो बातें कही हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और श्रीमन् से निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से तथा जनसंघ की ओर से उनके दुखी परिवार तक हम सब की समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मकसूद आलम खां साहब हमारे प्रदेश के उन चन्द राष्ट्रसेवी मुसलमानों में थे जिन्होंने राष्ट्र की नाव को किनारे तक पहुंचाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। ५ बरस तक इस माननीय सदन में उनके साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और कभी-कभी थोड़ी बहुत हमारी उनसे बातें भी हुईं। उन्होंने जब से राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ किया तब से लेकर सन् १९४२ के विद्रोह तक उन्होंने हर मौके पर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और देश का साथ दिया। इस अवसर पर जब हमारे देश में फिर साम्प्रदायिक तत्व उभर रहे हैं और देश के कोने-कोने में हिन्दू मुस्लिम झगड़ों के उभरने की बात है ऐसे आदमी का उठ जाना विशेष दुख की बात है। अधिक न कहकर मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से आप से प्रार्थना करूंगा कि हमारी समवेदना आप उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री मकसूद आलम खां के निधन के सम्बन्ध में हम लोगों में से किसी को कल जानकारी नहीं थी या कम से कम उसकी याद नहीं रही और इसी कारण कल इस सम्बन्ध में हम अपने शोक प्रस्ताव को न रख सके। भूल सभी की तरफ से हुई, जानकारी तो सबको होनी ही चाहिये थी अपने पुराने साथी की, मैं भी उसमें अपने को शामिल करता हूं, मेरी भी गलती उसमें है। वह एक सच्चे राष्ट्रीय मत के मुसलमान रहे और उन्होंने कई मर्तबा जेल यात्रा भी की। अपने देश की आजादी के लिये उन में कभी भी राष्ट्रीयता की कमी नहीं दिखलाई दी। देश के सामने ऐसा भी समय आया कि बहुत से राष्ट्रीयतावादी मुसलमान साम्प्रदायिक हो गये, लेकिन जो मुसलमान आजन्म राष्ट्रीयतावादी रहे उनमें से वे एक थे। वह पुरानी सभ्यता के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

प्रतीक थे, जो रवादारी, जो आपसी मेल सब वर्गों और जातियों के आदमियों में हम देखा करते थे, सभी धर्मों के लोगों में देखा करते थे वह उनमें हम पाते थे। वह बड़े मिलनसार और मीठी तबियत के थे। इन गुणों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हर एक आदमी को उन के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता था, इतने शुद्ध आचरण के वे थे और इन गुणों का प्रकाश उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखलाई देता था। ऐसे सज्जन के उठ जाने से ऐसे समय में जब कि फिर साम्प्रदायिकता का खतरा बढ़ाने का लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिये एक दुख की बात है। इस सदन के नेता और अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने जो भावनायें और विचार प्रकट किये हैं वह उनके परिवार के पास मैं भेज दूंगा। अब हम २ मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई कामरोको प्रस्ताव कल और आज आये और उनके जो विषय हैं उनको मैंने बहुत गौर से देखा वे सभी विषय ऐसे हैं जिन पर कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के विवाद के समय हम विवाद कर सकते हैं और समुचित ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक विषय को यदि मैं ले लेता हूं कुछ महत्व के होने के कारण, तो उसके लिये दो ही घंटे मिल सकते हैं,लेकिन तीन रोज जब हर विषय के ऊपर बहस करने का अधिकार माननीय सदस्य को है तो मैं यह सोचता हूं कि उसी बीच में जो महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य समझें उन पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट वे कर सकते हैं और मंत्री महोदय से जवाब भी हासिल कर सकते हैं। इसलिये मैं इनमें से एक को भी अनुमति नहीं देता कि पेश किया जाय।

इसी प्रकार नियम ५२ के अन्तर्गत भी बहुत से विषय उठाये गये हैं और ध्यान आकृष्ट करने के लिये दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में भी मेरा यही मत है कि ये विषय भी अभिभाषण के विवाद के समय उठाये जा सकते हैं और उन से ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जहां तक उसमें अन्न की समस्या के और सस्ते गल्ले की दूकानों के खोलने के सिलसिले में प्रश्न है, उस सम्बन्ध में यद्यपि पृथक वक्तव्य देने के लिये मैंने इजाजत मंत्री जी को नहीं दी है तब भी मैं यह चाहूंगा कि सम्बन्धित मंत्री जब एक दो भाषण हो जाय राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर तो वह अपना भाषण दे दें। इससे अगर टीका टिप्पणी किसी को करनी हो या सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। और यदि वह इस वक्त तैयार न हों तो मैं इतनी इजाजत और उनको दे सकता हूं कि थोड़ी-सी सूचना इस सम्बन्ध में सस्ते गल्ले की दुकानों के बारे में, विशेषकर पूर्वी जिलों में जहां पर कि बड़ी कठिनाई अन्न प्राप्त करने की है—अगर वह देना चाहें तो मैं पांच मिनट का समय उनको दे सकता हूं। वह संक्षेप में इस विषय पर कह सकते हैं। बाकी इसमें किसी को भी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जरा एक निवेदन करना है। आपने तो श्रीमन उस सम्बन्ध में कह दिया, लेकिन मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इटावा में पांच आदमी ११ दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज माननीय कमलापति जी से फोन पर बात भी की गई थी और उन्होंने कहा कि कुछ सूचना मांगी है और अध्यक्ष महोदय के पास कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी आया है। तो इस सम्बन्ध में जो सूचना आई है वह तो बता दें, तो जो हमको आवश्यक कार्यवाही करनी हो उसे हम कर सकें। सूचना आ भी गई है उनके पास।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप कृपया बैठिए। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी श्री राजनारायण जी को इस सम्बन्ध में सूचना दे दें। सदन में इस बारे में सूचना देने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि यह एक जिले का सवाल है। और चूंकि खाद्य का और

दूकानों का जो प्रश्न है वह केवल एक जिले से ही नहीं, बल्कि प्रान्त भर से कुछ न कुछ अंश में संबंधित है, इसलिये मैं चाहता था कि इस विषय में बहुत से लोग जानकारी चाहेंगे---खाद्य मंत्री जी अगर कुछ संक्षेप में सूचना दें तो वह इस वक्त दे सकते हैं।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, जैसी कि आपने आज्ञा दी कि एक दो भाषण के बाद मैं इस पर बोल लूं, तो वह ज्यादा न्याय करूंगा अपने साथ भी और सदन के साथ भी।

श्री अध्यक्ष---दो एक भाषण के बाद आप बोल लें।

श्री राजनारायण---वहां आदमियों के जीवन मरण का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष---वह सूचना आपको थोड़ी देर में दे दें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---भाषण तो वह दो एक भाषणों के बाद देंगे, लेकिन अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष---मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, वह सूचना तो दे दें कि...

श्री अध्यक्ष---वह बता देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---हमने भी इसी सम्बन्ध में दिया था।

श्री अध्यक्ष---सब के लिये मेरा एक-सा ही जवाब है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज कुछ मामलों पर जो आपने रूलिंग दी यह तो शिरोधार्य है। लेकिन कालिंग अटेंशन का नोटिस अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स के विषय के सम्बन्ध में दिया जाता है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी बयान दे दें। क्योंकि प्वाइंटेडली हम एक विषय पर अटेंशन काल करना चाहते हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि जिस विषय पर हम अटेंशन ड्रा करना चाहते हैं वे विषय मंत्रियों से भाषण में छूट जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आम वाद-विवाद में चर्चा करते हैं, लेकिन मंत्री जी जवाब देते वक्त उस विषय पर मौन रह जाते हैं। तो जिस स्पेसिफिक प्वाइंट पर हम अटेंशन काल करना चाहते हैं और उसका जवाब नहीं आता तो वह अटेंशन काल करना ही हमारा व्यर्थ हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---मैं उसको तत्काल संबंधित मंत्री के पास भेज देता हूं। मैंने इसी-लिये उनका ध्यान आकृष्ट करा दिया कि वह नोट कर लें और अपने भाषण में उसका जिक्र कर दें। इसीलिये सूचना दे दी।

श्री उग्रसेन---हम लोगों ने जितने प्रश्न उठाये हैं सब का जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, खाद्य सम्बन्धी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मुझे यह निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, कि कालिंग अटेंशन वाला जो प्रश्न है उसके द्वारा सिर्फ मंत्री जी का ही ध्यान आकर्षित नहीं करना है अपितु आपका ध्यान भी और सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना है। और मैं अपनी परेशानी बता दूं कि जितनी परेशानियां और गालियां मुझे अनाज के मामले में उठानी और सुननी पड़ी हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप जब भाषण देंगे तब बता दें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जैसी व्यवस्था आपने दी उसके अनुसार देखा जाय, मान लिया जाय कि मैं इटावा के बारे में यहां बोल रहा हूं और मैं माननीय कमलापति जी को बाध्य नहीं कर सकता कि जब मैं बोलूं तो वह सदन में उपस्थित रहें और जो हम कहें उसका जवाब भी दें। ऐसा पहले हुआ है। इसलिये मैंने कहा था कि ५ आदमियों के जीवन मरण का प्रश्न है, डाक्टर की जो रपट है उनके सम्बन्ध में उसको श्री भजनलाल जी लाये हैं.....

श्री अध्यक्ष—वह इनक्वायरी करके आपको बता देंगे।

श्री राजनारायण—अगर वह अभी बता देते तो हम सवाल करते।

श्री अध्यक्ष—प्रश्नोत्तर का कोई सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण—इस कठिनाई को आप कैसे दूर करेंगे। थोड़ी सी जो इत्तला उन्हें मिली होगी वह देंगे, उसके ऊपर आप भाषण कर लीजियेगा...

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, जंगल विभाग और पुलिस विभाग ने पंडित बेनी माधव के यहां जो लूट मचायी है...

श्री अध्यक्ष—आप मेरी बिना इजाजत के न बोला करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था जो अत्यन्त आवश्यक विषय से सम्बन्धित था। और सदन उसके बाद तत्काल ही बैठा है। कई लाख विद्यार्थियों के जीवन-मरण का प्रश्न है। विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है...

श्री अध्यक्ष—आप इसका जिक्र अपने भाषण में कर सकते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव कल दिया था कि लहरपुर, जिला सीतापुर में जिस झर्राटे के साथ गोली चली, जब कि वहां हिन्दू मुसलमान टेंशन नहीं था....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अनुचित बात कर रहे हैं। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी.....

श्री शिवप्रसाद नागर—मैं इजाजत नहीं चाहता हूं। एक मुश्किल यह है मैं आपका ध्यान आकर्षित न कर सका और जनरल डिबेट में मुझे मौका न मिला इसलिये मेरी बात रह जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो जानकारी मंत्री जी ने हासिल की हो वह दे दें।

श्री अध्यक्ष—सब देंगे।

१४ मार्च, १९५९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब दिनांक १४ मार्च, १९५९ को विधान सभा के सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह द्वारा पूछे गये अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ से संबंधित श्री गोविन्दसिंह बिष्ट द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य दिया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मेरी एक वैधानिक आपत्ति है। इस तरह से जो उत्तर शुद्ध किया जाता है तो यह उत्तर कम से कम एक दिन पूर्व मिल जाना चाहिये। आज यह उत्तर मुझे साढ़े ११ बजे सदन में आने के उपरान्त मिला। पहले मिला होता तो रिफरेंस और कांटेक्स्ट देख कर पता चल सकता कि किस सम्बन्ध में क्या उत्तर है और क्या मुझे पूछना है। तो आप ऐसी व्यवस्था दें कि यह उत्तर हमें शीघ्र मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—उत्तर आप को कभी भी मिले किन्तु अभी तो आप पूरक प्रश्न कर नहीं सकते। पूरक प्रश्न करने का आपको अधिकार इस समय नहीं है परन्तु उसके लिये इस सम्बन्ध में आप एक स्वतंत्र प्रश्न भेज सकते हैं। उसकी सूचना आप मेरे पास भेज सकते हैं और वह प्रश्न स्वीकृत होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उत्तर शुद्ध करने के लिये कोई टाइम लिमिट नहीं होती ?

श्री अध्यक्ष—गलती दुरुस्त करने के लिये क्या टाइम लिमिट होगी ? आप चाहते हैं कि गलती हमेशा बनी रहे ?

गृह-उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में १४ मार्च, १९५९ को श्री गोविन्दसिंह विष्ट के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया था :—

प्रश्न—क्या यह सहूलियत सिर्फ लखनऊ वालों के लिये सोची जायगी या बनारस वगैरह में भी जहां यह काम होता है वहां के लिये भी यह होगा ?

उत्तर—मेरे खयाल से बनारस का जो काम है उसके ऊपर तो पहले ही से माफ है। लेकिन जाहिर है कि किसी जगह के नाम से थोड़े ही सुविधा देंगे। अगर देंगे तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वह सुविधा देंगे वह चाहे जहां हो।

२—उक्त उत्तर कुछ त्रुटिपूर्ण था। सही उत्तर इस प्रकार है :—

> "बनारस का हाथ कर्घा का सिल्क उद्योग तो बिक्री कर से पहले ही से मुक्त है, लेकिन जाहिर है कि किसी जगह के नाम से थोड़े ही सुविधा देंगे। अगर देंगे तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वह सुविधा देंगे, वह चाहे जहां हो।"

आप से प्रार्थना है कि १४ मार्च, १९५९ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप जरा देखें कि अभी जो माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन पढ़ कर सुनाया जब तक इसका मूल प्रश्न न सुनाया जाय तब तक उसका कांटेक्स्ट समझ में नहीं आता। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि पहले मूल प्रश्न को सुनाया जाता और फिर अनुपूरक प्रश्न सुनाया जाता, उसके पश्चात् शुद्धिकरण उपस्थित किया जाता।

श्री अध्यक्ष—संबंधित मंत्री आइंदा के लिये यह नोट कर लें कि अनुपूरक प्रश्न के पहले मूल प्रश्न आ जाय ताकि उसका शुद्धिकरण माननीय सदस्यों की समझ में आ सकें।

३ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न ६ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—दिनांक ३ मार्च, १९५९ को विधान सभा के सदस्य श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ से सम्बन्धित माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन उपमंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य होगा।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—विधान सभा के गत सत्र के १६वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री कल्याणचन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में श्री मोहिले द्वारा पूछे गये प्रश्न और दिये गये उत्तर:—

प्रश्न—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि वहां कितने मेहतर ऐसे हैं जो किराया देते हैं और कितने ऐस हैं जिनसे नहीं लिया जाता ?

[श्री जयराम वर्मा]

मूल उत्तर—जो प्रश्न था वह यह था कि नगरपालिका की इमारत में कितने कर्मचारी रहते हैं ? तो ५० कुल कर्मचारी हैं जो नगरपालिका की इमारत में रहते हैं। उसमें मेहतरों की संख्या एकत्रित करने में समय लगेगा। उनमें कुछ से किराया लिया जाता है, कुछ से नहीं लिया जाता। जिनकी सर्विस के साथ यह लिखा रहता है कि इनको मकान दिया जायगा और जिनकी सेवायें ऐसी होती हैं कि जिनको एक खास स्थान पर रहना जरूरी होता है उनको इमारत बगैर किराये के दी जाती है।

शोधित उत्तर—जो प्रश्न था वह यह था कि नगरपालिका की इमारतों में कितने कर्मचारी रहते हैं ? तो नगरपालिका के चुंगी विभाग के समस्त मुहर्रिर तथा चपरासी तथा ९९ अन्य कर्मचारी नगरपालिका की इमारतों में रहते हैं। उनमें मेहतरों की संख्या एकत्रित करने में समय लगेगा। उनमें कुछ से किराया लिया जाता है, कुछ से नहीं लिया जाता। जिनकी सर्विस के साथ यह लिखा रहता है कि इनको मकान दिया जायगा और जिनकी सेवायें ऐसी होती हैं कि जिनको एक खास स्थान पर रहना जरूरी होता है, उनको इमारत बगैर किराये की दी जाती है।

गृह मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच से सम्बद्ध सूचना

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि पिछले सत्र में गृह मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी के सम्बन्ध में सदन में कुछ बातें कही गयी थीं। उनके ऊपर प्रत्यक्ष तो कोई आरोप नहीं था परन्तु यह आक्षेप किसी न किसी रूप में किया गया था कि कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनसे कि सिंचाई और विद्युत् विभाग में कुछ सामान खरीदा गया था। उन कन्सर्न्स से माननीय कमलापति के लड़के का घनिष्ट सम्बन्ध है और यह किसी न किसी रूप में बात उठायी गयी कि इस सम्बन्ध के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गृह मन्त्री के पद का दुरुपयोग हुआ और उस फर्म को उनके लड़के के सम्बन्ध के कारण कई प्रकार की सुविधायें दी गयीं। मैं उन चीजों के ब्योरे में नहीं जाता. लेकिन स्थूल रूप से यही बात थी।

इस सम्बन्ध में कुछ पत्र लिखे गये, छपी हुई नोटिसें देखने में आयीं, सदन में प्रश्न हुए। माननीय कमलापति जी के अनुरोध पर मैंने सदन में यह कहा था कि मैं इस सम्बन्ध में स्वयं जांच करूंगा और मैंने यह भी प्रार्थना की थी कि जो माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई जानकारी रखते हों वे मुझको अपनी जानकारी का लाभ पहुंचायें ताकि जिस जांच करने का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया था उसमें मुझको सहायता मिले। मुझे इस बात का दुःख है कि कोई बहुत सहायता तो मुझको किसी ने दी नहीं, लेकिन किसी ने सहायता दी हो या न दी हो, मैंने अपन तरीके से जांच का काम आरम्भ किया। जो सरकारी कागज मिल सकते थे उनको जमा किया, उनको देखा और इसी विचार से यह सब किया कि जब अगले सत्र में हम यहां जमा होंगे तो उस वक्त जो कुछ मेरी जांच का परिणाम होगा वह मैं सदन के सामने रख दूंगा। इस बीच में एक बात हुई। उस व्यक्ति ने जो कि सब आरोपों का केन्द्र है, यानी माननीय कमला पति जी के लड़के ने अदालत में दो मुकदमें दायर किये डिफ़ेमेशन के। एक तो उन सज्जन के खिलाफ जिन्होंने सब से पहले इस सवाल को उठाया, नोटिसें छापीं, बांटीं, खत लिखे लोगों को, श्री बनारसीदास गौड़ शायद नाम है, उनके ऊपर, उनके खिलाफ और दूसरा मुकदमा श्री राजनारायण के ऊपर, शायद उन्होंने किसी स्पीच में, ऐसा कहा जाता है, मैं जिम्मा नहीं लेता हूं, कि इन आरोपों का जिक्र किया था। मुकदमा अदालत के सामने है, मामला सबजूडिस है, इसलिये मैंने इसमें ऐसा समझा और कानूनी सलाह लने के बाद, मुझे ऐसा बतलाया गया कि ऐसी अवस्था में जब तक मुकदमा अदालत में चल रहा है, मेरे लिये इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई बयान देना गलत होगा और इतना ही नहीं मुझसे यह भी कहा गया कि जांच भी स्थगित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दी जाय। बहरहाल जांच एक प्राइवेट चीज है, लेकिन इसके बारे में मैं कोई बयान नहीं दे सकता हूं। यह परिस्थिति है। मैं आप के द्वारा सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी उसको पूरा करने में इस वजह से मैं विवश हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस आरदणीय सदन के सभी सदस्यों की ऐसी इच्छा होगी कि डिफेमेशन सूट, मानहानि के मुकदमें में जो प्रश्न विचाराधीन है, अदालत के सामने, वह यह है कि अमुक व्यक्ति जो वादी है, कम्पलेनेन्ट है, श्री कमलापति जी त्रिपाठी के पुत्र, उनका नाम नहीं मालूम, और जो जांच माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने हाथ में ली है, वह केवल इतनी थी कि गृह मंत्री के पद का किसी प्रकार से दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। यह दोनों अपनी-अपनी जगह पर अलग-अलग मामले हैं और जो मुझे बहुत हल्का सा तजुर्बा है उसकी बिना पर मैं बहुत इत्मीनान से अर्ज कर सकता हूं कि डिफेमेशन सूट में कभी भी इस क्वैश्चन पर अदालत फैसला नहीं देगी कि गृह मंत्री के पद का दुरुपयोग हुआ या नहीं तो जो कानूनी राय मुख्य मंत्री जी को लीगल रिमेम्ब्रेन्सर, एडवोकेट जनरल या किसी अन्य आला दिमाग से मिली होगी कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज रहे होंगे तो उसकी उपलब्धि करा दें ताकि मामले के समझने में आसानी हो। वर्ना मैं निवेदन कर दूं कि मंत्री के पद के दुरुपयोग के बारे में एक बात तो होती है कि वास्तविकता क्या है और दूसरी बात होती है हवा। दुर्भाग्यवश भारत के बारे में जो अंग्रेज कहते थे, बदनामी की बात है किन्तु वह बहुत अंश में सत्य है "East goes by rumours" यानी कानाफूसी का यहां बहुत असर होता है। मैं निवेदन करूंगा कि यह कानूनी राय जिससे कि हाथ पैर बंध गये हैं उससे अवगत कराया जाय। मैंने जैसा कि मोटे तौर पर समझा वह यह है कि यह इश्यू जो अदालत के सामने है और जो मुख्य मन्त्री जी के सामने है मिलते नहीं हैं। इस कारण हेरफेर में इस मामले को टालना मुनासिब नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं गलत कह गया कि कमलापति जी त्रिपाठी के लड़के ने दो मुकदमें चलाये हैं। उनके लड़के ने केवल एक मुकदमा बनारसीदास गौड़ के ऊपर तथा फर्म ने राजनारायण जी के ऊपर मुकदमा चलाया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, आप देखते हैं मैं कितना शांत हूं और इससे आप. . . .

श्री अध्यक्ष--मैं यह भी आशा करता हूं कि अन्त तक आप शान्त बने रहेंगे।

श्री राजनारायण--आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे हृदय में कितना कष्ट है। माननीय मुख्य मंत्री जी का एक पत्र ३ जुलाई का लिखा हुआ हमें प्राप्त हुआ। वह पत्र यह है--

"प्रिय महोदय,

आपका दिनांक १९ जून, १९५९ का पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ। हिन्दुस्तान कार्मशियल कार्पोरेशन और सिंचाई विभाग के ठेके आदि का मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण मुख्य मंत्री जी के लिये उस विषय में कोई राय देना सम्भव नहीं है।"

श्रीमन्, यह पत्र हमारे यहां कमरे में आया था। यहां से पहुंचते पहुंचते यह १३ तारीखी को डालमियानगर में मुझे मिला। १४ तारीख को मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में एक पत्र प्रेषित किया। उस समय बिहार में जितने बड़े बड़े वकील थे. . .

श्री अध्यक्ष--वकीलों की राय पर बहस नहीं होगी . . .

श्री राजनारायण--मैंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी को पत्र लिखा. .

श्री अध्यक्ष--मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपने बड़े लम्बे लम्बे खत लिखे होंगे।

श्री राजनारायण—सारांश कहे देता हूं। मैंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि जो मुकदमा दायर है उससे और आपकी इनक्वायरी से सम्बन्धित विषय से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमने कोई मान हानि की है तो कोर्ट हमें सजा देगी। हम उस सजा को भुगतेंगे। मुकदमा क्या दायर है? उस को मैं थोड़ा बता दूं। आप की समझ में आ जायगा क्योंकि आप ला जानते हैं। मुकदमा मेरे ऊपर केवल इतना दायर है कि श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी और राजनारायण में political rivalry (राजनीतिक दुश्मनी) है। श्री कमलापति त्रिपाठी का लड़का हिन्दुस्तान कार्मशियल कार्पोरेशन का डाइरेक्टर है। इसलिये राजनारायण जी इस कम्पनी को बदनाम किया करते हैं और कहा करते हैं कि शायद उसके जरिये सामान अनियमित ढंग से सरकारी विभागों को दिया जाता है। मुझे श्रीमन्, यही कहना है कि मैंने जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा उसी पत्र में लिखा था कि हमारी नियमावली में यह है कि अगर कोई मामला सबजुडिस हो तो उस सम्बन्ध में कोई सवाल विधान सभा में न उठे। लेकिन यह तो मामला विधान सभा में २७ फरवरी से विचाराधीन है। २७ फरवरी को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच करने के लिए कहा था। उसको साढ़े पांच महीने होने जा रहे हैं। उन्होंने कोई कार्यवाही की या नहीं हम नहीं जानते। मैंने माननीय मुख्य मंत्री को जो खत लिखा है उसमें बताया है कि इन इन विषयों पर इनक्वायरी कराइये। यहां तक लिखा है। आप हमसे और क्या सहायता चाहते हैं बताये हम हर समय सहायता देने के लिये तैयार हैं। इतना होने के बाद अगर हम उनकी बात मान लें तब तो किसी भी विधान सभा की किसी भी इनक्वायरी को रोका जा सकता है। जैसा कि मूंधड़ा कांड के सम्बन्ध में पार-लियामेंट में सवाल उठा था, किसी आदमी से कोर्ट में मुकद्दमा दायर करा के किसी भी कार्य-वाही को रोका जा सकता था। एक बहुत बड़ा मामला हमारे सामने आता है। मैं आप से पूछता हूं. . .

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने बहस शुरू कर दी। आप क्या जानना चाहते हैं कि कानूनी राय क्या है? ऐडवोकेट जनरल की राय जानना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन आप कानूनी बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—जरा आप सुन लें। जरा थोड़ा-सा मौका दें।

श्री अध्यक्ष—कानूनी बहस मत कीजिये।

श्री राजनारायण—मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति के मार्ग में कोई भी सबजुडिस मामला हिन्दुस्तान कार्मशियल कार्पोरेशन का नहीं आता। सरकार ने ठेका दिया या नहीं दिया, टेंडर लेकर ठेका दिया या नहीं दिया, सामान संबंधित व्यक्ति को मिला या नहीं इसका सम्बन्ध उससे नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं . . .

श्री राजनारायण—डिटेल में इसलिये जा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो कम्प्लेंट है वह बहुत मामूली है और यह लिखा हुआ है कि हमारी और पंडित कमलापति जी की राइवलरी है, तो अब कोर्ट को यह साबित करने दीजिए। अब एक और राजा साहब कोई हैं, राजा त्रिविक्रम सिंह कोई कमलापति जी को मिल गये हैं, उनसे उन्हें कोई मुकद्दमा दाखिल करवा दिया[**]

श्री अध्यक्ष—मैं कोई नयी चीज इसमें शामिल करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—अब मामला केवल लड़के तक नहीं है बड़के तक मामला चल गया है। तो श्रीमन्, इस सम्बन्ध में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—वह कानूनी राय बता देंगे।

[**] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया।

श्री राजनारायण--समय क्या रहेगा श्रीमन् ? गवर्नमेंट ऐडवोकेट जनरल को यहीं बुला लें. . .

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । क्या विधान सभा में कोई यह नियम नहीं है कि एक व्यक्ति निराधार मालूम नहीं कहां से कौन कौन से मामले खोज कर के असम्बद्ध प्रश्नों को उठाता रहे और दूसरे व्यक्ति को कोई सुरक्षा न प्राप्त हो ? अभी अभी माननीय राजनारायण सिंह जी ने दूसरे अभियोग लगाने शुरू कर दिये । एक मामला था, उस पर जो फैसला हुआ हो, जांच जो की हो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको उन मुकदमों पर असर होने के बावजूद भी वह यहां रख सकते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर फैसला नहीं हुआ और दूसरा उन्होंने शुरू कर दिया कि यह किया, वह किया और बड़ा मामला उठ रहा है, तो कोई मामला उठने वाला होगा तो उठे. . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उस चीज को जो उन्होंने नयी बात कही उस को मैंने रोक दिया और वह चीज प्रोसीडिंग्स में नहीं जायगी क्योंकि वह उपस्थित विषय से सम्बन्धित बात नहीं थी ।

श्री राजनारायण--हम नयी बात तो कह ही सकते हैं श्रीमन्, जैसे कि हम भाषण देते वक्त कह सकते हैं ।[**]

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय् मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी यदि बताना चाहें तो उनसे एक बात जानना चाहता हूं और वह यह कि जिस किसी ने उनको यह कानूनी सलाह दी उसने प्रश्न के उस पहलू पर जिसकी ओर विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने ध्यान दिलाया है और जिस नुक्ते निगाह की ओर ध्यान दिलाया है और माननीय राजनारायण सिंह जी ने जो यह बात कही कि उस मुकदमे से और इस जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो इन बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने आपको अपनी राय दी या बिना विचार किये ? यह वह यदि बताना चाहें तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष--अब और तो किसी को कुछ नहीं कहना है ?

श्री राजनारायण--कहना तो हमको श्रीमन् बहुत कुछ है अगर आप आज्ञा दें सारी फाइल रखी है . . . . .

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, वह इस विषय पर तो बात समाप्त हो चुकी ।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मान्यवर, जैसा माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि ऐसे विषय में कानाफूसी जहां तक न हो अच्छा है और मैं, उन लोगों में से हूं जो माननीय कमलापति जी के प्रति बड़ा रेस्पेक्ट रखते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कानाफूसी हो तो उसमें मुझे बुरा लगता है । मैं यह चाहता हूं कि यह स्पष्टीकरण भी हो जाय जैसे कि हमारे श्रद्धेय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस विषय को जांच करने के लिये अपने हाथ में लिया है तो उस वक्त उस डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी सिद्दीकी साहब थे, वह छुट्टी पर चले गये और फिर उनका तबादला किया गया क्या इसका भी जांच से कोई सम्बन्ध है ? तो यह प्रश्न भी जांच से संबंधित हैं या नहीं इसको भी वह देख लें जब वह जांच करें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही बात है कि जैसे कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कही और उस बात का जिक्र माननीय गोविंदसिंह जी ने भी किया यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बहुत से काम रयूमर्स और व्हिस्पर्स के बल पर चला करते हैं । यह हमारे चरित्र का दोष हो सकता है, अब इसका क्या इलाज हो सकता है ? अब एक अफसर का ट्रांसफर हो गया या वह छुट्टी चला गया, तो इसको भी उसमें जोड़ लिया जाय । मजबूरी है, इसके

[**] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

लिये और क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि हमको अपने व्यवहार में इससे ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिये।

माननीय पालीवाल जी ने जो प्रश्न किया मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमने हर पहलू पर गौर किया। मैंने पहले निवेदन किया कि माननीय कमलापति जो पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं था और किसी ने अभी तक यह नहीं कहा कि उन्होंने कोई रिश्वत ली। इस तरह का उन पर कोई आरोप नहीं है। आरोप केवल यह है कि एक कोई फर्म है उससे उनके लड़के का घनिष्ट सम्बन्ध है। उस फर्म को उनके लड़के की वजह से कई तरह की नाजायज सुविधा दी गई। यह शिकायत है कि बगैर टेन्डर के उस फर्म से सामान खरीदा गया। सामान उससे नहीं लिया गया और रुपया दे दिया गया और कई जगहों पर लो टेन्डर नहीं थे, लेकिन फिर भी उससे सामान ले लिया गया। इस प्रकार की शिकायत है यही शिकायत बनारसीदास गौड़ ने अपने छपे हुये नोटिस में लिखी है। अब जो मुकदमा है आप स्वयं देखें कि उसका परिणाम क्या होगा। या तो यह साबित होगा कि डिफेमेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर डिफेमेशन साबित हुआ और बनारसीदास गौड़ कोई प्रमाण नहीं दे सके और ये सब बातें झूठी साबित होती है और मुकदमे में बनारसीदास के पक्ष की जीत नहीं होती है तो उससे यह बात स्पष्ट हो जायगी कि इसमें उनके पद का दुरुपयोग नहीं हुआ है। और यह सब बातें साबित हो जाती हैं कि उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है तो इससे माननीय कमलापति के ऊपर भी छींटा आता है। इसलिये यह चीज एक दूसरे से सम्बद्ध है और यहां पर जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उससे जाकर मुकदमें पर जरूर असर पड़ेगा। जो यहां पर वकील लोग हैं वह इसको समझ सकते हैं।

श्री राजनारायण---प्रश्न यह नहीं है, हमारा प्रश्न यह है कि आपके कांस्टीट्यूशन की धारा १९१ और १९२ बिलकुल साफ कहती है कि अगर कोई व्यक्ति स्वतः या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कारपोरेशन के द्वारा सरकार को सामान सप्लाई करने का ठेका लेता है और उसमें उनका इन्टरेस्ट है या लाभ है यानी वह उसके हित के लिये है तो वह विधान सभा का सदस्य नहीं रह सकता।

इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन्क्वायरी करें। मान लीजिये कि यह कोर्ट का मामला है .....

श्री अध्यक्ष---खाली इतना ही मामला नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन् यह कोर्ट का मामला है यह ३,४ साल चल सकता है और मान लीजिये तब तक माननीय कमलापति जी का मंत्रित्व काल भी खत्म हो जाता है और दूसरा चुनाव आ जाता है तो फिर क्या होगा। कोर्ट हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम जल्दी से फैसला करा दें। इसलिये हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी अपनी इन्क्वायरी करें उस पर तो कोई मुकदमा दायर है नहीं।

श्री अध्यक्ष---अब आप कृपया बैठें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुकदमा जो दायर किया गया वह सदन में कही गई किसी बात पर नहीं दायर किया गया। सदन के बाहर जो बातें कही गईं उन पर किया गया है। मैं राजनारायण जी को चुनौती देता हूं कि वह सदन के बाहर यदि इस प्रकार की बातें कहें तो मैं १० मुकदमे उनके ऊपर दायर करूंगा।

जहां तक सदन की बात है सदन में कही गई कोई बात पर मुकदमा नहीं चला। १९१ और १९२ का जहां तक प्रश्न है, मैं मान्यवर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इसकी दरख्वास्त आपके पास या मुख्य मंत्री जी के पास या गवर्नर महोदय के पास आई जो कांस्टीट्यूशनल अथारिटी हैं और यदि इस प्रकार की दरख्वास्त पड़ी है तो यह मामला सबजुडिस है और वह फैसला करें। हाउस में इस प्रकार से गोलमाल बातों को कहकर किसी आदमी के

खिलाफ हवा खड़ी की जाय और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया जाय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह अत्यन्त अनुचित है और इसके लिये मैं आप से सुरक्षा की मांग करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, कमलापति त्रिपाठी जी हमको ५० मुकदमें दायर करके परेशान कर सकते हैं। जरा आप उनका घमंड तो देखिये ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह गृह मंत्री होने के नाते नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले तक कमलापति जी की ऐसी हैसियत थी कि वह अपनी टूटी छत भी नहीं बनवा सकते थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरी ऐसी हैसियत थी कि मैं आप जैसे १० आदमियों को खरीद सकता था।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम अच्छी तरह से .....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब यह प्रश्न खत्म होता है। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हर पहलू से विचार करके और कानूनी राय लेकर यहां पर उन्होंने कहा है। यदि मुख्य मंत्री उचित समझें तो किसी वक्त में नेता विरोधी दल को उस राय से परिचित करा दें ।

श्री राजनारायण---मैं श्रीमन्, सदन के अपमान का प्रश्न उठाता हूं। आपकी मौजूदगी में कमलापति जी ने हमको चुनौती दी थी। मान्यवर, वह गृह मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, सूचना मंत्री हैं, सम्पदा मंत्री हैं, उनको धमकी नहीं देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप उसको लिख कर भेज दें।

श्री राजनारायण---सदन के सामने की बात है इसलिये उसको लिख कर भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---मैं उस पर फैसला दे रहा हूं। उन्होंने यह बात कही कि सदन के अन्दर जो बात कही गयी उसके विरुद्ध उन्होंने कोई मुकदमा दायर नहीं किया, बल्कि राजनारायण जी ने कोई स्पीच बाहर दी थी उसके खिलाफ मुकदमा हुआ और राजनारायण जी हिम्मत करें और जिस तरह से उन्होंने यहां लांछन लगाये हैं उसी तरह से बाहर लगायें तो वे फिर मुकदमा दायर करेंगे..

श्री राजनारायण---उन्होंने मुकदमा तो कर ही दिया है, फैसला तो होगा ही।

श्री अध्यक्ष---यह कहना कि इसमें सदन का कोई अपमान है ठीक नहीं। अगर सदन का कोई अपमान है तो जो प्रस्तुत विषय नहीं था, विषय यह था सदन के सामने कि क्या कोई सबजुडिस मामला होने पर माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर जांच जारी रख सकते हैं। इसी बीच में इस मामले को छोड़ कर इस आदरणीय सदन के एक सदस्य के ऊपर एक दूसरा हमला शुरू कर देना, यह सदन का अपमान हो सकता था। लेकिन यह प्रश्न किसी ने उठाया नहीं। किसी ने इसके लिये प्रश्न नहीं उठाया और मैं अगर कोई आवेश में कुछ कह जाता है तो स्वयं प्रश्न नहीं उठाता, उसको रोक देता हूं। मैंने राजनारायण जी को रोका और कहा कि जो चीज इर्रिलिवेंट है उसको लेकर आप आदरणीय सदन के किसी सदस्य पर आक्षेप नहीं कर सकते। बार बार मैंने रोका। और मैं समझता हूं कि जब व्यक्तिगत आक्रमण होने लगे तो जैसा गृह मंत्री जी ने मेरा प्रोटेक्शन सीक किया, उससे अधिक कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको रोकूंगा और जो कार्यवाही करनी होगी करूंगा। तो इसलिये मैं राजनारायण जी से कहूंगा कि जैसा उन्होंने कहा था कि वे शांत हैं, उसी के अनुसार वे शांत रहें, संयत बने रहें। प्रारम्भ में शांत रहें और बाद में दूसरी बात करें, यह उचित नहीं।

[श्री अध्यक्ष]

इसके लिये एक संस्कृत का श्लोक है जो मैं सुना दूं, हालां कि वह दूसरे प्रकार से उन पर लागू होता है । वह इस प्रकार है--

"नवे वयसु यः शान्तः सशांत इति कथ्यते।" जवानी जो शांत हो तो उसे शांत कह सकते हैं और जब शक्ति आपकी मेरे रोकने से क्षीण हो जाय तो शांत हुये तो क्या शांत हुये । मुझे यह यह इसलिये कहना पड़ा कि आप अपने आप शांत हो जायं तो ठीक है, बल्कि अपने मन से सोचकर पहले से शांत हो जाते तो अच्छा होता. . . .

श्री राजनारायण--मैं बिलकुल शांत हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप इन झगड़ों में बाहर निपटिये ।

श्री राजनारायण--कमलापति जी माननीय मंत्री जी हैं।

श्री अध्यक्ष--आप एक ही जगह के रहने वाले हैं।

डाक्टर सम्पूर्णनन्द--मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आपने जिन बातों के लिये रोका कि कोई नयी बातें न जोड़ी जायं यह तो ठीक है, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि यह भी सदन का अपमान है कि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य की बाबत यह कहे कि उसकी हैसियत यह थी । इस तरह की बात सदन के सामने आना बहुत बड़ा अपमान है और अगर यह रास्ता खुल जायगा कि एक सदस्य दूसरे सदस्य की बाबत ऐसी बात कहे तो पता नहीं कि यह व्यवस्था कहां तक जायगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह अनुचित है और राजनारायण जी इस प्रकार के शब्द उपयोग में भविष्य में न लायें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब कमलापति जी ने माननीय सदन से स्वयं मांग की थी कि जांचकी जाय तो राज नारायण जी का यह कहना सदन के सामने कि उन्होंने लड़के से मुकदमा दायर करवा दिया ताकि इसकी जांच न हो सके, सदन का अपमान है और माननीय सदस्य का अपमान है और इसके लिये मैं उनके खिलाफ . . . . .

श्री राजनारायण--जिनका प्वाइंट मजबूत है यह सही है कि उनको गंभीर रहना चाहिये। मैं पूरा गंभीर रहूंगा । श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदुपदेश दिया उस के लिये मैं उनका आभारी हूं और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और भूरिभूरि प्रशंसा करना चाहता हूं । मगर केवल निवेदन इतना ही है कि प्रतारणा किधर से हुई ?

श्री अध्यक्ष--मैंने निर्णय दे दिया है ।

श्री राजनारायण--मैं आपके निर्णय पर नहीं जा रहा हूं और मैं आपके द्वारा इतना ही कहना चाहता हूं कि . . . .

श्री अध्यक्ष--उन्होंने तो बात शायद वाजिब कही है ।

श्री राजनारायण--मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मैं केवल आपके द्वारा तुलसीदास जी का एक दोहा पढ़े देता हूं--

"जो तोहिं निदर हुं विप्रवर सत्य कहहुं मुनिनाथ
तौ जग मंह अस सुभट को भय वश नावहिं माथ"

किसी के सामने राजनारायण भय-वश झुकने वाला नहीं है एक नहीं, हजार कमलापति आ जायं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय पालीवाल जी ने भी एक बार प्रार्थना की थी कि जब तक आप आज्ञा न दें कोई सदस्य नहीं बोल सकता। वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। जब आप उनको आज्ञा दें तब वे बोल सकते हैं। लेकिन यह देखा जाता है कि आपकी आज्ञा के बिना बहुत से सदस्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जब तक आप उनको न पुकारें तब तक कोई सदस्य न बोले।

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था तो है ही। मैं समझता हूं माननीय सदस्य उत्तेजित कम हुआ करें और व्यवस्था को कायम रखने में मुझे सहयोग दें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं, वह यह है कि मोशन को उपस्थित करने वाले सदस्य तथा नेता विरोधी दल को ३० मिनट का समय, अन्य नेताओं को २० मिनट और अन्य वक्ताओं को १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---नियम यह है "किसी भाषण की अवधि अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना १५ मिनट से अधिक नहीं होगी :

"परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बद्ध विभाग का भारसाधक मंत्री जब वे उस पर पहली बार बोलें, २५ मिनट तक या इससे इतने और अधिक समय तक, जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बोल सकेंगे।"

अब आप चाहते हैं कि उनको ज्यादा बोलने का मौका दूं ? यह आपने मेरे ऊपर छोड़ा है तो मैं कर दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। इसके सम्बन्ध में जो नियम रखा गया है १५ मिनट के समय का वह बड़ा उचित है। सदस्यों को शिकायत रहती है कि नेता लोग ज्यादा समय ले लेते हैं, तो वही १५ मिनट का नियम कायम रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---तो फिर नियम के हिसाब से करना ही पड़ेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मुझे एक निवेदन करना था। संशोधन के प्रस्ताव कई हैं, तो क्या प्रथा चलेगी इस पर जरा प्रकाश डाल दें। एक तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी का है, एक हमारा है, एक झारखंडे राय जी का है।

श्री अध्यक्ष---एक पालीवाल जी का भी है मेरे पास आ चुका है।

श्री राजनारायण---तो क्या ये सभी संशोधन एक साथ पढ़े हुये मान लिये जायेंगे या अलग अलग पेश होंगे ? कोई व्यवस्था हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---मैं नेता विरोधी दल को पहले बोलने के लिये कहूंगा, फिर विरोधी दल के अन्य नेताओं के जो संशोधन हैं उनको उपस्थित करा दूंगा---सिर्फ नेताओं के। बाकी जो संशोधन हैं उनके सम्बन्ध में यह समझ लिया जायगा कि वह उपस्थित हो गये हैं उसके बाद बहस होगी।

श्री राजनारायण---ठीक है। लेकिन जैसे त्रिलोकीसिंह जी ने अपना संशोधन पेश किया तो उसके तुरन्त बाद हम या पालीवाल जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं जिनको बुलाऊंगा, वह करेंगे।

श्री राजनारायण--मेरा मतलब यह है कि एक तो त्रिलोकीसिंह जी का भाषण हो जायगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि कुछ सरकारी पक्ष के लोगों के होने चाहिये। फिर पालीवाल जी का हो जाय, और हम बोल लें।

श्री अध्यक्ष--तो फिर मैं नेता विरोधी दल का और पालीवाल जी का संशोधन ले लूंगा और उसके बाद सभी संशोधन प्रस्तुत मान लिये जायेंगे।

श्री राजनारायण--संशोधन तो मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष--तो क्या आप बोलना नहीं चाहते?

श्री राजनारायण--मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं डाइरेक्ट कर दूंगा, आप फिक्र मत करें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के संबोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

मान्यवर, राज्यपाल का संबोधन और उस पर वादविवाद आधुनिक जनतांत्रिक प्रणाली की जननी ब्रिटिश पार्लियामेंट का अनुसरण है। पुरानी पद्धति के अनुसार यह संबोधन शुरू में होना चाहिये था, लेकिन श्रीमन्, हमारा प्रदेश कई दिशाओं में अगुवा रहा है इसलिये इस बात में भी एक नयी प्रथा प्रदेश में कायम हुई और उसके फलस्वरूप यह संबोधन जुलाई में हुआ। अभी यह कहना मुश्किल होगा कि इस संबोधन के जुलाई में होने से कितना लाभ हो सकेगा, लेकिन एक बात तो प्रत्यक्ष है कि इसके फलस्वरूप हमें कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है जो कदाचित अन्यथा नहीं मिलता।

मान्यवर, इस प्रश्न पर विचार करते समय एक सवाल मेरे सामने आता है और मैं समझता हूं कदाचित् दूसरे माननीय सदस्यों के सामने भी आना चाहिये और वह यह कि आखिर हम किस कसौटी से इस संबोधन को जांचें और किस माप-दंड से यह निश्चय करें कि वास्तव में हमें हमारे राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिये---उनके संबोधन के लिये या हमें उन नीतियों के प्रति जिनका वह प्रतीक था, उनसे अपने को सम्बद्ध करना चाहिये अथवा नहीं। मान्यवर, एक दृष्टिकोण यह हो सकता है कि हम अपने सामने एक चित्र खींचें और उसमें कल्पना करें कि हम अपने प्रदेश को कैसा देखना चहते हैं। हम क्या क्या कार्य एक साल में अपने प्रदेश में करना चाहते हैं। मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि इस माननीय सदन के सारे माननीय सदस्य चाहे वह इस तरफ बैठे हों, चाहे उस तरफ बैठे हों उनका एकमात्र ध्येय, एकमात्र लक्ष्य यह है कि वे अपने प्रदेश को अधिक से अधिक सुखी, समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, वे अपने प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना चाहते हैं। तो मान्यवर, यदि हम इस दृष्टि-कोण से इसको जांचेंगे तो मेरा खयाल है कि वह तालिका संशोधनों की जो हमें एजेंडे के साथ दिखाई पड़ती है, वह भी कदाचित् बहुत छोटी रह जाय और उसके स्थान पर एक बड़ी पुस्तक, उन आकांक्षाओं और कल्पनाओं की जो हम अपने प्रदेश में देखना चाहते हैं, बन जाय। लेकिन एक व्यावहारिक जगत में व्यावहारिक दृष्टि से ही हम बातों को देख सकते हैं। हमारा दृष्टि-कोण केवल एक ही हो सकता है कि अपनी सीमाओं में रहते हुए, अपने साधनों और कमियों को देखते हुए और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे प्रदेश में जो कुछ किया गया या जो कुछ करने के संकल्प का संकेत है वह संतोष जनक है या नहीं। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि माननीय राज्यपाल के संबोधन पर हम उनके प्रति अवश्य कृतज्ञता प्रकट करें और उन नीतियों के प्रति जिनका उन्होंने सदन में जिक्र किया है, प्रसन्नता का भाव ही प्रकट करें।

मान्यवर, सबसे पहले महामान्य राज्यपाल महोदय ने वैदेशिक नीति, फारेन पालिसी के बारे में जिक्र किया है। फारेन पालिसी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उससे इस सदन या इस सदन के सदस्यों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब कि दुनियां इतनी छोटी हो चुकी है, कोई भी व्यक्ति वाह्य नीति से निरपेक्ष नहीं रह सकता। इसलिये यह स्वभाविक ही था कि महामान्य राज्यपाल के संबोधन में इसका जिक्र सर्वप्रथम होता। इस संबंध में महामान्य राज्यपाल ने जो पहली बातें कही हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि सदन के सारे सदस्य, चाहे वे इस तरफ बैठने वाले हों या उस तरफ बैठने वाले हों, वे उनसे सहमत होंगें। हमारी जो वाह्य नीति है संसार में उसका मान है, उसके कारण हमारे देश का आदर है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

दूसरी चीज जिसका उन्होंने बहुत संक्षेप में जिक्र किया, वह तिब्बत की परिस्थिति है। तिब्बत में जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें भी यह मानना पड़ेगा कि चीन से मैत्री और सद्भाव रखते हुए भी जो कुछ वहां हुआ उसके बारे में, प्रत्येक भारतवासी के हृदय में चिन्ता पैदा हुई है, ठेस लगी है।

महामान्य राज्यपाल ने, नैपाल में जो प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार बनी है, उस पर भी अपनी प्रसन्नता प्रकट की। मेरा विश्वास है, नैपाल जिसकी सीमा हमारे प्रदेश की सीमा से लगती है,उसमें इस प्रकार की सरकार के स्थापित होने से सब को प्रसन्नता ही होगी।

सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर महामान्य राज्यपाल ने संकेत किया वह यह कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तानाशाही स्थापित हुई है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उस संकेत के द्वारा सारे सदस्यों को अपने कर्त्तव्य की ओर प्रेरित किया है। उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि ऐसी दशा में जब कि हमारे यहां प्रजातंत्र शैशव काल में हो, किशोरावस्था में हो, जब कि वह वायु के झोंको से हिल सकता हो, हमें यह देखना होगा कि हम उन बातों से दूर रहें जिनसे प्रजातंत्र के लिये खतरा पैदा हो सकता है और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो आज पाकिस्तान में है। मैं आशा करता हूं कि सब लोग इस संकेत को समझ कर अपने कर्त्तव्य को पहचानेंगे और उसके लिये प्रयत्नशील होंगे और मैं महामान्य राज्यपाल को विश्वास दिला सकूंगा कि इस सदन का हर एक सदस्य उनकी भावना का आदर करता है और इस खतरे के लिये अच्छी तरह से जागरूक है और हमारे यहां जो परिवर्तन आया है और जिस जनतंत्र के लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं, उसके पोषण के लिये हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे।

श्रीमन्, इसके बाद महामान्य राज्यपाल ने सबसे पहले अपने भाषण में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ओर संकेत किया। स्वभाविक ही था, आज देश की प्रगति और उन्नति के लिये जितनी आवश्यकता कम्युनिटी डेवलपमेंट की है उतनी किसी दूसरे साधन की नहीं है। आज निर्माण का युग है। राष्ट्र-निर्माण ऐसे ठोस साधनों से ही संभव हो सकता है। हमारे देश में बलवन्तराय मेहता कमेटी बनी थी। उस कमेटी की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार किया गया और उसके अनुसार हम आज तक उस दिशा में अग्रसर होते रहे, लेकिन हमारे प्रदेश की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो समय बीता उसमें पाये हुए तजुर्बे को ध्यान में रख कर यह आवश्यकता थी कि एक और कमेटी बनती जो समय की परिस्थिति को देखते हुए हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करती। मुझे हर्ष है कि माननीय गोविन्द सहाय जी के नेतृत्व में मूल्यांकन जन सहयोग समिति बनी। उसने जो रिपोर्ट दी वह १७ अप्रैल को हमारे सामने आ चुकी है। उसने काफी ठोस सुझाव दिये हैं। उनके बारे में महामान्य राज्यपाल ने ऐसा आश्वासन हमें दिया है कि उन सिफारिशों पर गौर हो रहा है तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उससे प्रदेश का बहुत लाभ होगा। श्रीमन्, आज आवश्यकता है कि विलेज लेविल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वह सरल हो। जो आफिसरों की बहुतायत है वह किसी तरह से कम हो। आज आवश्यकता है कि विलेज लेविल वर्कर्स के नामों और ओहदों में जो कई नाम होने की वजह से कनफ्यूजन है वह बहुत हद तक घटे। आज आवश्यकता है कि विकास (डेवलपमेंट) के जो

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

विभिन्न विभाग हैं, विलेज स्तर पर उनमें आपस में समन्वय हो। आज इस कोआर्डिनेशन की कमी है। इन तीन चार बातों के लिये इस कमेटी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है और महामान्य राज्यपाल के इस संबोधन से मुझे आशा होती है कि सरकार कदाचित् इन सिफारिशों को कार्यान्वित अवश्य करायेगी। यह भी आवश्यक है कि आज जो गांव सभायें और गांव समाज हैं उनका फर्क खत्म हो और वास्तविक रूप में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट उनको बना दिया जाय ताकि वे अपनी शक्ति को प्रदेश की दशा अच्छी तरह से बनाने में लगा सकें। यह हर्ष की बात है कि इस कमेटी ने इस ओर ध्यान दिया है और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस दिशा में बढ़कर हम अपने प्रदेश की उन्नति के लिये एक ठोस कदम आगे को बढ़ा सकेंगे।

इसके बाद मान्यवर, महामान्य राज्यपाल ने देश की खाद्य स्थिति के संबंध में सबसे ज्यादा जोर दिया है। वह खाद्य संकट जिससे होकर हमारा प्रदेश पिछले साल निकला है, वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जैसा कि संबोधन से प्रकट है, महामान्य राज्यपाल ने खाद्य स्थिति को अच्छा करने से पहले कृषि समस्या, लाइव स्टाक, इरीगेशन समस्या, फ्लड समस्या को हल करने पर जोर दिया है। किसी बीमारी का नाम लेने से वह बीमारी अच्छी नहीं हो सकती है। उसका निदान करने से, उसका उपाय करने से ही वह व्याधि अच्छी हो सकती है। खान की समस्या नारों से नहीं दूर हो सकती। घेरा डालो आन्दोलन से, गोदाम लूटने वाले आन्दोलन से आप एक सनसनी पैदा करने तथा जनता की भड़की हुई प्रवृत्ति को सामयिक रूप से भड़काने में सफल हो सकते हैं, लेकिन उससे अन्न की समस्या नहीं सुलझ सकती है। अन्न की समस्या खरीफ आन्दोलन से, रबी आन्दोलन से और अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से सुलझ सकती है जो सरकार की ओर से चलाये गये हैं। अगर सब लोग कंधे से कंधा लगा कर अपनी सारी शक्ति ऐसे आन्दोलनों में लगाते बजाय इसके कि अपनी शक्ति दूसरे में लगावें, तो कदाचित् हम अन्न की समस्या को अधिक अच्छी तरह सुलझा पाते।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये, और अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, सरकार ने पशु धन को बढ़ाने के लिये पूरा प्रयत्न किया है। मथुरा में जो इंस्टीट्यूट है उसको उसने अप-ग्रेड तक कर दिया है, साथ ही और भी अन्य ठोस कदम उठाये गये हैं। फ्लड की वजह से जो हर साल हमारे यहां की खेती को नुकसान होता है उसके लिये भी प्रयत्न किया गया है कि आइन्दा फ्लड न आ सकें, लेकिन अभी हम उस तरफ बहुत कम आगे बढ़ सक ह। अगर इस तरफ हम एक ठोस कदम उठावें तो खाद्यान्न की समस्या मौलिक रूप से हल हो सकती है। इस काम में अगर हम एक दूसरे के सहयोग से काम करें तो इस समस्या को हल कर सकते हैं। श्रीमन्, सरकार तात्कालिक उपचार के लिये कई ठोस कदम उठाने में भी सफल हुई हैं।

आज, हमारे प्रदेश में १३ हजार के करीब फेयर प्राइस शाप्स खुली हुई हैं जहां से लोगों को गल्ला दिया जाता है। जिससे वह तेजी से बच सकें जो गरीबों के लिये अभिशाप बन गयी हैं। श्रीमन्, सरकार ने एक बड़ा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है कि लोगों को रीजनेबिल प्राइस पर इन दूकानों से गल्ला दिया जाय और आज उन दूकानों से लोगों को उचित मात्रा में गल्ला देना जारी भी है, लेकिन उसके बाद फिर भी कोई कहे कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है तो उसके लिये मैं क्या कहूं? इसके बाद सरकार ने इस दिशा में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की सिफारिशों के आधार पर स्टेट ट्रेडिंग की नीति को अपनाया और कोआपरेटिव की नीति को भी अपनाया। आज हम कह सकते हैं कि बाजार में जो आज भाव हैं उन में एक आर्टिफिशियल स्केयरसिटी है, मैं मानता हूं कि वह है और गल्ले के दाम कुछ अधिक हैं, लकिन सरकार की यह भी नीति है और सदन के माननीय सदस्यों की यह भी मांग रही है क्योंकि प्राय: देखा जाता है कि फसल के वक्त बाजारों में भाव गल्ले के कम हो जाते हैं और काश्तकारों को उन की पूरी कीमत नहीं मिलती और फसल के बाद आगे चल कर भाव

तेज हो जाते हैं और उस का लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। आज जो आर्टफिशियल स्केयरसिटी दीखती है वह उसी नीति का नतीजा है, हम चाहते हैं कि न तो फसल के समय दाम कम हों और न बाद में एक दम से तेजी आये। इस नीति से फसल के समय कुछ दाम बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन आगे वह इतिहास दोहराया नहीं जायगा जिसने पिछले साल हमें चिन्तित किया।

इसके बाद महामान्य राज्यपाल के संबोधन में शकर की बढ़ती हुई कीमतों का जिक्र है। शकर के जो दाम बढ़े उसमें हमारे प्रदेश के मिल वालों ने हमारे देश और प्रदेश की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जिस वक्त खंडसारी पर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई तो कहा गया कि खंडसारी के कम्पेटीशन के कारण उसका प्रोडक्शन घट गया। हर बात का असर होता है। प्रजातंत्र में ड्यूटी लगी और उस के खिलाफ आन्दोलन हुआ और मास डेढ़ मास तक छोटे यूनिट बन्द रहे और बाद में फल यह हुआ कि प्रदेश में खंडसारी के स्टाक खत्म हो गये। इसका मिलमालिकों ने लाभ उठाया और मन-माने दाम पर चीनी बेंचना आरम्भ की। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जो शिड्यूल्ड रेट शकर का था, जो निश्चित सरकारी मूल्य था उसमें और जिन रेट्स पर शकर बिकी उस में करीब १५ रुपया मन तक का फर्क रहा। शकर जैसी चीज के दामों में इतना बड़ा फर्क लज्जा की बात है। आज शकर उद्योग को नेशनेलाइज करने की मांग जो बढ़ रही है उसके लिये इस नीति से मिल वालों ने बल दिया है। आज यदि शुगर इंडस्ट्री को नेशनेलाइज करने की मांग पर जोर दिया जाय तो वह जायज मांग होगी। महामान्य राज्यपाल ने इस संबंध में जिक्र कर के हमारे प्रति बड़ा आभार किया है। सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाये हैं वह बड़े ठोस और सामयिक हैं और जिन से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। पहले से इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था कि मिल वाले ऐसी परिस्थिति का दुरुपयोग करेंगे, सरकार की नीति, प्रोग्रेसिव डिकंट्रोल की है और वह विवशता में ही कंट्रोल की नीति को अपनाती है और सदा ही सदन की मांग डिकंट्रोल की रही है और उसी नीति को सरकार ने अपनाया, लेकिन जब कोई दूसरा उपाय नहीं रहा तब सरकार ने पहले ५ शहरों में और फिर १७ शहरों में और फिर ५० हजार से ऊपर की आबादी के सभी शहरों में शकर के राशनिंग का प्रबन्ध किया और व्यवस्था की गई कि साढ़े १५ आना सेर के हिसाब से आवश्यकतानुसार हर व्यक्ति को चीनी दी जाय। वह केवल १५० की आय वालों तक के लिये ही नहीं या केवल २५० तक की आय वालों के लिये ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा इन्कमग्रुप वाले व्यक्ति को भी शुगर मिल सके। तो यही स्टेप्स लिये जा सकते थे इस दिशा में। मैं तो माननीय गेंदासिंह जी से यह कहता हूं कि भविष्य में ऐसी स्थिति न पैदा हो इसके लिये वे अगर सचेत रहें तो ऐसे एरियाज में जहां पर कि केवल मिलें हैं वहां वे खंडसारी को अगर प्रोत्साहन दें और उनके लिये हैल्दी काउन्टर कम्पटीशन को पैदा कर दें तो मिल वाले अपनी मनमानी करने में असमर्थ हो जायेंगे।

श्रीमन्, इसके बाद महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हमारे प्रदेश की हाउसिंग प्राब्लम का भी जिक्र किया। इसमें बहुत सफाई के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रदेश की जो हाउसिंग व्यवस्था है वह ज्यादा संतोषजनक नहीं है और उन्होंने यह भी बताया कि वह संतषजनक हो सके दो चार साल में ऐसी आशा भी नहीं है। उसका कारण प्रत्यक्ष है। हाउसिंग व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी पूर्ति केवल इच्छा से हो सके। उसके लिये साधन चाहिये। रुपया और बिल्डिंग मेटीरियल का महामान्य राज्यपाल के संबोधन में जिक्र है, सीमेंट और कोल सप्लाई पर प्रदेशीय सरकार का काबू था, वह पहले से अधिक मात्रा में और आसानी से तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध है। लेकिन इसके बाद लोहे की आवश्यकता पड़ती है। लोहा प्रदेशीय सरकार के काबू में नहीं है। उसके लिये हमें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र से बार बार मांग करते हुए भी हमने देखा कि वह उचित मात्रा में नहीं मिल सका और ऐसा लगता है कि कदाचित् ही मिल सके। यू०पी० टेम्पोरेरी रेन्ट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, जिसका संबंध हाउसिंग से है, उसके बारे में महामान्य राज्यपाल ने कहा कि उसमें समुचित संशोधन पर सरकार विचार कर रही है।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

इसके बाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय ने सहकारिता के बारे में जिक्र किया। आज सहकारिता के क्षेत्र में, कोआपरेटिव के क्षेत्र बें जो कदम हम उठाने जा रहे हैं और जो निश्चय सरकार ने किये हैं उनको अगर क्रांतिकारी कदम कहा जाय, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम कहा जाय तो ठीक है। कदाचित अब से दो चार साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हम इस हद तक जा सकेंगे। जो निश्चय किये हैं उसकी प्रतिक्रियायें भी हैं, स्वतंत्र पार्टी का जन्म और राजा जी का रुख भी इन निश्चयों की प्रतिक्रियायें हैं। आज सरकार यह निश्चय कर चुकी है कि जो कांग्रेस के नागपुर सेशन का फैसला है उसको जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जायेगा और उसके लिये जल्दी (लाल बत्ती जलने पर) २५ मिनट का समय था श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता--तीन मिनट शेष हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--उसके लिये श्रीमन्, एक लेजिस्लेशन आने वाला है। मैं समझता हूं हमारे लिये सबसे बड़ी खुशी की बात है।

सर्विस कोआपरेटिव हमारे मौजूदा ढांचे को बदलने के लिये सबसे मजबूत सहारा है। हमारे भविष्य की आशाओं का स्तम्भ है और मेरा ऐसा विश्वास है कि कोआपरेशन के डिटेल्स के बारे में किसी की दो रायें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जितने भी व्यक्तियों ने अपनी राय प्रकट की है सर्विस कोआपरेटिव के बारे में दो रायें नहीं हैं।

लैन्ड रिफार्मस के बारे में श्रीमन्, जैसा बताया गया, लैन्ड मार्टगेज बैंक एक बड़ा ठोस कदम था जिसको सरकार ने उठाया। दूसरा बड़ा क्रांतिकारी कदम जिसका निश्चय सरकार ने किया है और जिसके ऊपर इस सदन में लेजिस्लेचर गौर करने जा रहा है वह है सीलिंग फिक्स करने का, जोत की अधिकतम सीमा फिक्स करने का। उसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को। मैं तो समझता हूं कि समय की मांग थी और है कि गांव और शहर, रूरल और अरबन दोनों की इन्कम की सीलिंग के संबंध में कदम उठाया जाय। यह ठोस कदम है और इसका हमें समर्थन करना चाहिये।

श्रीमन्, इसके बाद इंडस्ट्रियेलाइजेशन का जिक्र है महामान्य राज्यपाल के संबोधन में। ठीक है कि किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है वहां की इंडस्ट्रीज। हमारा प्रदेश तथा देश इस दिशा में पिछड़ा हुआ है। छोटी इंडस्ट्रीज ही एक साधन हैं जो बेकारी को दूर कर सकती हैं। उस ओर इसमें ध्यान दिया गया है। हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ भी ध्यान दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर में हमारी शिकायत है कि हमें केंद्रीय सरकार से बहुत कम इंडस्ट्रीज मिल पायी हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जहां प्रदेश की सरकार का अख्तियार था जो लाइसेंसेज दिये गये हैं वे कुछ संतोष दिलाते हैं कि प्रदेश की उन्नति हो सकेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय, रुद्रपुर में कृषि विश्वविद्यालय, में कानपुर में रीजनल कालेज, और इलाहाबाद इंजीनियरिंग कालेज जो १९६० में सम्पन्न होने जा रहे हैं, यह ऐसे कदम हैं, जिन पर हमें गर्व होना चाहिये। मैं मानता हूं इस दिशा में हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रगति की दिशा में चल रहे हैं और आशा है कि शीघ्र ही उस पिछड़ेपन को दूर कर लेंगे।

अन्तरिम जिला परिषद् बिल एक बहुत बड़ा परीक्षण है जो इस सदन में हमारे सामने आ रहा है और जो वास्तव में हमें बड़ी सहायता देगा यदि जिला स्तर पर अपना प्रशासन सुव्यवस्थित करने में हम उसका प्रयास रूप में माप करें। मैं समझता हूं उसकी डिटेल्स में जाना इस समय संभव नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि वह मेरे हृदय के नजदीक की है। वह है रिक्शा पुलिंग के लिये जो कानून बनाया जा रहा है उसके बारे में मैं तो जब बरेली नगरपालिका का चेयरमैन हुआ था, तो पहले सप्ताह में ही उनको रोकने के लिये बाइ-लाज बनाये। मैं समझता हूं बहुत अमानुषिक बात है कि गरीबी के कारण

मनुष्य रिक्शा चलाये और १० साल में ही अपने जीवन को खत्म कर दे। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है जो शुरू में अवश्य बुरा लगेगा, लेकिन अन्त में फायदेमन्द होगा।

स्लम क्लियरेंस के बारे में जो कदम उठाये जा रहे हैं वह महत्वपूर्ण चीज है। हमारी उन्नति ऊंची अट्टालिकाओं से नहीं आंकी जा सकती जितनी कि इससे आंकी जायेगी कि हमारे यहां स्लम्स कहीं भी न रहें। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं....

(लाल बत्ती जलने पर)

अगर आज्ञा हो तो २ मिनट का समय और लेलूं।

श्री अधिष्ठाता---अच्छी बात है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---डिले इन जस्टिस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सदन में प्रायः चर्चा होती रही है और उसको दूर करने के लिये और कोर्ट्स में जो करप्शन प्रेवलेंट है उसको दूर करने के लिये सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। जस्टिस मुकर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है और उस कमेटी के पीछे यह भावना होगी कि उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाय और ऐसे स्टेप्स लिये जायेंगे जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके। लेकिन इसकी सफलता सरकार की कार्यनिष्ठा पर निर्भर रहेगी। ला ऐंड आर्डर की जो हमारे देश में स्थिति है उससे संतोष होता है कि हमारे यहां इंसीडेंस आफ क्राइम घटा है। और शांति में तरक्की हुई है। इसमें सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार एक पुलिस कमीशन बनाने जा रही है, जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। आज पुलिस के पूरे ढांचे में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। नई प्रवृत्ति उनमें पैदा करने की इच्छा है। तो यह कदम भी सरकार की तरफ से उठाया गया है।

मैं यह कह कर अपना निवेदन समाप्त करूंगा कि इतने बड़े कार्य एक साल में सम्पन्न होंगे यह हमारे लिये गर्व की बात हो सकती है और इस पर हम हर्ष एवं कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय जगदीश शरण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना इसलिये आवश्यक समझता हूं कि उन्होंने अपने भाषण में ऐसी महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत या चर्चा की है कि जिनकी समयानुकूल आवश्यकता थी। उदाहरण के लिये इस समय जब कि हम एक नये समाज की रचना नये ढंग से करने जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि जिन लोगों के ऊपर इसका उत्तरदायित्व है और वे लोग अपने इस कर्त्तव्य का पालन करके समाज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी कार्य गति और सफलता पर उनको बधाई देना, संतोष प्रकट करना, उनके उत्साह को बढ़ाना आवश्यक है। यदि हम अच्छे ढंग से काम करने वाले व्यक्ति का उत्साह बढ़ाते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि हम उसको आगे बढ़ने के लिये शक्ति देते हैं। इसलिये मैं इस अभिभाषण के लिये श्री राज्यपाल के प्रति आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

मुझे इस अभिभाषण में आभार प्रकट करने का दूसरा मुख्य कारण यह मिला कि श्री राज्यपाल ने सदन के माननीय सदस्यों को भी उनके कर्तव्यों की ओर उनका ध्यान दिलाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि माननीय सदस्य अपने कर्त्तव्यों से परिचित नहीं हैं परन्तु इसका सीधा साधा तात्पर्य यह है कि सदस्यगण अपने कर्त्तव्यों से सचेत रहें और हमें यह जानकारी रहे कि हम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये हमें क्या-क्या करना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल ने अपने भाषण के प्रारम्भ में देश की वैदेशिक नीति का जिक्र किया और उन्होंने स्वयं भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यों तो उनकी सरकार का सीधा सम्बन्ध वैदेशिक नीति से नहीं है, लेकिन यह बात निश्चित ही है कि किसी प्रकार भी हम उस वैदेशिक नीति के फलों से बच नहीं सकते यों इसका बनाना या बदलना हमारी केन्द्रीय

[श्री महीलाल]

सरकार का अधिकार है । इसलिये आवश्यक था कि वह इस ओर भी इस माननीय सदन का ध्यान दिलाते । इसके लिये उनका आ ार प्रकट करना स्वाभाविक ही है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल ने जो बात इस सम्बन्ध में कही है वह यह कि एक प्रकार से सभी लोग, या देश के करीब करीब बहुसंख्यक लोग श्री नेहरू की वैदेशिक नीति से सहमत हैं । यह दूसरी बात है कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हों जो देश की वैदेशिक नीति से सहमत न हों और वह भी जिन्दा दिली का सबूत है । विचारों में मतभेद होना ही चाहिये, लेकिन यह बात निर्विवाद है कि आज तक की वैदेशिक नीति सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय रही है और उसी का फल यह है कि यह देश संसार के अन्य देशों में एक ऊंचा खयाल व स्थान प्राप्त कर सका है और हमें ऊंचा माथा करके बैठने का मौका मिला है ।

इसके पश्चात् महामान्य राज्यपाल ने अपनी सरकार के कार्यों व उनकी सफलताओं के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है कि किस तरह से काम चल रहा है उस पर संतोष प्रकट किया है । उनके भाषण से यह सिद्ध नहीं होता कि वे इस कार्य की प्रगति को पूरा मानते हैं या उनकी सरकार जिस ढंग से काम रही है उस ढंग में किसी वृद्धि या अभिवृद्धि के लिये वह सहमत नहीं हैं । मान्यवर, यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि हमारा प्रदेश जिसका प्रतिनिधित्व यह माननीय सदन करता है की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है । हमारे इस प्रदेश के करीब ८० प्रतिशत लोगों की आजीविका का साधन केवल कृषि ही है । कृषि उत्पादन पर ही इस प्रदेश का मजबूत और कमजोर होना निर्भर करता है । इसी विचार से यदि हम अपनी सरकार के कार्यों पर जिन पर महामान्य राज्यपाल ने प्रकाश डाला है दृष्टि डालें तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि सरकार का प्रयत्न प्रशंसनीय और सराहनीय रहा है । सरकार की कोशिशें ऐसी रही हैं कि जिनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि कोई कमी वर्तमान साधनों के अन्तर्गत रह गयी है । यह दूसरी बात है कि दैविक आपत्तियों अथवा अनावृष्टि और अति-वृष्टि के कारण सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर सकी हो । यह हम सभी जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारा प्रदेश और देश खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गये थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे सामने दैविक आपत्तियों का तांता आया तो अचानक ही हमारे यहां अनाज की कमी हो गई । श्री राज्यपाल ने इस ओर विशेष ध्यान दे कर अपने अभिभाषण में इस की पूरी चर्चा की है और उन्होंने यह बताया है और हम भी जानते है कि रबी व खरीफ आन्दोलनों द्वारा और दूसरे प्रकार से अपनी पूरी शक्ति लगा कर प्रदेश के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई कसर नहीं उठा रखी है ।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सरकार ने जो प्रयत्न किए उनकी चर्चा किये बिना हम नहीं रह सकत और श्री राज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में उनकी चर्चा की है । हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और दूसरे तरीकों से यह प्रयत्न किया कि हमारे यहां अनाज का अभाव न होने पाये और ऐसे क्षेत्रों में जहां अनाज का बहुत कष्ट पाया गया वहां सस्ते से सस्ता गल्ला पहुंचाने की कोशिश की ।

इसके अलावा जो प्रगतिशील फैसले कांग्रेस संस्था ने नागपुर के सेशन में किये उसकी चर्चा श्री राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में अपने अभिभाषण में की और में उसके लिये उनको इसलिये भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी प्रान्तीय सरकार ने उन निश्चयों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये जिस शीघ्रता और दृढ़ता के साथ कोशिश की है और आगे उस का एक मूर्त्त रूप हमारे सामने शीघ्र ही आने वाला है । वह है राज्य व्यापार की योजना, जोत सीमा निर्धारण की योजना और सेवा सहकारिता की योजना । जिनके सम्बन्ध में निकट भविष्य में ही सरकार की ओर से विधेयक आने वाले हैं । मैं ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी जानकारी यह है कि यह कदम जोकि तमाम देश के लिये उस संस्था ने जिस के हाथ में केन्द्र की और एक प्रान्त को छोड़ कर सभी प्रान्तों की सरकारें हैं उठाया है उसको कार्यरूप में परिणत करने का कार्यक्रम यदि अभी तक कहीं शुरू हुआ है तो वह सब से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में ही शुरू होने जा रहा

है। यह दूसरी बात है कि हमारे प्रदेश के कुछ राजनीतिक दल या और दूसरे लोग इन बातों से सहमत न हों लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की आर्थिक विषमता जोकि हमारे लोकतंत्र की प्रगति में बाधक है और उसको मजबूत बनाने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनके लिये यह मार्ग में रोड़ा बनी हुई है उसको मिटाने के लिये इससे अच्छा और दूसरा कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। उदाहरण के तौर पर राज्य व्यापार की योजना है। यह निश्चित बात है कि आज व्यापार का तरीका ऐसा तरीका है जिससे थोड़े से व्यापारी असंख्य लोगों का शोषण करते हैं और इससे जनता व समाज को बचाने के लिये यह आवश्यक था कि शासन का उससे सीधा सम्बन्ध होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भूमि पर निर्धारित है इसलिये जब तक भूमि का समान वितरण न हो जाय या सीमा निर्धारित न हो जाय तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। इसके बाद जो स्वरूप बनेगा उससे अधिक से अधिक अन्न उपजाने के लिये सेवा सहकारिता के अलावा दूसरा जरिया दिखाई नहीं देता। इसलिये इन तीनों चीजों को हमारी सरकार ने सब से पहले लिया है और मैं आशा करता हूं कि सरकार को इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी और मिल रही है।

अधिष्ठाता महोदय, सेवा सहकारिता के सिलसिले में मुझे निवेदन करना है कि प्लानिंग कमीशन के मेम्बर श्री श्रीमन्नारायण जी ने जो बयान मुरादाबाद जिले के धनौरा की सेवा सहकारिता की सफलता के विषय में देखने के बाद दिया है वह काफी जबाब है ऐसे लोगों के लिये, जो कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में सेवा सहकारिता सफल नहीं हो सकती हैं। मैं इन शब्दों के साथ माननीय जगदीशशरण जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये श्रीराज्यपाल के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य बिना किसी भेदभाव के, एकमत से इसे स्वीकार करेंगें और इसकी बहुमूल्यता, मार्मिकता और गम्भीरता पर विचार करने के बाद देखेंगे कि ये प्रस्ताव न्यायसंगत है और एकमत से स्वीकार करना ही चाहिये। यह दूसरी बात है कि कुछ बातों से हम सहमत न हों, सरकार के कुछ कार्यों से सन्तुष्ट न हों लेकिन यह मानना पड़ेगा कि सरकार ने जो काम किये हैं उनका रूप देहात में देखने को मिलता है और सही अन्दाजा वह लगा सकता है जो १९४७ में भारत छोड़कर चला गया हो और आज वह गांवों के रूप को देखे तो बतला सकता है कि इस बीच में हमारे यहां क्या काम हुआ है और हम कितना आगे बढ़े हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस सदन की बैठक को बुलाकर हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम इसकी सेवा कर सकें। राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में बहुत सी उन दिक्कतों का जिक्र किया है और इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया है कि जिनसे आज सारा जगत घिरा हुआ है। ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय दिक्कतों का उल्लेख उनके सम्बोधन में पाया जाता है देश के अन्दर और विशेषकर इस प्रदेश में जो मुसीबतें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान कम गया है। यह उनके अभिभाषण की मान्यवर, विशेषता है।

यह भी उनकी बड़ी कृपा हुई कि इस बार अपने अभिभाषण को समाप्त करते हुये उन्होंने यह उचित समझा कि इस सदन के माननीय सदस्यों का जनतन्त्रीय परम्पराओं की तरफ, सदाचार की तरफ ध्यान दिलाएं। यह उनकी महान् कृपा है। वह देश जिसने अहिंसात्मक ढंग से स्वतन्त्रता प्राप्त की हो, जिसने ७० साल पहले इस बात का व्रत ग्रहण किया हो कि प्रजातन्त्रीय रूप से देश में स्वतन्त्रता की स्थापना करेंगे, जिसको बारह साल स्वतन्त्र हुए हो गये हों वहां राज्यपाल से इस बात को सुनना कि शैशव काल है, अभी हमारा बचपना है कहीं भटक न जांय, कहीं कोई ऐसी गलती न हो जाय जिससे जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसको अदा न करें। यह सुन कर, मुझे माफ करेंगे, ध्यान इस तरफ जाता है कि कौन है इसका जिम्मेदार ? इसकी जिम्मेदारी है इस प्रदेश की वर्तमान

[श्री त्रिलोकीसिंह]

सरकार पर कि क्यों लोगों की आस्था आज प्रजातंत्र की ओर से हट रही ह। कोई तो इसका कारण होना चाहिये। जिनकी पांच पीढ़ियां बीत गयीं इस व्रत का पालन किये हुए, जिन्होंने उस समय भी इस व्रत का पालन किया जब कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे तो आज कौन सी बाधा आई कि इस रास्ते से बहक रहे हैं? जाहिर है कि वह बाधा है वर्तमान शासन।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--अधिष्ठाता महोदय, एक वैधानिक आपत्ति है। नेता विरोधी दल जो भाषण प्रारम्भ कर रहे हैं जहां तक मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि नेता विरोधी दल संशोधन पेश करेंगे। बाकी मान लिये जायेंगे। तो नेता विरोधी दल को पहले संशोधन पेश करना चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं माननीय सदस्य का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने उस बात की तरफ जो उनकी राय में मेरी भूल है, मान्यवर का और मेरा ध्यान दिलाया। मैं उसी पर आ रहा था। क्यों मैं संशोधन पेश करना चाहता हूं? मैंने अर्ज किया कि इतना बड़ा अभिभाषण और फिर जिस खूबी से बरेली जिला के एक सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया और उससे ज्यादा खूबी से मुरादाबाद जिला के जिन सदस्य ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, उसके बाद भी, मान्यवर, मेरे लिये यह मजबूरी है कि यह संशोधन पेश करूं। मेरा संशोधन यह कि जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय--

> "किन्तु इस सदन के सदस्यों को खेद है कि राज्यपाल के सम्बोधन में बढ़ती हुई अराजकता को दूर करने की, भू-लेख (लैंड रेकार्ड्स) अशुद्धियों को ठीक करने की, चीनी के मूल्य को बढ़ने से रोकने तथा उसके वितरण की, बेकारी को दूर करने की, तथा अन्न के बढ़ते हुए भाव को गिराने की किसी समुचित योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।"

मैं चाहता हूं कि संशोधन को आदरणीय सदन स्वीकार करे। मैं अर्ज करूंगा कि क्यों मैंने इन पांच बातों की तरफ इस सदन का विशेष ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया है। मैंने कहा है--"बढ़ती हुई अराजकता"।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि स्वयं राज्यपाल महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं। पुलिस की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स पढ़ी जांय। १२ साल की स्वतंत्रता के बाद, सीताराम कमेटी के रिआर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के ऊपर सरकार के अमल करने के बाद, पुलिस के कर्मचारियों की संख्या, में सिपाहियों से लेकर बड़े से बड़े अधिकारियों के बढ़ने के बावजूद, वायरलेस का इन्तजाम हो जाने के बावजूद, फ्लाइंग स्कवाड की योजना हो जाने के बावजूद, क्राइम बढ़ रहा है। क्या कारण है? अगर यह कहें कि इस बीच में आबादी भी बढ़ रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास आंकड़े प्रस्तुत हैं और यह दलील नहीं लग सकती। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और बार बार निवेदन करता रहूंगा जिस समय तक यह बात स्वीकार नही हो जायेगी, कि एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी का पृथक्करण हो, यही दशा रहेगी। वही अधिकारी न्याय करते हैं और वही प्रासीक्यूट। जूडिशियल आफिसर्स जिनकी चुटिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स और कमिश्नर्स के हाथ में है, यदि वह उनके हाथ में नहीं है तो क्यों उनको हाई कोर्ट की मातहती में नहीं कर देते। इस प्रश्न पर मैं पहले भी कह चुका हूं इसलिये महज संकेत मात्र मैंने कह दिया।

लेकिन उससे बड़ी एक और मौलिक बात है मान्यवर और वह है आर्म्स ऐक्ट का जारी रहना। इंडियन आर्म्स ऐक्ट कब बनाया गया? १८६० में। क्यों बनाया गया? १८५७ में इस देश में विद्रोह हुआ उस समय की विदेशी हुकूमत के खिलाफ जनता के हाथ में अस्त्र शस्त्र थे। उनका इस्तेमाल हुआ। थोड़े समय के लिये ही सही उस समय का अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया। फिर भी उनकी हिम्मत नही पड़ी कि शस्त्रों पर प बंदी लगाएं। १८६० में महज यह कानून बना कि आर्म्स विदेशों से यहां आयें तो क्या ड्यूटी पड़े, यहां से विदेशों में भेजे जांय तो क्या पड़े, इसका कानून बना। उसके १८ साल बाद १८७८ में पहली बार उस विदेशी

सरकार की यह हिम्मत हुई कि बन्दूक और रिवाल्वर के ऊपर लाइसेंस की योजना लागू करे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बहुत नम्रतापूर्वक कि आर्म्स ऐक्ट के द्वारा इस प्रदेश की जनता को डिसआर्म किया गया है, उसका निशस्त्रीकरण किया गया है। संसार के इतिहास में, जनता के राज्य में कोई भी सरकार अपने यहां की जनता को डिसआर्म करे, उसका निशस्त्रीकरण करे, ऐसा न कभी हुआ है और न आगे कभी इसकी मिसाल किसी अन्य सभ्य देश में मिलेगी।

किसे बचाना चाहते हैं। डाके पड़ते हैं। कभी सुना गया कि डाकू के पास फायर आर्म्स न हों? कभी ऐसा कोई केस रिपोर्ट हुआ है? डाकू को तो इसकी सहूलियत है कि वह लाइसेंस या बगैर लाइसेंस के, किसी भी तरह हो, फायर आर्म्स अपने पास रखे और जो समाज का अंग शान्तिपूर्ण ढंग से अपना जीवन बिताना चाहता है, उसके लिये लगा है आर्म्स ऐक्ट। वह मजबूर है बन्दूक नहीं रख सकता, रिवाल्वर नहीं रख सकता चाहे उसकी जान भले ही चली जाय। उसके लिये उसे दरख्वास्त देना पड़ता है। और इजाजत लेनी होती है। यह कहा जा सकता है कि अगर लाइसेंस हटा दिया जाय तो अराजकता बढ़ जायगी। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जाने दीजिये मुगलों के जमाने को। क्या मैसूर रियासत में १९४७ के पहले, लाइसेंस था फायर आर्म्स के ऊपर, क्या बड़ौदा में १९४७ में लाइसेंस था, फायर आर्म्स पर नहीं था। लेकिन वहां अराजकता किसी तरह से उत्तर प्रदेश की अराजकता से बढ़ी चढ़ी नहीं थी। दरअस्ल कम थी। यह बात सर्वमान्य है। सारे यूरप में फायर-आर्म्स के रखने पर लाइसेंस नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में है। और यदि यह सरकार आशा करे कि इस प्रदेश में अराजकता को बिना आर्म्स ऐक्ट को रिपील किये हुए रोक सकते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नहीं। एक नहीं ७२ पुलिस कमीशन मुकर्रर कीजिये, ए० एस० पी०, डी० एस० पी०, एस० पी० चाहे कितने मुकर्रर करिए डाके, कत्ल, चोरियां नहीं रुक सकतीं। कारण यह है कि जो कमजोर हैं जिन्हें अपने को डिफेंड करना है उनको हथियार रखने की सुविधा नहीं है, क्या पुलिस कहीं उनकी रक्षा कर सकती है? १०० गांवों के बीच में एक थाना जिसमें ८ कांस्टेबिल। तो ८ कांस्टेबिलों से कहीं १०० गांवों की रक्षा हो सकती है। अगर रक्षा होनी है तो जनता को, जिसको डिसआर्म किया है, उसको आर्म कीजिये। यानी आर्म्स ऐक्ट को समाप्त करिए।

यह मैं जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह सही है कि आर्म्स ऐक्ट का मसला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है लेकिन इस सरकार को या इस विधान सभा को पूरा अधिकार है कि वह पार्लियामेंट को इसकी सिफारिश करे कि आर्म्स ऐक्ट को रिपील किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गौर किया जाय तो सन् १९५७ में घृणित अपराधों की संख्या २४ हजार से अधिक थी। पुलिस कितनी एफिशियेन्ट है कि २४ हजार में से ८ हजार अपराधों के सिलसिले में मुकदमे चले यानी एक तिहाई पर क्या यह प्रदेश में अराजकता नहीं है? दो तिहाई अपराधियों के विरुद्ध कुछ हुआ ही नहीं और उनमें से महज ५ हजार मुकदमों में सजा हुई। यानी ८० प्रतिशत अपराधी बच गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि आर्म्स ऐक्ट के रिपील करने की बात की तरफ ध्यान न जाना इस प्रदेश के लिये अफसोस की बात है और इस सरकार के लिये एक कलंक है।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हैरत हुई जब माननीय प्रस्तावक ने अपने भाषण में यह जिक्र किया कि गतवर्ष गोदामों पर कब्जा करने का आन्दोलन सृजित अपराध था। राज्यपाल महोदय ने तो इन्तहाई कर दी जबकि उन्होंने उसी पैराग्राफ में, जिसमें दो डाकुओं का जिक्र किया, इस आन्दोलन का भी जिक्र किया है। दो डाकुओं को मारना और इस आन्दोलन को दबाना, दोनों राज्य के लिये काबिले तारीफ बात है। लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के मुंह में यह बात शोभा नहीं देती। उस आन्दोलन के फलस्वरूप इस सरकार ने आल पार्टीज फूड कमेटी बनाई। उनको अब डाकू कहना भलमनसाहत से गिरी हुई बात है। राज्यपाल महोदय ने सत्याग्रह का भी उसी सिलसिले में जिक्र किया है। कुछ समय और

[श्री त्रिलोकीसिंह]

बीतने दें। थोड़े दिनों की बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार अराजकता को रोकने में असफल रही है यह निर्विवाद है आगे भी इसके लिये विशेष कदम उठाने नहीं जा रही है। पुलिस कमीशन की स्थापना से यह नहीं रुक सकती ।

दूसरी बात जिसका इस प्रदेश की जनता से सीधा सम्बन्ध है यानी लैंड रिकार्ड की अशुद्धि का मैं जिक्र करना चाहता हूं। गतवर्ष मैंने राज्यपाल के सम्बोधन के वादविवाद पर इसका जिक्र किया था। अपनी कही हुई बातों को कभी कोट नहीं करना चाहिये यह भलमनसाहत का या किसी भी महफिल का दस्तूर नहीं है। लेकिन इस राज्य की सरकार को महज याद दिलाने के लिये २२ जुलाई ५८ की प्रोसीडिंग से कोट करना चाहता हूं। सफे ११० के अनुसार मैंने गत वर्ष यह कहा था कि यहां ऐसे किसान मौजूद हैं जो जमीन जोतते हैं लेकिन उन पर लगान नहीं पड़ता। ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीन एक बिस्वा भी नहीं है लेकिन तब भी ६ साल से लगान दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि कोई गांव अपनी पसन्द का ले लीजिये तो यह सिद्ध होगा कि किसी राज्य में भी ऐसा अन्धेर नहीं है। इस औसत से हिसाब लगायें तो डेढ़ करोड़ के लगान का सरकार को प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है। पाप वह है जो सर पर चढ़ कर बोले। राज्यपाल अपने सम्बोधन में यह कहते हैं कि भूमि अभिलेखों में अशुद्धियों का पता लगा कर और उन्हें ठीक करके भू-राजस्व की मांगों को शुद्ध करने की योजना भी इस वर्ष अप्रैल से कार्यान्वित की जा रही है। अन्दाजा है कि इस योजना से लगभग दो करोड़ रुपये की अनावर्त्तक शुद्ध आय होने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण का भार बढ़ाये बिना ही इससे राज्य के भू-राजस्व में स्थायी रूप से वृद्धि हो जायगी ।

कहा जाता है कि एक एक पैसा बचाना है। इस प्रदेश की जनता गरीब है, उसकी चमड़ी यह सरकार उधेड़ रही है टैक्स के रूप में और अगर उन्हीं की बात स्वीकार की जाय तो जमींदारी अबालिशन के बाद दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह फीगर्स उनके हैं। और आगे भी रेकरिंग इन्कम ५० लाख रुपये की, बोर्ड आफ रेवेन्यू का अनुमान ह, बढ़ जायगी। फिर भी इस सरकार की कोई योजना नहीं है कि लैंड रेकार्ड्स की सेहत ठीक तौर से करा दे। क्यों नहीं इसका रैंडम सर्वे किया जाता है। ७५ फीसदी लैंड रेकार्ड्स में अशुद्धियां हैं, सरकार को यह बात स्वीकार है। प्रदेश में कुल १ करोड़ २२ लाख खातेदार हैं, अगर ७५ फीसदी गलती मान ली जायं तो मान्यवर मानना पड़ेगा कि ९० लाख के करीब गलतियां हैं। १ करोड़ २२ लाख में ९० लाख जहां गलतियां हों, उनको शुद्ध करने की कोई बात नहीं लेकिन खबर लगी कि रुपये का नुकसान हो रहा है तो केवल उस हेतु रेकार्ड्स आपरेशन होने लगे। यह जितना प्रयत्न रहा है सिर्फ मालगुजारी बढ़ाने के लिये है ।

जो हुक्म बोर्ड आफ रेवेन्यू ने निकाला है उसमें ही लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी के नाम का गलत इंदराज हो तो कोई मतलब नहीं, ठीक करने का। जहां सरकार की मालगुजारी छिपी हो, अगर बाग कट गया हो, उस जमीन में खेती हो रही हो, अगर पुरानी माफी हो, रकबा कम हो, तो मालगुजारी बढ़ा दो, लेकिन नाम की अशुद्धि अगर हो तो कोई बात नहीं। इससे ज्यादा क्या अत्याचार हो सकता है ? ९० लाख खातेदार जो इस प्रदेश के हैं और जिनकी मुकदमेबाजी तहसील में होती है, अगर उनका बाप मर गया तो साल भर तहसील की दहलीज चूमें तो भी उनका नाम नहीं लिखा जाता और माननीय सदस्यों को खुद इस बात का अनुभव होगा कि जब दाखिल खारिज होता है तो ७ पुश्त के पुरखे याद आ जाते हैं तो भी नहीं हो पाता। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरकार के यह करम हैं उसके लिये हम शुक्रिया का प्रस्ताव पास करें यह समझ के बाहर की बात है ।

चीनी का जिक्र किया गया। कौन नहीं जानता कि आज लखनऊ में चीनी १ रुपये २ आने सेर बिक रही है। इस सरकार ने बड़ी शान से यह बात कही कि प्रदेश में उसने ३,०००

टन चीनी का वितरण कराया। दूसरी बात कही कि मई के महीने से व्यवस्था बिगड़ी। जुलाई के तीन दिन बाकी रह गये हैं। फिर भी व्यवस्था नहीं हो पायी। इस प्रदेश की आवश्यकता के लिये २५,००० टन चीनी की ज़रूरत है। २२,००० टन क्यों छोड़ दी? फिर जून में १७,००० टन कर दी। ८,००० टन फिर छोड़ दी? अभी ५,६ दिन की खबर है कि वह ८,००० टन भी उन्होंने ले ली। इन तीन महीनों के अन्दर उत्तर प्रदेश की जनता जो १ रुपये, २० आने, १८ आने सेर चीनी लेनी पड़ी उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार यह सरकार है और माननीय सदस्य जो इस आदरणीय सदन में मौजूद हैं--मंत्री जी समेत--वह इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि सहारनपुर से लेकर बलिया तक २० आने, २२ आने, १८ आने सेर चीनी बिकी और आज भी बिक रही है। एक माननीय सदस्य कह रहे हैं "२४ आने" तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये सारी सहूलियतें, ये तनख्वाहें, ये रहने की कोठियां और ये गर्मियों में नैनीताल के रहने की आसायश, काहे के लिये हैं? मेरा मतलब सरकार से है। हालत यह है कि यहां की जनता २० आने, २२ आने सेर पर चीनी खरीदने के लिये मजबूर हुई, एक एक दाने के लिये तरसी और उनसे खुली मुनाफाखोरी की गई। यह दुःख की बात है।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये इस सरकार ने क्या किया? आज १,६२,००० बेरोजगार यू० पी० के एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड हैं और हुनर के हिसाब से १२,८६६ यानी १३,००० के करीब स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड आदमियों को कोई रोजगार नहीं मिला। अगर एक रुपया रोज का नुकसान लगाया जाय तो १३,००० रुपये रोज का नुकसान राष्ट्र का हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस अपराध की जिम्मेदार है इस प्रदेश की सरकार। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं। ४००-५०० व्यक्तियों को नौकरी दिला दी।

मुझे हैरत होती है। अभिभाषण में कहा गया है कि प्लेग से कोई मृत्यु नहीं हुई। क्या उनको खबर नहीं कि लखनऊ के अखबार में निकला कि लखनऊ से ७ मील दूर चिनहट में प्लेग हुआ, लेकिन यह कहते हैं कि कोई मृत्यु नहीं हुई। कालरा की २० साल पहले जितनी डेथ्स होती थीं उससे आज कम नहीं होतीं। आज एक नया नाम निकला है "गेस्ट्रो एंट्राइटिस"। जैसे कोई पानी को कहे "ऐकुआ डिस्टिलाटा"। तो यह एक नया नाम है पुराने कालरे का। वही शिकायत वही सिम्पटम, मार्टेलिटी भी उतनी ही। यह डाक्टरों की राय है। उधर के कोई साहब अगर डाक्टर हों तो वह इसकी ताईद करेंगे। लेकिन इसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या इंतजाम किया है?

अन्त में मैं, मान्यवर, बढ़ते हुये अनाज के दामों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ समय हुआ, माननीय खाद्य मंत्री ने दावा किया कि पिछले साल से इस साल अनाज के दाम कम हैं। उनका यह दावा गलत है, यह बात उन्होंने गलत बयान की और मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। ६ जून को माना जाता है हारवेस्ट सीजन। तो पिछले साल जो ६ जून को भाव थे वह इस साल पौन रुपया, यानी ७५ नये पैसे ज्यादा हैं। हापुड़ में अनाज का भाव १८ से २० रुपया मन है और मैं कहना चाहता हूं कि हारवेस्ट के सीजन में २० रुपया मन गेहूं की बिकवाई हुई है। इस सरकार के पास कोई दूसरा गेहूं आया था या कोई लंदन से टपक कर आया था या गुलाब के जल से सींचकर आया था कि जब रबी की फसल आयी तो अप्रैल मई में जबकि पंजाब में गेहूं का भाव १७ रुपया मन था, यहां पर २० रुपये मन बिकवाया। गौर करें, मान्यवर। यह सरकार स्टेट ट्रेडिंग की हामी है। क्या यही स्टेट ट्रेडिंग है कि जब किसान लाकर १३ रुपया मन बेचे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपना पुराना गेहूं, सड़ा हुआ गोदामों का २० रुपया मन बेचे? भाव गिरने की बात है। स्टेट ट्रेडिंग इसीलिये है। हम भी इस बात के हामी हैं कि करनी चाहिये मगर जैसे दूसरे देशों में हुई वैसी होनी चाहिये। बाजार में जाकर बाजार भाव पर सरकार को खरीदना चाहिये और अगर वह भाव ऐसा है जो जनता की बरदाश्त के बाहर

[श्री त्रिलोकी सिंह]

है तो घाटे पर उस अनाज को मुनासिब कीमत पर बेचना चाहिये जनता के हाथ । इसको कहते हैं स्टेट ट्रेडिंग कनाडा में यह किया गया । अगर अनाज का भाव गिर जाय, तो किसानों के हित में उन्हें डेफीशिएन्ट पेमेन्ट करें । सस्ते भाव पर जितना अनाज विकेगा और जो कमी होगी सरकारी भाव से, सरकार की निर्धारित दर से उस घाटे की सरकार पूर्ति करे । स्टेट ट्रेडिंग के माने हैं कि डेफीशियेन्ट पेमेन्ट किसानों के भाव गिरने की दशा में और चालू भाव में अनाज खरीद कर मुनासिब कीमत पर जनता को बेचना जो उपभोक्ता के हित में होगा स्टेट ट्रेडिंग है । और मेरा इन्टरेस्ट दोनों के इन्टरेस्ट में है । तो क्या सरकार ने ऐसा किया ? खुद सरकार का कहना हैं कि १४ रु० मन गेहूं की कास्ट प्रोडक्शन है लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसके दाम क्या नियत किये हैं, उस सरकार ने जिसकी कि यह सरकार हामी है और जिसके पीछे पीछे चलती है, १३ रुपये मन । तो जो चीज १४ रुपये मन पैदा की जाय वह १३ रु० मन सरकार के हवाले की जाय और वह भी जबरदस्ती । क्या इसे स्टेट ट्रेडिंग कहते हैं ? अगर मानोपली प्रोक्योरमेन्ट करते हैं तो यह स्टेट ट्रेडिंग नहीं है । मैं इस सरकार को, कोई नया तजुर्बा यह कर सके, इतना समझदार नहीं समझता । यह भी नहीं मानता कि यह सरकार कोई नयी विचार धारा ला रही है या कोई नया तजुर्बा करने जा रही है ।

तो मैं केवल यही अर्ज करना चाहता हूं कि अनाज खाने को नहीं मिल रहा है । आज लखनऊ में गेहूं २०–२२ रु० मन बिक रहा है और यह सरकार मार्जिनल सप्लाई ४ छटांक रोजाना की देती है । पूर्वी जिलों में दुकानें बन्द कर दीं । २० दिन पहले गोरखपुर रीजन में गांवों में भी पुनः दुकानें खोलीं लेकिन दो तीन महीने दुकान बन्द होने से जो अधिक मूल्य से अनाज खरीदना पड़ा इसका कौन जिम्मेदार है । इसकी जिम्मेदार है इस प्रदेश की सरकार मैं, तो इसे सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि इस पाप का अपराधी समझता हूं और यह पाप उनको धोना चाहिये और इसको वह धो सकते हैं अगर उन बातों पर, जिनका मैंने जिक्र किया उन पर गौर करें और जिद न करें । एक बात साल भर पहले जो मैंने कही थी वह आज उन्होंने मानी ।

मान्यवर, आज इत्तफाक से मेरी निगाह पड़ गई, लखनऊ का एक दैनिक पत्र "नव-जीवन" है जिसका सम्बन्ध उन लोगों से ज्यादा है जिनके कन्धों पर वर्तमान सरकार के चलाने की जिम्मेदारी है उसके एडीटोरियल से पढ़ना चाहूंगा । मैं माननीय गृहमंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि वह उसे सुनने की कृपा करेंगे । यह नवजीवन के एडीटोरियल की राय है:—

"उदाहरणस्वरूप डाकेजनी का मामला चोरी के तौर पर दर्ज करना पुलिस के बायें हाथ का खेल होता है । इस मुल्क की पुलिस अब जनता पर अमानुषिक अत्याचार करे यह कितनी बड़ी बिडम्बना है । पर उत्तर प्रदेश के हाथ में यह व्यापार जोरों से चलता है, थानों में पहले की बनिस्बत ज्यादा पिटाई होने लगी है ।"

मान्यवर, गौर करें यह नवजीवन का एडीटोरियल है । थानों में पहले की बनिस्बत ज्यादा पिटाई होने लगी है । यह मेरी राय नहीं है, कांग्रेस के अखबार की राय है । लखनऊ शहर के एक बड़े भारी दैनिक पत्र की राय है जिसका वास्ता इस सदन के इधर के लोगों से सीधा नहीं है हां उसकी हमदर्दी हमारे साथ हो सकती है । तो यह सोचने की बात है कि अनाज न मिले, लोग दाने दाने शक्कर को तरसें, इस प्रदेश की जनता ज्यादा दाम दे और मिलमालिक को ज्यादा मंहगा बेचने के लिये छूट और जब अराजकता बढ़ रही हो और चोरियां और कत्ल दिनों दिन बढ़ रह हों और जब हम जबरदस्ती निहत्थे बनाये गये हों, तो मैं बड़े दुख के साथ निवेदन करता हूं, हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करें । इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें, इसे स्वीकार करने से इस सरकार को बल मिलेगा, इस प्रदेश की जनता को सहारा मिलेगा और हमारी दिक्कतों के दूर होने में सहूलियत पैदा होगी । धन्यवाद ।

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक नेता पालीवाल जी ने एक बार कहा था कि अगर किसी तथ्य पर बहस करनी हो और उसके आंकड़े हों तो उन पर बहस करने से किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यदि केवल दोनों पक्ष अपने-अपने दृष्टिकोणों को ही रखते जावें तो कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। विरोधी दल के नेता ने अभी जो बात अपने मुखारविंद से कही कि राज्यपाल महोदय ने जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने के लिये हमें उपदेश दिया है, इसके माने उन्होंने यह लगाये कि हम लोग उस पथ से विचलित हो रहे हैं। जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि उन पर नहीं बल्कि सरकार पर ही है। और मैं यह कहूं कि हमारी नहीं उनकी ही जिम्मेदारी है, तो पालीवाल जी के शब्दों में कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अगर तथ्य पर विचार करें तो असली बात मालूम हो सकती है कि कमी कहां पर है। अभी जिस समय त्रिलोकी सिंह जी अन्न की बात कर रहे थे और "नवजीवन" के एडिटोरियल का उन्होंने कुछ हवाला भी दिया, तो वह पहुंच गये पुलिस पर इसके माने यह थे कि वह डंडा घुमा रहे थे कि चाहे किसी के और कहीं भी लग जाय। कहावत कि चाहे तुक मिले या न मिले मगर बोझ तो मर ही जायगा। अगर इस प्रकार हम किसी नतीजे पर पहुंचने की चेष्टा करें तो नहीं पहुंच पावेंगे। सरकार और प्रजातांत्रिक प्रणाली तभी चल सकती है जब हम अपना अपना कर्त्तव्य पालन करें। अगर हम उसमें सतर्क और सचेष्ट रहे हैं तो विरोधी दल का कर्त्तव्य है कि उसकी प्रशंसा करे और अगर नहीं करते हैं तो वह प्रजातंत्र पर कुठाराघात करते हैं। अगर हम अपने दोषों को नहीं मानते हैं तो हम भी प्रजातंत्र पर कुठाराघात करते हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि पिछले साल से अबकी साल कीमत में फर्क नहीं है .....

श्री त्रिलोकीसिंह---फर्क है, अबकी साल कीमत ज्यादा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं आपको बहुत शांति के साथ सुनता रहा। अब मेरी भी सुन लीजिये। मैं ऐसी धृष्टता नहीं करता कि मैं कहूं कि आप गलत कह रहे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इस साल ज्यादा है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---नहीं, अबकी साल कम है। जून के महीने के लिये जो उन्होंने कहा वह सही हो सकता है। मगर मैं उनको पिछले साल की सारी तालिका दिखा सकता हूं। आज के ही अखबार में हापुड़ की रिपोर्ट पढ़िये, १६।।) है आप २० रुपये कह बैठे, ८ आने का फर्क तो आपने चन्द घंटों में ही कर दिया। औसतन पिछले साल से इस साल १ और २ रुपये की कमी है। और तारीफ यह है कि इस साल पिछले साल से मंडियों में आमद ६० परसेंट कम है। बावजूद आमद कम के कीमत यों ठीक है या कम है, इसे भी सोचने की जरूरत है.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी के बोल चुकने के बाद।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---होलसेल का भाव इस समय १३,१४ और १५ रुपये है। मगर फुटकर में इस समय १८।।) और १६।।) के करीब भाव है। और औसत १७।।) या १८) पड़ेगा। पिछले साल करीब २०) था। अगर इसका वह विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है .....

श्री त्रिलोकीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह व्यवस्था जानना चाहता हूं कि क्या हमको यह हक़ नहीं प्राप्त है कि अगर कोई ग़लत फीगर उधर से क्वोट की जाय तो हम उसे क्वेश्चन कर सकें। ऐसी पार्लियामेंटरी पद्धति है।

श्री उपाध्यक्ष---उसके लिये मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इन्टरप्शन की आम तौर पर इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पिछले साल २० जुलाई को देहरादून में गेहूं फुटकर में २१ रुपये मन था और इस साल इसी तारीख को १८.७५ रुपये मन है । लखनऊ में पिछले साल २१ रुपये था और इस साल फुटकर में १८.४० रुपये है ।

एक सदस्य---कानपुर का बताइये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कानपुर में पिछले साल २०.६४ रुपये था और इस वर्ष १८.८३ रु० है और यह तो खरीदार की अकलमन्दी पर मुनहसर है । मेरा आदमी आज ही १.६ रुपये सेर के हिसाब से चीनी लाया मगर कोई अकलमन्द लेजिस्लेटर होते हुये भी १।। रुपये दे आवे तो उसके लिये मैं क्या करूं ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---अगर इस तरह का शोर होता रहा तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं आप के सामने यह बताना चाहता हूं कि इस साल जो कीमतें कम हैं उसका कारण क्या है ? इसकी वजह पब्लिक भी जानती है, ट्रेडर भी जानता है और ग्रामीण जनता भी जानती है कि गेहूं और चने दोनों की उपज मिला कर इस साल करीब ७ लाख टन ज्यादा हुई है । जो इसको न माने उसके लिये क्या किया जाय । मंडियों में आमद कम होते हुए भी क्योंकि वह जानते हैं कि इस वक्त उपज ज्यादा है इसलिये भाव ज्यों का त्यों नियंत्रित है ।

दूसरा कारण यह भी है कि हम काफी मात्रा में गल्ला दे रहे हैं, और यह गल्ला केवल कार्ड होल्डर्स को ही नहीं मिल रहा है बल्कि उससे जनसाधारण की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो रही है । उदारता तो इसे कहते कि आप हमारे उस काम की प्रशंसा करते और जनतंत्र की प्रणाली की जड़ को मजबूत करते । लेकिन आप के दिल में इतनी उदारता है कहां ।

अभी आप के इस नवजीवन में ही यह निकला कि रुड़की में चीनी डेढ़ रुपया सेर बिक रही है । मैंने तुरन्त ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इस बात का पता लगाया तो मालूम हुआ कि १ रुपया ३ आना सेर बिक रही है; बढ़ाचढ़ा कर लिखना, यह चटपटा मसाला समाचारपत्रों को भी अच्छा लगता है और पढ़नेवालों को भी इसमें मजा आता है । आज अगर कोई भी समस्या बिगड़ी है तो यह कि जनतंत्र प्रणाली में खराबी आ रही है । और वोट कैच करने के लिये सब उल्टा सीधा कर रहे हैं । बजाय इसके कि आप जनसाधारण को जनतंत्र प्रणाली का पाठ पढ़ाते आप उनको उलटा मार्ग दिखाते हैं । हर लेजिस्लेचर कहता है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है लेकिन उनको जनता से कहना चाहिये कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो, ज्यादा उत्पादन करे लेकिन यहां तो उल्टा कहा जाता है कि सरकार दूकानें नहीं खोलती । त्रिलोकी सिंह जी कहते हैं दूकानें न खोल कर सरकार ने अपराध किया लेकिन मैं कहता हूं कि एक दूकान भी बन्द नहीं की । (शोर) हमारा यह आर्डर था कि जिस दूकान पर २५ प्रतिशत गल्ले की बिक्री रह जाय, वह बन्द हो जाय, वह अपने आप बन्द हो जाती थी । जब किसी दूकानदार की आमदनी चौथाई तक गिर जायगी तो वह दूकान को कैसे चलायेगा । (एक आवाज---सड़ा हुआ आटा दिया गया इसलिये दूकानों पर वह बिका नहीं) । भूख में सब खाया जाता है । भूख न होगी । कृत्रिम भूख होगी । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष---मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार से शोर होगा तो कार्यवाही किस प्रकार से चलेगी । आप जरा शांति से काम लें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अगर आप समझते हैं कि मेरी बात गलत है तो आप भी भाषण देंगे, उस समय आप को जो कुछ कहना हो कहें। अगर २५ प्रतिशत उठाव हो जायगा तो दूकान अपने आप बन्द हो जायगी। पुरानी दुकानों के बारे में कहा गया कि अदालती पंचायतों के बीच में जो दूकानें खोली हैं, वह ठीक नहीं हैं क्योंकि किसी अदालती पंचायत में कम आदमी हैं, किसी में ज्यादा हैं, वह पापुलेशन बेसिस पर रखी जायं। हमने १५ हजार की पापुलेशन पर एक रखी। जिले के अन्दर खाद्य समिति है जैसे चाहे घटा बढ़ी करे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप ने कोई कमेटी कायम की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हर जगह की है, इस प्रश्न को आप छोड़ें, जो बात मैं कह रहा हूं उसे सुन लीजिये। हमने हर जगह १५ और २० हजार के अन्दर की आबादी के लिये खाद्य समिति को अख्तियार दिया है। श्रीमन्, आप लोगों के कई कामरोको प्रस्ताव थे जिनमें से हर एक पर थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालना है, लेकिन बीच-बीच में आप लोग काफी बाधा डाल रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं न बोलूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---खाद्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे मुझे सम्बोधित करके बात करें तो यह झगड़े की बात पैदा न हो।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---लेकिन कहीं आप यह न समझने लगें कि जो बात मैं कह रहा हूं वह आप के लिये कह रहा हूं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बात नहीं है कि हम उतनी ही दूकानें रखें आवश्यकता के मुताबिक वे बढ़ायी भी जा सकती हैं। जैसा कि देवरिया का खासतौर पर प्रश्न था कि वहां दुकानें कम हैं, तो जितनी आवश्यकता होगी वहां दूकानें बढ़ायी जायेंगी। मगर एक बात है जिस पर सोचना आवश्यक है...

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---वहां हो क्या रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---होने की जहां तक बात है देवरिया जिला परिषद् में भी गड़बड़ी हुई और अब खाद्य समिति में भी गड़बड़ी हो रही है। मैं देखा हूं कि देवरिया में बहुत-सी बातें गलतफहमी पर चल रही हैं। वहां पर हमने ५० परसेंट लाल बाजरी दी है, २५ परसेंट चावल दिया है और २५ परसेंट गेहूं दिया है गांवों में। अलावा जो कोरीडर है उसके बारे में शायद गजट न पढ़ने की वजह से लोगों को गलतफहमी हो गयी है। उसमें साफ़ लिखा है कि कोई भी किसी गांव से कोरीडर के अन्दर बाजार तक अपने गल्ले को ले जा सकता है। यह तो केवल इसलिये प्रतिबन्ध लगाया गया है कि अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में माल न चला जाय और हमारे यहां कमी न हो जाय। श्री गेंदा सिंह जी ने अपने कामरोको प्रस्ताव में कहा है कि प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय। हम कहते हैं कि प्रतिबन्ध को हटा देने से क्या फायदा होगा अगर बिहार अपने यहां से प्रतिबन्ध न हटावे। अगर हम प्रतिबन्ध हटा लेंगे तो हमारे यहां से माल बिहार में चला जायगा और ऐसी हालत में हम बिहार को मजबूर नहीं कर सकते कि वह अपने यहां से प्रतिबन्ध हटा ही दे।

अब मैं चीनी की बात कहता हूं। माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि चीनी हमारे यहां बहुत महंगी हो गयी है लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। चीनी के ऊपर यू० पी० गवर्नमेंट का कोई नियन्त्रण नहीं है। न मिलों पर, न चीनी पर, न उसके वितरण पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी ताकत इसके मूवमेंट पर, उसकी प्राइस पर और उसके कंट्रोल पर है। मई के महीने में जब हमको पता चला कि हमारे प्रदेश में बड़ी महंगी चीनी बिक रही है तो हमने तुरन्त सेंट्रल गवर्नमेंट को खटखटाया और इस तरफ कदम उठाया, जिससे चीनी का भाव न बढ़े। उन्होंने वहां से एलान किया कि हम चालू साल के लिये लाइसेंस करने जा रहे हैं, हमको उन्होंने लिखा कि आप अपने किसी आदमी को स्कीम बना कर भेजिये। जब हमने स्कीम बना कर भेजी तो उन्होंने कहा कि हम सेंट परसेंट आपको चीनी नहीं दे सकेंगे। आखिर उनसे फिर बहुत लिखा

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

पढ़ी हुई तो उन्होंने कहा कि हम ६५ परसेंट तक आपको चीनी दे सकेंगे, बाकी नहीं। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि खाद्य मंत्री श्री जैन ने कहा था कि हम देंगे लेकिन मैंने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की तो उन्होंने उससे इन्कार किया और कहा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। हमारी स्कीम बन चुकी थी लेकिन उस रोज उन्होंने इन्कार कर दिया। फिर परसों उनका टेलिफोन हमारे पास आया और उन्होंने हमारी बात मान ली कि हम सेंट परसेंट यानी २५ हजार टन का कोटा आप को दे रहे हैं। आप मानें या न मानें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मीठा खायें और शकर की कीमत किसी हालत में अब साढ़े पन्द्रह आने से अधिक नहीं जा सकती, अब कोई लूपहोल नहीं है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चीनी बाहर न जाय। अब चूंकि शकर की प्राइस फिक्स करने की पावर जिलाधीश को दी गई है इसलिये अब हालत ठीक हो गई है। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दोष नहीं देता, किसी के दिमाग में भी यकायक यह बात नहीं आ सकती कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, देहात में कैसे भेजी जाय, नान-कार्ड होल्डर्स के पास कैसे पहुंचे यह सब सवाल थे, इन सब का निर्णय एक रात में नहीं हो सकता। यह मैं मानता हूं कि इस सब में डेढ़ मास की देरी हुई, उसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार स्टेज बाई स्टेज चलना चाहती थी। ट्रेड को देने की बात होती तो एक मिनट में हो जाता लेकिन हम को तो कोआपरेटिव को भी साथ में पनपाना है, उनके पास पैसा नहीं था, एडहाक कोटा का प्रबन्ध किया गया। जब हमारे यहां एक समाजवादी व्यवस्था है तो सब की सहूलियत के लिये कुछ न कुछ करना पड़ता है। यह चीजें थीं जिनके कारण कुछ देर हुई। फिर एक बात यह भी है कि किसी चीज को उठाने से और उसका सत्यानाश करने या बिगाड़ने से तो यह अच्छा है कि उस को देर से ही उठाया जाय। तो हमने एडहाक कोटा ३ ००० का और फिर ५ ००० का दिया। पहले हमने बड़े बड़े शहरों में इंतजाम किया। आखिर हम भी चीनी और आटा खाते हैं, हमें भी मालूम है कि खुले बाजार में आज क्या भाव है। रहा यह कि अगर उनको रंज है कि हम नैनीताल गये तो यह शिकायत तो आप की बराबर बनी रहेगी क्योंकि मैं तो पहाड़ का रहने वाला हूं...

श्री उपाध्यक्ष---अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी थोड़ा और समय लूंगा श्रीमन्। अब चीनी की व्यवस्था हमने ऐसी कर दी है कि कवाल टाउन्स में अब सब को कम से कम डेढ़ सेर चीनी उपलब्ध होगी और इसके अलावा भी यदि किसी को आवश्यकता होगी तो उसके लिये भी प्रबन्ध होगा जहां डेढ़ सेर से अधिक भी मिल सकेगी। आटे के लिये भी हमने व्यवस्था की है कि ढाई सौ से ऊपर आय वालों को भी अब वह मिल सकेगा।

अल्मोड़े में आटा गायब होने की बात है, तो यह भी उन्हीं की कमजोरी है, उन्होंने असोसियेशन बनाया अब उनके पास पैसा नहीं तो मैं क्या करूं, पैसा हम कहां से दें ?

अब देवरिया भाटपाररानी की बात है, वहां कठिनाई है लेकिन उसकी बगल के बाजार में सब को दे रहे हैं, वहां भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी दूकानों की जरूरत होगी हम दे सकते हैं। फिर देवरिया तो एक नानलेवी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ दे नहीं रहा है, हम ने अब तक सरकारी गल्ले का प्रोक्योरमेंट ९५,००० टन चावल, २३,००० टन गेहूं, ७-८ हजार टन कोर्स ग्रेन का किया है लेकिन देवरिया से कुछ नहीं, रत्ती भर नहीं मिला है। और दिन-ब दिन यह चीनी ही चीनी बनाते जा रहे हैं। गेहूं इन्होंने कतई बोना बन्द कर दिया है, और ऊपर से धौंस जमाते हैं कि और जगहों से प्रोक्योर करो और हमें खिलाओ। मैं समझता हूं कि गाजीपुर हो, जौनपुर हो या पहाड़ हो जहां कहीं हम कमी महसूस करेंगे, भेजेंगे। ४१ हजार टन पिछले साल संचित अन्न भण्डार था इन दिनों, आजकल पौने दो लाख टन है। ५० हजार टन हर महीने गवर्नमेंट आफ इंडिया से इम्पोर्टेड व्हीट हम ले रहे हैं, जहां जरूरत होगी भेजेंगे। हम खाद्य समितियों से भी, माननीय सदस्यों से भी और डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज से भी प्राइसेज के

बारे में फिगर्स लेते रहते हैं। जहां भी आवश्यकता है वहां पर, चाहे वह कोई क्षेत्र हो, हम अधिक से अधिक अन्न देंगे। पिछले साल इसी सदन में हमारे एक माननीय सदस्य, जो देवरिया से आते हैं, उन्होंने कहा था कि किसी क्षेत्र में ज्यादा दुकानें खोली गई हैं और किसी में कम। इसीलिये मैंने कहा कि पुरानों को जो अन्साइन्टिफिक हैं बन्द कर दो और नये ढंग से खोलो। इस वक्त १,३०० दूकानें फैजाबाद, सुल्तानपुर से लेकर ईस्ट के इलाके में खोल दी गईं। पिछले साल इस वक्त डेढ़ हजार के करीब थीं, इस वक्त साढ़े तीन हजार हैं। यह मैं लगभग बता रहा हूं। एग्जेक्ट नहीं है। अब भी मैं कह रहा हूं कि अगर आवश्यकता होगी तो चार हजार नहीं बल्कि छः हजार खोल देंगे। लेकिन पब्लिक को न हम कीमत ज्यादा देनें देंगे और न गरीबों को मरने देंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारे पास इतना अन्न है। मगर झगड़ा कर के काम नहीं चलेगा कि कोई बात फौरन ही हो जाय। हम देख रहे हैं और समय के अनुसार चलते जा रहे हैं। (व्यवधान) हम आर्डर कर चुके हैं, आज छः दिन हो चुके हैं। (श्री उपाध्यक्ष से) अगर आप की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं तो यही कहूंगा कि मुसीबत से बचिये और अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं आप को बताऊं कि हमने आर्डर दिया है कि परिस्थिति और आवश्यकता को देखते हुये इस हद के अन्दर दुकानें खोली जा सकती हैं। परिस्थिति के अन्दर क्या आएगा? वहां अन्न की कमी तो नहीं है, कीमत तो नहीं बढ़ रही है। इस वक्त मंडियों में बहुत कम अनाज आ रहा है। सब अनाज गांव में है मैंने पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में देखा है। इसीलिये हमने प्रतिबन्ध लगाया है कि देहात में जहां पर फसल न होने की वजह से या ओले की वजह से कीमत बढ़ रही है उस इलाके में फौरन दुकानें खोली जायं। जहां पर नार्मल अनाज भी मिलता हो और कीमतें भी ठीक हों वहां पर तुरन्त न खुलें बल्कि भगवान करे वह दिन न आवे---बाढ़ आवे तो उस वक्त के लिये भी हमें कुछ रिजर्व रखना चाहिये। मैं इस बात को कह रहा हूं कि पिछले साल जितनी थीं उतनी तो मैं जरूर खोल दूंगा बल्कि उसके ऊपर भी खोल दूंगा अगर आवश्यकता हुई। और अगर आवश्यकता नहीं हुई तो केवल इसलिये कि किन्हीं किन्हीं इलाके के लोग खुश हो जायेंगे, मैं गलत परिपाटी नहीं डालने दूंगा। अचम्भा तो इस बात का है कि एक तरफ तो कहते हैं कि कंट्रोल न हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब दुकानें खोली जायं।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मेरा जिक्र माननीय नेगी जी ने किया है। उन्होंने कृपा करके यह कहा कि देवरिया के माननीय सदस्य ने दुकानों के संबंध में शिकायत की थी। मैंने की थी और यह की थी कि एक माननीय सदस्य के क्षेत्र में ३८ दुकानें खुली हैं बाकी में १०, १२। तो क्या मैंने यह कहा था कि दुकानें बन्द कर दी जायं? या यह कहा था कि उसके अनुसार सभी क्षेत्रों में दुकानें खोल दी जायं?

दूसरी बात देवरिया फूड ऐडवाइजरी कमेटी ने अब तक कितनी मर्तबा कहा है मंत्री जी से कि जितनी दुकानें पिछले साल खुली थीं वे सभी खोल दी जायं। उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जब आपने स्वयं स्वीकार किया और जब बन्द नहीं होंगी तो कम कैसे होंगी। आप का मतलब यह था कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी खोल दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था और बराबर करने के लिये यही तरीका था कि जहां बढ़ी हुई थीं वहां से घटा दें और आप अपनी खाद्य समिति में उसका वितरण कर दें।

जहां तक खाद्य समिति की सिफारिशें आयी हैं मैं कहता हूं कि अभी तक वह मेरे पास नहीं पहुंची हैं और बाकी जो कमलापति जी ने भेजी थी वह पहुंच गई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद का जो मूल प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें यह प्रस्ताव करता हूं कि उसके अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं :—

"खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं की गई कि स्वदेश की स्वाधीनता के लगभग ग्यारह वर्ष के अनुभव से यह पूर्णतया तथा स्पष्टत: सिद्ध है कि प्रदेश की उन्नति तभी हो सकती है जब प्रदेश के एक लाख के लगभग गांवों और गांवों में रहने वाली प्रदेश की ८० फीसदी जनता की उन्नति हो। और गांवों तथा गांवों के निवासियों की उन्नति तभी हो सकती है जब ग्राम राज्य स्थापित करके गांवों और गांवों में रहने वाली जनता के शोषण तथा उनके साथ होने वाले अन्याय (सौतेले व्यवहार) का अन्त किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार के जिन अच्छे कामों का उल्लेख किया है उसके लिये मैं सरकार को और उनको दोनों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में सरकार की जिन गलतियों का, सरकार के जिन बुरे कामों का उल्लेख नहीं किया है उसके लिये मैं सरकार की आलोचना करने के लिये मजबूर हूं। मैं अपने मित्र खाद्य मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा वह तथ्य के आधार पर कहूंगा, उसका लिखित प्रमाण सरकारी रिपोर्टों, वक्तव्यों या प्रामाणिक ग्रन्थों से देने के लिये तैयार रहूंगा और दूंगा। मैं इस समय खाद्य मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उनका उत्तर देने के प्रलोभन को भी रोकना चाहता हूं क्योंकि मैं यह भी जानता हूं कि सरकार की गलतियों की संख्या, और जो गलत काम सरकार ने किये हैं उनकी संख्या पचासों की है जिनका गिनना मात्र भी २० मिनट में नहीं हो सकता। इसलिये मैं एक समस्या पर कहूंगा और वह महत्वपूर्ण समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है और वह समस्या ग्राम राज की समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हमारे देश के गांव सम्पन्न थे, समृद्ध थे, स्वतन्त्र थे, प्रजातन्त्र थे, स्वावलम्बी थे, स्वयं पर्याप्त थे। इस बात के प्रमाण की आवश्यकता हो तो प्राचीन ग्रन्थों में कौटिल्य अर्थ शास्त्र को देखा जा सकता है। बुद्ध जातकों का प्रमाण दे सकता हूं। ब्रिटिश काल में ऐंशियेंट रिपब्लिक्स इन इंडिया का प्रमाण दे सकता हूं जिसमें आथर ने कहा है कि "Empires may come, Empires may go but internal village republics of India must remain." साम्राज्य आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं परन्तु भारत के गांव के प्रजातन्त्र अमर रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन मुगल काल से इन गांवों में प्रजातन्त्र का ह्रास होना शुरू हुआ और ब्रिटिश राज्य काल में योरोपीय औद्योगीकरण के फलस्वरूप, ब्रिटिश साम्राज्यशाही के शोषण के फलस्वरूप गांव की स्वाधीनता नष्ट हो गयी और गांव बरबाद हो गये, गरीब हो गये, गुलाम हो गये। आशा थी कि देश की स्वाधीनता के बाद गांवों का शोषण, अन्यायपूर्ण, सौतेले व्यवहार की नीति समाप्त हो जायगी और गांवों की उन्नति होगी और वे पहले की तरह समृद्ध, सम्पन्न और स्वाधीन होंगे लेकिन १५ अगस्त, १९४७ से आज तक ११ साल का अनुभव यह बतलाता है—सूरदास के शब्दों में कहने के लिये विवश हूं—"कि कहूं क्या आस निराश भई।" वह आशा पूरी नहीं हुई। आज भी गांवों का शोषण हो रहा है। गांवों के साथ अन्याय हो रहा है। आज भी गांवों में गरीबी है, गुलामी है और जब तक ग्राम राज नहीं होता तब तक इस गुलामी, गरीबी, शोषण आदि का अन्त नहीं हो सकता। यही मैंने अपने इस संशोधन में कहा है और इसी की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सरकार की नीति गांवों के साथ अन्याय की है इस बात को मैं इस सदन में कई बार कह चुका हूं। समयाभाव से आज मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं लेकिन कुछ बातें संकेत मात्र के लिये कह दूंगा। सरकार की अन्यायपूर्ण नीति का उदाहरण दूं। खाने की समस्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को ही ले लिया जाय। खाने में गांव वाले गेहूं पैदा करते हैं। शहरों के लिये सस्ते गेहूं की दूकानें खोली जाती हैं लेकिन गांवों में दूकानें खोली जाती हैं कोदों की, मोटे अनाज की। जो गांव वाले कपास व अन्न पैदा करते हैं वे नंगे रहते हैं। जो गांव वाले चमड़ा पैदा करते हैं उनमें से लाखों, करोड़ों को जूते भी नसीब नहीं होते। यही हाल कपड़े के सम्बन्ध में है। मकानों की हालत यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२० करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया मकानों की समस्या को हल करने के लिये लेकिन उस १२० करोड़ में से ११० करोड़ शहरों के लिये है और १० करोड़ गांवों के लिये है। मैं जानना चहाता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी से क्या यह आंकड़े गलत हैं और क्या यह आंकड़े इस बात का सबूत नहीं हैं कि ८० फीसदी से ज्यादा जनता को १० करोड़ और २० फीसदी लोगों के लिये १ अरब १० करोड़ रुपया अन्याय है और क्या अन्याय के लिये इससे बढ़ कर कोई और सबूत दिया जा सकता है?

मैं यह भी बतला दूं कि सरकार की जो कर नीति है वह भी अन्यायपूर्ण है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन नें जो बातें कही हैं उसके दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पृष्ठ २०६ पर लिखा हुआ है मैं उसे पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा। हिन्दी में अनुवाद करके बतला दूंगा। उन्होंने कहा है कि मालगुजारी जो है वह एक बहुत ही अनुचित बोझ है अधिकतर किसानों के ऊपर जो उनको देना होती है। यह २०६ पेज पर टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। १९३१ में कराची में जो फंडामेंटल राइट्स पर प्रस्ताव पास किया था उसमें कहा गया था कि स्वराज्य होने के बाद अनएकनामिक होल्डिंग्स को लैंड रेवेन्यू से एग्जेम्प्ट कर देंगे लेकिन आज उस प्रस्ताव को भूल गये और उस प्रस्ताव के अनुसार अनएकनामिक होल्डिंग्स पर से लैंड रेवेन्यू माफ नहीं की गई।

टैक्सेशन के सम्बन्ध में भी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के पृष्ठ २११, भाग पहले, में कहा गया है

"Contribution of rural areas in absolute terms to pool of indirect taxation is greater than of urban areas.

यानी हमारे प्रदेश में डायरेक्ट तरीके से लैंड रेवेन्यू ली जाती है और आबपाशी व लैंड रेवेन्यू मिला कर करीब ३० करोड़ रुपये के आप लेते हैं। और इन्डायरेक्ट टैक्सेशन में उनके ऊपर अधिक बोझ पड़ता ही है। लेकिन इसके साथ-साथ जो आमदनी डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट टैक्सेशन से होती है उसका अधिकतर हिस्सा, जैसा कि मैंने मकानों के बारे में उदाहरण दिया, अस्पतालों के बारे में भी उदाहरण दिया जा सकता है, यातायात के बारे में भी दिया जा सकता है, कच्ची सड़कें बहुत कम बन रही हैं लेकिन शहरों में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, तो इस प्रकार खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, यातायात और चिकित्सा, ये जो ६ जीवन की आवश्यकतायें हैं उन सब के बारे में अन्यायपूर्ण व्यवहार गांबों की जनता के साथ हो रहा है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उसमें यह भी कहा है कि गांवों और शहरों में जो आर्थिक विषमता है उसे दूर करने के लिये आवश्यकता है कि शहर वालों पर और खासतौर से पूंजीपतियों पर टैक्स वसूल करने के लिये सख्ती से काम लिया जाय। लेकिन सरकार की नीति बहुत साफ है और वह यह है कि चाहे अतिवृष्टि हो, सूखा हो, बाढ़ हो, कोई भी दैवी प्रकोप हो मगर कोई गरीब किसान अगर १०रुपये भी मालगुजारी के न दे पाता हो तो सरकार क्रूरता के साथ उसे हिरासत में लेती है, उसे हवालात में बन्द करती है, उसकी कुरकी करती है। इसके खिलाफ शहरों में पूंजीपतियों के ऊपर लाखों और करोड़ों रुपया इनकम-टैक्स, सेल्स टैक्स और बिजली के बिलों का बकाया रहता है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं माननीय नेगी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह अन्याययुक्त नहीं है।

इसी तरह से सरकार की जो मूल्यों सम्बन्धी नीति है वह तो इतनी अत्याचारपूर्ण है कि अगर मैं उसको पाप कहूं तो अनुचित नहीं होगा। यह सभी को मालूम है कि इतने दिनों से इस बात की मांग की जा रही है कि किसानों को उनकी पैदावार का रेम्युनरेटिव मूल्य मिले इस बात की गारंटी सरकार को करनी चाहिये। सन् १९४५-४६ में जब मैं सेन्ट्रल पार्लियामेंट

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

का मेम्बर था तो बृटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई थी इस सम्बन्ध में जिसने अपने कुछ निर्णय दिये थे। लेकिन सन् १९४५ की उस कमेटी के निर्णयों को आजतक कार्यान्वित नहीं किया गया। यहां सब दलों की मांग है कि ऐग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्राइसेज में पैरिटी होनी चाहिये, दोनों में तारतम्य होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि खेती की पैदावार के मूल्य तो नीचे गिरते जायं और किसानों को जिन चीजों की जरूरत होती है, कपड़ा, सीमेंट, दियासलाई, मिट्टी का तेल इत्यादि-इत्यादि, उनकी कीमतें चाहे जितनी बढ़ती चली जायं। अगर कपड़े की मिलों के मालिक यह कहते हैं कि हमें कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम मिल रहा है तो उनको आज्ञा दे दी जाती है कि विदेशों में बेच दें और मूल्य बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से शकर के मामले में खाद्य मंत्री जी खुद बता चुके हैं कि शकर की कीमत बढ़ गयी है, मिल मालिक रुपया कमा रहे हैं लेकिन किसानों के गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी। इसके अलावा चोरबाजारी के जरिये जो करोड़ों रुपये वे कमाते हैं उसकी रोक का तो कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है। तो यह जो मूल्य निर्धारण की नीति है यह शोषण का खास कारण है। मेरा विश्वास है कि माननीय नेगी जी और त्रिपाठी जी ने भी कानपुर के शुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन की तरफ से निकाला गया वह वक्तव्य पढ़ा होगा जिसमें कहा गया कि एक महीने में हमारे प्रदेश में १ अरब रुपया शकर की कीमत में उपभोक्ताओं से ज्यादा ले लिया गया। जब एक महीने में यह हाल है तो साल भर में क्या होता होगा और अकेले शकर के मामले में यह होता है तो और चीजों में क्या होता होगा। तो गरीबों का जो यह अरबों रुपयों का शोषण हो रहा है उसका अन्त करने का कोई उपाय सरकार ने नहीं किया है और जैसा बृटिश राज्य में होता था वैसा ही आज भी हो रहा है। इसके अलावा आपका जो यह रिजर्व बैंक है उसी की आल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्राइस मैनुपुलेशन से ही नहीं बल्कि इन कोआपरेटिव बैंकों से भी जनता का शोषण होता है क्योंकि इन पर महाजनों, पूंजीपतियों और बड़े लोगों का इतना प्रभाव रहता है कि यह भी किसानों के शोषण के साधन बने हुए हैं। यह मेरा कहना नहीं है बल्कि सरकारी कमेटी जो बिठाई गई थी उसकी यह रिपोर्ट है। मैं आपको पृष्ठ संख्या भी बतला दूं। इस रिपोर्ट का यह २७४ पृष्ठ है। समयाभाव के कारण मैंने हिन्दी में बतला दिया है और इसी रिपोर्ट के ३३१ पृष्ठ पर यह कहा गया है कि महाजनों और बोहरों के नियंत्रण पर जो कानून बने हैं उनसे बहुत कम असर हुआ है यानी जो ज्यादतियां उनके जरिये से होती हैं उनके रोकने के लिये कुछ नहीं के बराबर हुआ है। यह बात आपकी सरकारी कमेटी की रिपोर्ट का कहना है।

यह तो मैंने कुछ उदाहरण दिये हैं कि किस तरह गरीब जनता का शोषण होता है। अब आप देखिये कि कपास के मामले में, गेहूं के मामले में और कपड़े के मामले में कितनी कीमतें बढ़ जाती हैं। आप देखिये कि रा-मैटीरियल की कीमत से जब चीज उपभोक्ता के पास पहुंचती है तो उसकी कितनी कीमत बढ़ जाती है। इस तरह से देखिये कि कितना शोषण हो रहा है। यह सब बातें ऐसी हैं कि जिनके दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सब बातें सरकारी रिपोर्ट में मौजूद हैं और सब लोगों को मालूम भी हैं।

यह कर्जे की सरकारी नीति क्या है? मैं यह जानता हूं कि सरकार इस ओर कुछ प्रयत्न कर रही है। लेकिन आल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने कहा था कि भारत सरकार का जितना कर्जा था वह केवल ३ प्रतिशत था बाकी ९७ प्रतिशत के लिये किसानों को इन महाजनों और बनियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पंजाब के एक्स-चीफ जस्टिस, श्री चार्ल्स डेगलस, ने यह कहा है कि सरकार जितना रुपया टैक्सों आदि से वसूल करती है उसका चौगुना रुपया महाजन लोग वसूल कर लेते हैं। इन सब बातों के लिये अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब सहकारिता के नाम पर आप कुछ कर रहे हैं लेकिन कितना कर पायेंगे यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सी बातों को आप पूरा नहीं कर पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कितना समय बाकी रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--आपके केवल ३ मिनट बाकी रह गये हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा समय और दे दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी हां, मैं ज्यादा समय चाहूंगा क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कहना है, इतने ज्यादा प्रमाण हैं, इतने आंकड़े हैं, इतना शोषण है कि यदि मैं इनका वर्णन मात्र भी उल्लेख करूं तो आध घंटे से ज्यादा समय लग जायगा लेकिन मैं यह सब छोड़ता जा रहा हूं। अब देखिये नागरिक स्वतंत्रता गांव में कुछ भी नहीं है। गांवों में प्रकोप इंश्योरेन्स, कैटिल इंश्योरेन्स तथा फेमिन इंश्योरेन्स आदि का नाम तक नहीं है। गांवों में न सोशल एमेनिटीज और न सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि गांवों में शहरों के मुकाबिले में बड़ी भारी आर्थिक विषमता है। यह जो दैनिक कार्यवाही नामक पुस्तिका छपी है उससे तथा बुलेटिन से बतला सकता हूं कि गांव वालों की आमदनी प्रति व्यक्ति १९० रुपये से भी कम है। शहर वालों की आमदनी ७०० रुपये है यानी करीब-करीब चौगुनी। चौगुना अन्तर है और यह सरकार कहती है कि वह समानता करती है। यह समानता है? इस बात के बावजूद कि चौगुना अन्तर है अपना अन्याय और शोषण वह बढ़ाते जाते हैं। गांवों में समाजवाद और शहरों में पूंजीवाद। गांवों में समाजवाद की स्थापना करने की उनको बड़ी जल्दी है और शहरों में पूंजीवाद पनपाने की नीति पर वह अटल हैं। वह समझते हैं कि वह अजर अमर हैं। जब तक वह रहेंगे तब तक पूंजीवाद रहेगा। मैं कहता हूं कि यह भी गांवों के शोषण का जरिया है। मैं संकेत मात्र कर रहा हूं, गौतम ने न्याय शास्त्र में जिसको कहा है कि एक चावल को देखकर जान लेना चाहिये ग्राम राज्य के अलावा कोई चारा नहीं है, गांवों का शोषण और अन्याय का अन्त करने के लिये और गांवों की उन्नति करने के लिये। गांवों की उन्नति से ही प्रदेश की उन्नति हो सकती है। "ग्राम राज्य" शब्द मंत्र पूत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुंह से निकला है। ग्राम राज्य महात्मा गांधी का दिया हुआ मंत्र है। इस महामंत्र का प्रचार सर्वोदय के संत विनोबा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि महात्मा गांधी जिस राम राज्य की कल्पना करते थे वह ग्राम राज्य के जरिये से ही पूरा हो सकता है। इसलिये ग्राम राज्य की आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। मैं यह साफ कर दूं कि ग्राम राज्य के यह मानी नहीं हैं कि शहर के लोगों का ध्यान नहीं रखा जायगा। ग्राम राज्य के मानी केवल यह हैं कि जनतंत्र में बहुमत का राज्य होता है। जाहिर है कि हमारे प्रदेश में ८६ फीसदी जनता गांवों में रहती है। तो गांव का राज्य होना चाहिये। स्पष्ट है कि जनतन्त्र के मानी हैं कि गांव का राज्य होना चाहिये। गांधी और विनोबा का यही कहना है। जो लोग शहरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गांवों का प्रतिनिधित्व नहीं करते वह गांवों के शोषण और अन्याय को जारी रखेंगे। उस का उस समय तक अन्त नहीं होगा जब तक ग्राम राज्य न हो। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करे। मैं आशा करता हूं कि सब सदस्यगण चाहे मेरी और बातों से असहमत हों लेकिन इस बात से कि गांवों को उचित अधिकार मिलना चाहिये, उनका शोषण और अन्याय न होना चाहिये, इस बात को मुख्य मंत्री जी, मंत्रिमंडल और सदस्यगण सब स्वीकार करेंगे। मैं इस सदन से यह अपील करूंगा कि हम सब लोग मिल कर इस बात का प्रण करें कि गांवों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो शोषण और अन्याय हो रहा है जब तक उसका अन्त नहीं होगा तब तक हम दम और चैन नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--श्री रामचन्द्र विकल।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मुझे एक निवेदन करना है। पालीवाल जी के बारे में मेरा विचार है .....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायें। मैं एक माननीय सदस्य को बुला चुका हूँ।

*श्री रामचन्द्र विकल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगदीश शरण अग्रवाल द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि माननीय नेता विरोधी दल जिनका भाषण इस सदन ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना वह इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं जहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रगट करने खड़ा हुआ हूं वहां मैं नेता विरोधी दल के लिये अच्छे शब्दों में कृतज्ञता प्रगट करता हूं कि उन्होंने अपना भाषण गत वर्ष के भाषण के मुकाबिले में बहुत सरल और अच्छी भाषा में यहां प्रस्तुत किया है। मैं माननीय अपने बुजुर्ग पालीवाल जी के लिये भी कृतज्ञता प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो विचार यहां सदन को दिये हैं वह भी एक सराहनीय विचार थे। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जिन लोगों ने महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर खेद प्रकट किया है, उन लोगों की बातों के लिये जो कि इस सदन में कुछ ऐसी कह दी गई, जिनमें कोई बहुत सत्यता नहीं है, उनके लिये भी मैं खेद प्रकट नहीं करूंगा। मैं अपने बुजुर्ग पालीवाल जी से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि ग्राम-राज्य की स्थापना का स्वप्न इस देश का हर व्यक्ति देखना चाहता है। अभी आपने जो ग्राम-राज्य पार्टी एक इस प्रदेश में उपस्थित की वह ग्राम-राज्य पार्टी कहीं किसी दूसरी शक्ल में न बदल जाय और इतना मैं और कहूंगा कि ११ वर्ष की जो उन्होंने चर्चा की अपने भाषण में कि ११ वर्ष में गांवों की तरफ कोई कार्य नहीं हुआ है यह उन्होंने कुछ संकेत किया इन बातों में। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इन ११ वर्षों के समय में वह ९ बुनियादी बातें जो हैं चाहे वह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की प्रगति की बात हो, चाहे यातायात के साधन हों, चाहे न्याय का मामला हो, जो भी बुनियादी सिद्धांत हैं जो कि इस देश की जनता को मिलने चाहियें उन बातों की तरफ इस प्रदेश ने काफी तरक्की की है चाहे वह अस्पताल हो, सड़कें हों, पुल हों, स्कूल और कालेजेज हों, चाहे न्याय के लिये पंचायतें हों, कोई भी ऐसा बुनियादी सिद्धान्त ग्राम-राज्य की स्थापना का नहीं है जिसमें इन ११ वर्षों में इस सरकार ने कुछ भी न किया हो। यह मैं समझता हूं कि ऐसा कहने में उन्होंने कुछ कोताही की है, कुछ संकोच किया है, उन्हें इसमें थोड़ा उदार होना चाहिये था। मैं उनसे ही नहीं सदन के हर सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने चर्चा की है विधान सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में और वह चर्चा यह है, मैं समझता हूं कि उससे बड़ा लाभ भी होगा, उत्तर प्रदेश के अन्दर हर जगह माननीय सदस्यों को रोडवेज की बसों में जाने का पास मिलेगा, उससे एक बड़ा भारी फायदा यह होगा कि जो ग्राम राज्य का स्वप्न हम देखते हैं, वह इस प्रदेश की पूरी तस्वीर हम देख सकेंगे और देखकर बता सकेंगे कि इस प्रदेश ने कोई उन्नति सचमुच में की है या नहीं की है।

एक और आदेश माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से गया है विधायकों के लिए। मैं उसको भी बहुत अच्छा और उचित समझता हूं। वह यह है कि कोई भी विधायक विकास के कामों को देखने के लिए जिला प्लानिंग अफसर से मिलकर जिस ब्लाक को देखना चाहे जाकर वहां की प्रगति को देख सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले के दो विकास खंडों का भ्रमण करके आया हूं। मैंने उन विकास खंडों के अन्दर ग्रामीण लोगों में एक भावना पाई और वह भावना थी—जो सीमा के गांव थे उनको मैंने देखा, उनमें मैंने यह भावना पायी कि जो ९ आइटम्स थे, खाद, खरीफ की पैदावार बढ़ाना, सफाई आदि उन सब में अधिक से अधिक आइटम्स को वह अपने गांव में लागू करने को उत्सुक थे। उनके दिल में यह भावना थी कि हम अधिक से अधिक आइटम्स अपने यहां लागू करें तो हमारे गांव को इनाम मिलेगा और उससे हमारे गांव में कुछ और सार्वजनिक काम होंगे। यह किसी एक गांव की भावना मैं नहीं बतला रहा हूं, अनेक गांवों में मुझे यह देखने को मिला कि विकास खंडों के द्वारा बहुमुखी उन्नति करने की भावना उनके अन्दर बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंची हुई थी। तो यह जो ५३ फीसदी से अधिक जनता विकास खंडों के अन्दर आ चुकी है, और बाकी भी आने ही वाली है, तो उसके द्वारा ग्राम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य की स्थापना की तरफ हम गांवों में नहीं जा रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। यह भी मैं नहीं समझ पाया कि विकास खंडों के द्वारा जो इस प्रदेश की खाद्य-स्थिति है, जिस पर नेता विरोधी दल ने बहुत तेजी के साथ पिछले साल भाषण दिया था और अब की इस खाद्य-स्थिति को बिल्कुल बाद में लिया, यह सही है कि गत वर्ष जो खाद्य-स्थिति थी उसके मुकाबिले में इस वर्ष बहुत संतोषजनक है। और उस संतोषजनक खाद्यस्थिति का ही यह कारण है कि नेता विरोधी दल ने बहुत हल्के और पीछे उसका जिक्र किया वरना गतवर्ष जब उनका भाषण हुआ था जो इस प्रदेश में अन्न का बहुत बड़ा संकट था और उस समय भुखमरी और अन्न के संकट का उन्होंने जिक्र किया था। इसीलिये मैं नेता विरोधीदल का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस चीज को कम लिया।

यहां पर कुछ सामयिक आवश्यकताओं की मांग का उन्होंने चर्चा किया यानी चीनी के संबंध में उन्होंने यहां पर चर्चा किया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा नेता विरोधी दल के सामने अपने एक दोस्त के दो बच्चों का जिक्र कर देना चाहता हूं जहां पर मैं ठहरा था। मैं एक दोस्त के यहां था उनके दो बच्चे थे जिनमें एक १० वीं कक्षा में पढ़ता है और दूसरा ११ वीं में, मेरे जाने के बाद उन्होंने इस चीज का चर्चा किया। एक बच्चा क्रिटिसाइज कर रहा था मुझे देखकर और दूसरा बच्चा उसके खिलाफ कह रहा था जिसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा और उस दूसरे बच्चे पर भी असर पड़ा। उसने कहा कि भाई स्वास्थ्य के लिये चीनी कम खाओ तो अच्छा है। जब देश पर कोई संकट हो और विशेषकर अन्न का संकट हो तब चीनी बिलकुल ही न खाई जाय तो बहुत अच्छा है। मैं बच्चे की इस भावना का बड़ा आभारी हूं। इस पर दूसरे बच्चे ने भी अपना विवाद छोड़ दिया। मैं समझता हूं उस बच्चे पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। इसी तरह से मैं नेता विरोधीदल से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस देश में अन्न के उत्पादन को बढ़ाना है--मैंने यह पहले भी कहा था और अब फिर कहता हूं कि ऊख की पैदावार को कम किया जाय भले ही किसानों को इससे आर्थिक लाभ अधिक होता हो, देश में गल्ले की पैदावार कम है जो देश के लिये कम पड़ती है। देश एक मीठी बात कह देने से सम्भल नहीं सकता है। चीनी की बात करके हर एक के दिल में इसकी चाह पैदा होती है और मेरे मुंह में भी पानी आता है लेकिन जब देश के सामने कड़वे कर्त्तव्य होते हैं तो उनको भी निभाना पड़ता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों में न जाते हुए यह चर्चा करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया है। यदि उनको गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तो मैं कहता हूं कि उनके अभिभाषण में यह एक सूत्रमात्र है। जब यह योजनायें सफलीभूत होंगी तो हमारे प्रदेश के किसानों की बहुत उन्नति हो जायगी और हमारे प्रदेश के अन्दर एक आर्थिक क्रांति पैदा होगी और प्रदेश बहुत खुशहाल होगा।

राज्यपाल महोदय ने इस बात की चर्चा किया कि सहकारिता के आधार पर उद्योगों की इस प्रदेश में उन्नति की जायगी। क्या आप इसको कम समझते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता खेती के ऊपर निर्भर करती है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जो लोग खेती के ऊपर ही केवल निर्भर करेंगे वह मालदार नहीं हो सकते। प्रदेश के अन्दर खेती के अलावा यदि लोग सहकारिता के आधार पर चलाये गये उद्योग धंधों में लगें तब हम अपने प्रदेश में और देश में आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय ने चर्चा किया कि सहकारिता के आधार पर उद्योगों को यहां पर चलाया जायगा जिसके मायने यह हैं कि हम एक ही आदमी को मिलमालिक या उद्योगपति नहीं कर पायेंगे। उससे हमारे प्रदेश के उद्योगधंधों में आर्थिक क्रांति होगी और समाजवाद की रचना होगी। उससे देश में समाजवाद का बीजारोपण होगा जिसका चर्चा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है।

मैं राज्यपाल महोदय की इस बात की चर्चा किये बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या का हल अपने भाषण में किया है जो इस प्रांत में हरिजनों की है। हरिजनों के लिये १८ फीसदी का संरक्षण होते हुए भी उनको सही रूप में उतने स्थान नहीं मिल पाते।

[श्री रामचन्द्र विकल]

उन्होंने राधाकृष्ण अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक समिति के निर्माण का चर्चा अपने अभिभाषण में किया है जो यह देखेगी कि अपने प्रदेश के अन्दर १८ फीसदी स्थान हरिजनों को सही रूप में मिल पाते हैं या नहीं। अगर कोई विशेष कारण होगा तो उस कारण को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। मैं समझता हूं १८ फीसदी संरक्षण मिल सकने की तरफ यह बुनियादी बात है जिसकी तरफ इस सदन के बाहर हमेशा चर्चा रहा है, मैं महामान्य राज्यपाल का इस बात के लिये कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस बात का चर्चा किया है कि हमारी खेती में काम करने वाले जो किसान हैं उनको ऋण देने के लिये हम बैंकों की योजना करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है कि जिसको देखकर यह उचित न होगा कि हम बजाय कृतज्ञता के उनके अभिभाषण पर खेद प्रकट करें। परंपरागत खेद प्रकट करना एक दूसरी बात है, लेकिन जो योजनायें संभाषण में हमारे सामने हैं वह ऐसी हैं कि जो प्रदेश में एक क्रांति लायेंगी। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जिन सदस्यों ने शिकायतें की हैं, उनसे अपनी असहमति प्रकट करता हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने विशेषकर चर्चा किया कि क्राइम्स बढ़े हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि क्राइम्स के बढ़ने की वजूहात हैं और उनमें एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारे देश के अन्दर, समाज के अन्दर पहले एक छोटा विधान लागू था। उसको हम कहते थे पाप और पुण्य। दो शब्दों में हमारा विधान सीमित था। इस पाप और पुण्य की व्याख्या को समाज का हर प्राणी समझता था और पाप करने वाले को दंड देने का साहस समाज में था। आज जुर्म करने वाले को रोकने का साहस जनता में नहीं रहा और इसी तरह से इस विधान सभा के सदस्यों में भी जुर्म करने वाले को मुजरिम कहने को तैयार नहीं हैं। यह हमारे अन्दर की कमी है जो बराबर जनता में बढ़ती जा रही है और मैं इस की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। क्राइम्स केवल कानून और सरकारी कर्मचारियों से कम न होंगे, जनता में क्राइम्स को कम करने के लिये एक नैतिक साहस की आवश्यकता है और उसको यह राजनैतिक लोग, जो आज देश और प्रदेश के नेता कहलाते हैं जनता में न ला पाये तो मेरा यह विश्वास है कि चाहे आप देश के गांव-गांव में नोटों की थैली ही क्यों न भेज दें, क्राइम बढ़ना रुक नहीं सकता। कानून और धन ऐसी चीज नहीं है कि जिससे क्राइम बढ़ना रुक जाय, इसका वास्ता नैतिकता से है जिसकी समाज के हर अंग में व्यापक रूप से आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि राज्यपाल महोदय ने जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत की थोड़ी सी बातों का चर्चा किया है उनका उल्लेख न करूं तो उचित न होगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारी अन्तर्राष्ट्रीय पालिसी, विशेषकर प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति पर खेद प्रकट किया है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के आदेशों को ले कर हमारे देश के प्रधान मंत्री की एक नीति रही है और जो भविष्य में भी रहेगी और वह यह है कि दुनिया के अन्दर कोई लड़ रहा हो, हम उनमें सुलह करायेंगे, दूसरे, दुनिया में जो कमजोर हैं, हम उसकी सहायता करेंगे। यह केवल दो मोटी बातें हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय नीति में रही हैं और प्रधान मंत्रीजी ने इस नीति का पूर्णरूप से पालन किया है। संसार में लड़ने वालों को रोकने और कमजोरों की सहायता करने की नीति का उन्होंने पालन किया है। तिब्बत का एक मसला है। हमारा सौभाग्य है कि तिब्बत के दलाई लामा मंसूरी में मौजूद हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि दुनिया में एटम बम रखने वाले चीन और रूस पर भी अगर कोई मुसीबत आये तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की नीति पर चलने वाला हमारा देश कमजोर लोगों की मदद करने को तैयार रहेगा।

मैं इन शब्दों के साथ महामान्य राज्यपाल का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के भविष्य की एक तस्वीर संक्षेप रूप में इस भाषण में दी है। जब यह योजनायें यहां पूर्ण होंगी जो सिंचाई की हैं, रिहन्द डैम है, या उद्योगों की अन्य योजनायें हैं, विकास खंडों की योजनायें हैं, जब यह पूरी होंगी तो इस प्रदेश की शकल दूसरी होगी और मेरा ख्याल है कि ज्यों-ज्यों इस प्रदेश की शकल बदलती जायगी, जैसा अनुभव से सिद्ध हुआ है, त्यों-त्यों विरोधी दलों

के भाषण, जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल मुलायम हैं, नरम होते जायेंगे और इस प्रदेश की हालत देखने पर और भी सही रास्ते पर उनके भाषण चलते जायेंगे इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

अब मैं इन शब्दों के साथ महामान्य राज्यपाल का कृतज्ञ हूं और उन विरोधी दल के लोगों का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने कुछ सुझाव देकर हम लोगों को बहुत कृतज्ञ किया।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण धन्यवाद के प्रस्ताव में जो एक जनसंघ का संशोधन है वह पढ़ा हुआ समझा जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आपको तो पेश ही करना पड़ेगा, वह पढ़ा हुआ नहीं समझा जायगा। उतना समय मैं आपको दे दूंगा।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---तो श्रीमन्, समय का ध्यान रखें। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:---

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नीचे लिखी बातों की चर्चा नहीं की

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना, खाद्यान्नोत्पादन, चकबन्दी व सिंचाई योजनाओं की असफलता, जनसहयोग का दिनों दिन बढ़ता अभाव।

(२) निःशुल्क शिक्षा करने तथा प्राविधिक शिक्षा की उचित व्यवस्था किये जाने ।

(३) राज्य व्यापार तथा सहकारी कृषि से होने वाली क्षति।

(४) सरकारी कर्मचारियों व विशेषकर पुलिस निर्माण कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार व उसके रोक-थाम के उपाय व जनता की सुरक्षा का ह्रास।

(५) बड़े पूंजीपतियों को पनबिजली देने की व्यवस्था से होने वाली क्षति तथा साधारण जनता को सस्ती बिजली देने की पूर्ण घोषणा के विपरीत कार्य ।

(६) प्रदेश की तिब्बती सीमा पर होने वाली घटनाओं से पहुंचे खतरे की रोकथाम।

(७) सरकार की फिजूलखर्ची, अध्यादेशों के जारी करने में बढ़ोत्तरी, नियमों की अवहेलना, खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्य व उनका अभाव।

(८) राज्य सरकार के कार्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों, जैसे अन्तरिम जिला परिषद् की स्थापना, लाइसेंसों का दिया जाना, आदि से होने वाली क्षतियों व उनको रोकने के उपाय।

(९) हरिजन व पिछड़े लोगों की गिरती हालत।"

श्रीमन्, मैं माननीय नेगी जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने एक बात बड़ी गर्जना और तर्जना के साथ कही कि खाद्य समस्या के बारे में जो बढ़ा-बढ़ा कर सारे दल बात करते हैं वह खाली वोट कैचिंग डिवाइस है। मैं किसी की नीयत पर हमला करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि "सारे दल" तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े यहां दिये हैं और जो गर्जना तर्जना की है क्या वह कांग्रेस दल की वोट कैचिंग डिवाइस नहीं है? और अगर है तो मुझे बड़ा दुख होगा।

कहा गया कि वास्तव में हमारी खाद्य स्थिति का वास्तविक चित्र यहां नहीं रखा गया। वास्तविकता यह है कि कितना ही हल्ला किया जाय कि बम्पर क्राप हुआ है, ७-८ लाख टन ज्यादा गल्ला पैदा हुआ लेकिन यह महंगाई क्यों है इसका उत्तर नहीं दिया गया। आज महंगाई होने का कारण जहां गल्ले की कम उपज है वहां सरकार की अव्यवस्था का भी परिणाम है। अभी कुछ दिन पूर्व मंत्री जी को ज्ञात होगा, समाचार-पत्रों में

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आया कि धौलपुर में जो आगरे के पास है ४,००० मन या कितना, मुझे ठीक याद नहीं है इसी प्रांत का गेहूं वहां पकड़ा गया। कैसे गया। मंत्री जी ने बड़ी तर्जना की है कि हमने यह चेक-प्वाइंट बनाया और वह चेक-प्वाइंट बनाया फिर गेहूं कैसे यहां से छू-मंतर की तरह से उड़ गया, भूत बनकर उड़ गया? एक ही रास्ता है। उनके जो चेक-प्वाइंट्स हैं, सरकार के जो रोकथाम के अधिकारी हैं उनके अन्दर उतनी ईमानदारी नहीं है और उसके अभाव में वह दूसरे स्थान पर गया।

मुझे याद आता है, अगर मैं गलत नहीं हूं--अगर गलत कहता हूं तो खाद्यमंत्री मुझे शुद्ध करेंगे- कि पिछली बार जब खाद्य समस्या पर विवाद हो रहा था तो मैंने ध्यान आकृष्ट किया था कि आगरा, राजस्थान और भरतपुर के बार्डर पर काफी गल्ला गया है और जा रहा है, आप रोक-थाम करें। उन्होंने कहा कि.....

श्री जगमोहनसिंह नेगी--तभी तो लोग पकड़े गये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--आपने नहीं पकड़ा। यह धौलपुर में दूसरों ने पकड़ा है। आपने ही पकड़ा सही, लेकिन कितना गया होगा। एक तीतर आपने पकड़ लिया, लेकिन कितनी बटेरें उड़ गयीं? तो यह आपका प्रबन्ध है। वास्तविकता यह है कि यह उतना संतोषजनक चित्र नहीं है, जितना कि होना चाहिये। मुझे श्रीमन्, आश्चर्य है कि ९ बटेरें तो उड़कर अलग बैठी हैं और उनमें से एक बोल रही है। तो मैं यह कह रहा था कि अव्यवस्था हो रही है और इस प्रकार की अव्यवस्था को सरकार रोक सकती थी परन्तु आज वह रोकने में असमर्थ है। उसका सबसे बड़ा स्वरूप हम देख सकते हैं।

इस प्रांत के अन्दर चीनी की समस्या आई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं यह मानने को तैयार हूं कि चीनी का विषय प्रदेशीय सरकार के हाथ के बाहर होगा लेकिन क्या जो यह गड़बड़ी हुई उसको जानने के लिये इस सरकार को अधिकार नहीं है। प्रदेशीय सरकार केंद्रीय सरकार से मांग करती कि यह गड़बड़ी क्यों हुई, इसकी जड़ क्या है और उस जड़ को कैसे दूर किया जाय। यह मांग तो की जा सकती थी लेकिन वह क्यों नहीं की गई.....

श्री जगमोहनसिंह नेगी--हमने मांग की तभी तो २५ हजार टन का कोटा मिला।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मंत्री जी कह रहे हैं कि मांग की गई और २५ हजार टन का कोटा मिला। लेकिन क्या वह जांच की मांग करने के फलस्वरूप वह कोटा मिला या चीनी की कमी के कारण वह कोटा मिला, यह दो प्रश्न अलग-अलग हैं, इनको आप एक में मिलाइये नहीं। तो इसकी मांग होने की आवश्यकता थी लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर आग्रहपूर्वक कहूंगा कि प्रदेशीय सरकार खुली मांग करे कि इसके ऊपर प्रोब हो, इंक्वायरी हो कि इसका कौन जिम्मेदार है। इस प्रश्न को यह कहकर नहीं टाला जा सकता कि चीनी की उपज यहां कम हुई। प्रांत में चीनी बहुत बनी लेकिन फिर भी हमारे यहां अकाल खड़ा हुआ, इसके जानने की जरूरत है।

राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में यह कहा कि हमारी पंचवर्षीय योजनायें बहुत सफल हुईं। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष चल रहा है। प्रश्न यह है श्रीमन् कि आज हमारे सामने चित्र क्या है। योजना किस दृष्टि से बनी, इसलिये कि देश की बेकारी दूर हो, गरीबी दूर हो और गरीबी दूर होगी तब जब आमदनी बढ़ेगी, इम्प्लायमेंट पोटेंशल बढ़ेगा परन्तु क्या आज यह दोनों चीजें हुई हैं। इस सरकार के द्वारा ही जो पुस्तिका "उत्तर प्रदेश इन फीगर्स" बटी है इसमें स्वीकार किया गया है कि आमदनी परकैपिटा घटी, परचेजिंग पावर घटी और अनइम्पलायमेंट बढ़ा। तो अगर सारी योजनायें इन बातों का बढ़ाने के लिये थीं तो जरूर इन योजनाओं का चित्र सुन्दर हो सकता है लेकिन अगर घटाने के लिये थीं तो यह योजनायें सफल नहीं हुईं, यह मुझे स्पष्ट कहना पड़ेगा।

आज इस सूबे की परचेजिंग पावर घटी है उसका परिणाम है कि प्रदेश का उद्योग जो है वह भी बन्द होता चला जा रहा है। एथरटन मिल के संबंध में जो हल्ला मचा उसके मालिक कहते हैं कि उनका बनाया सामान बिक नहीं पाता इसलिये बन्द करना पड़ता है और हजारों मजदूर बेकार हो जाते हैं। यह क्यों होता है। उस मिल में मोटा कपड़ा बनता है जोकि देहात के लोगों के उपयोग में आता है लेकिन उनके पास आज पैसा नहीं है कि उसको खरीदें। इससे स्पष्ट है कि गरीबी बढ़ रही है। इसका परिणाम यह है कि हमारी सारी आर्थिक योजनायें, वे चाहे जिस दृष्टि से बनाई गई हों, आज जनता का दुख बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि पंचवर्षीय योजनाएं सफल हुईं। और वह सफल कैसे हों, किसी भी प्रकार के प्लान का सफल होना जनसहयोग के ऊपर आधारित है लेकिन आज हमारी योजनाओं में जनसहयोग का स्थान नहीं है। पंचायत सेक्रेटरीज को देखा जाय, आज पंचायतों में यह विश्वास हो गया है कि उनका मालिक पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे वह स्याह करे या सफेद करे लेकिन पंचायतों के प्रधानों को हिम्मत नहीं है कि वह उसके खिलाफ बोल सकें। आज सरकारी कर्मचारी गांव का स्वामी बन बैठा है। तो फिर आपको सहयोग मिलेगा कहां से? अखबार में मिल सकता है, कागज में मिल सकता है लेकिन वास्तविक जनसहयोग नहीं मिल रहा है।

जैसा कि विकल जी ने कहा कि जुर्म बढ़ने का कारण नैतिकता का अभाव है, इतना ही नहीं बल्कि जनसहयोग का भी अभाव है। आज जनता के अन्दर यह विश्वास नहीं है कि अगर वह आज सरकार का सहयोग करे तो सरकार के द्वारा उसका संरक्षण हो सकता है। पुलिस के कर्मचारी जो वास्तव में समाज की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, उनकी सांठगांठ क्रिमिनल्स से होती है। मैं उसके बारे में एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं। जौनपुर जिले में शाहगंज एक तहसील है। उसमें एक माह में ११३ चोरियां हुईं। चोरी की अगर कोई रिपोर्ट लिखाने के लिये जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। यहां तक कि अगर एस० पी० के पास शिकायत की जाती है कि थानेदार चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखता है। एस० पी० उसी को डांटता है कि तुम शिकायत करते हो। जब वह व्यक्ति गांव में लौट कर जाता है तो दरोगा महाशय उसके दुश्मन को बुलाकर कह देते हैं कि इसे देख लो। इस प्रकार से जिन लोगों के हाथ में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी है वे ही लोग जनता के जीवन को उन लोगों के हाथ में दे देते हैं जो शांति और सुरक्षा को भंग करने के उत्तरदायी होते हैं। आज क्राइम को कम दिखाने का यह तरीका अपनाया जा रहा है कि डकैतियों को चोरी लिखा जाता है और चोरी की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। एक तरीका और निकाला गया है और वह एक प्रथा सी बन रही है। जो रिपोर्ट लिखाने जाता है, उससे कहा जाता है कि तुमने अपने घर में चोरी करायी है अतः झूठी रिपोर्ट लिखाने का तुम्हारे ऊपर मुकदमा क्यों न चलाया जाय। इस प्रकार की ढिलाई आपके शासन में है।

आज इसी सदन में स्वीकार किया गया कि १२ वर्ष से जमीन सरकार के पास है, उसका किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और उस पर भी लगान उनसे वसूल किया जा रहा है। सरकार से पूछा गया कि जब १२ वर्ष से सरकार के पास जमीन थी तो लगान उनसे क्यों वसूल किया जाता रहा, तो उत्तर दिया गया कि चकबन्दी के कारण। मैं यह कैसे कहूं कि मंत्री जी को चकबन्दी के कानून का पता नहीं है। लगान माफ होने से और चकबन्दी से कोई संबंध ही नहीं है। जब जमीन आपके पास है तो यह कहना कि पता नहीं चक किसके नाम पड़े, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो मैं नहीं कह सकता कि जानबूझ कर इसमें ढिलाई की गयी है। लेकिन जिन किसानों से १२ वर्ष तक लगान वसूल किया गया उनको वापस किया जाना चाहिये। आज तक कुछ न करना क्या इसको एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेंसी कहा जा सकता है?

राज्यपाल महोदय ने कहा है कि हम प्रशासन को सस्ता कर रहे हैं लेकिन बजट में जो आंकड़े दिये हुये हैं उनको देखने से लगता है कि यह वास्तविकता नहीं है। उन आंकड़ों के अनुसार ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा ४०—४२ प्रतिशत के करीब है। जिस प्रशासन पर इतना ज्यादा

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

खर्च होता हो क्या वह प्रशासन एकोनामिक है, ऐसा कहा जायगा ? वास्तव में सफल एडमिनिस्ट्रेशन वह है जिस में आमदनी का २० प्रतिशत से ऊपर खर्च न होता हो लेकिन यहां ४२ प्रतिशत के करीब होता है। यह कोई एकोनामिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। यह तो ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेशन है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यूरुप के एक स्थान की मिसाल लागू होती है जहां पर वहां का राजा अगर किसी से प्रसन्न होता था तो उसको अपने यहां का एकाउन्टेन्ट जनरल बना देता था। जिस समय शासक बदला तो मालूम हुआ कि राज्य की आमदनी एक लाख थी तो ए० जी० की सेलेरी ढ़ाई लाख थी। इसलिये आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह एक्स्ट्रावेगेन्ट और अनएकोनामिक ऐडमिनिस्ट्रेशन ही कहा जा सकता है। लेकिन इसको एकोनमिक एडमिनिस्ट्रेशन कह कर वास्तविकता पर पर्दा डालना उचित नहीं है। तीसरी बात मुझे विशेषकर शिक्षा के सम्बन्ध में कहनी है। राज्यपाल महोदय ने शिक्षा की प्रगति पर सन्तोष प्रकट किया है। वास्तव में श्रीमन्, क्या शिक्षा की प्रगति हुई है ? शिक्षा की प्रगति तो मैं तब मानूंगा कि जो जो वादे सरकार ने किये हैं और इस सदन के अन्दर घोषणायें की हैं उन घोषणाओं की पूर्ति हुई होती और पूर्ति इस दृष्टि से हुई होती कि आज हमारे समाज की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये शिक्षा के अन्दर क्षमता और पात्रता खड़ी की गयी होती। लेकिन मैं दो वर्षों के बजट भाषण की याद दिलाऊं, दुर्भाग्य से शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं, परन्तु शिक्षा मंत्री जी और अर्थ मंत्री जी दोनों ने यहां सदन में घोषणा की थी कि इस वर्ष हम दर्जा ६ तक की फीस माफ कर रहे हैं और अगले वर्ष दर्जा ७ और ८ तक की फीस माफ कर देंगे। ५७-५८ का बजट गया, वह बात मानों सरकार जैसे भूल गयी और ५८-५९ का बजट भी गया लेकिन उसकी कोई चर्चा तक नहीं की। तो आपका इस सदन में यह कहना शायद केवल प्रचार मात्र था या नेगी जी के शब्दों में वोट कैंचिंग डिवाइज थी। अगर आपको उसे पूर्ण नहीं करना था तो आप कहते कि किसी कारण से हम उसे पूर्ण नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको वह आश्वासन नहीं देना चाहिये। आप कहते कि हम प्रयास करेंगे लेकिन आपने स्पष्ट कहा था कि हम करेंगे, विद ऐश्योरेंस। लेकिन आप उस ऐश्योरेंस को पूर्ण नहीं कर सके।

दूसरी ओर समाज में आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि हमारे देश के अन्दर टैक्निशियन्स तैयार हों। आज हमें डाक्टर्स, इंजीनियर्स और ओवरसियर्स की आवश्यकता है। आज हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे शिक्षा पाने के एक स्तर के बाद वह खड़े होकर अपनी रोजी कमा सकें। श्रीमन्, आज हम देखते हैं कि १० वां, ११ वां दर्जा पास करने के बाद हर आदमी नौकरी ढूंढ़ता फिरता है। किसी राज्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह ४० करोड़ आदमियों को नौकरी दे सके। आज की शिक्षा नौकरी वृत्ति की लोगों को बनाती है, हर शख्स नौकरी की तरफ दौड़ा जाता है। आजकल की शिक्षा से जिस प्रकार का उत्पादन मुल्क में हो रहा है उन सब को नौकरी मिलना असम्भव है। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों के अन्दर एक नैराश्य खड़ा होता है, उनमें अनुशासनहीनता पैदा होती है और उसके फलस्वरूप उनके दिलों में विद्रोह की भावना पैदा होती है जिससे समाज में एक अनुशासनहीन वर्ग पैदा होता है। और इस तरह से समाज में एक नैराश्य की भावना व्याप्त होती है। आज आवश्यकता यह है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार हमारे यहां की शिक्षा हो। हमारे यहां शिक्षा की गलत नीति के कारण ही यह दुष्परिणाम हो रहा है। समाज की आवश्यकता के अनुसार आज टैक्निकल एजूकेशन देने की जरूरत है लेकिन आज उस तरह की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप भले ही यह कह सकते हैं कि हमने बजट में कुछ लाख रुपये का प्राविजन इसके लिये किया है परन्तु मैं पूछता हूं कि आज की परिस्थिति में जितनी आवश्यकता है उसको देखते हुये कुछ लाख रुपये रखना कोई मूल्य रखता है ? आज होना तो यह चाहिये कि समाज की ऐसी शिक्षा के लिये राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा अंश लगना चाहिये लेकिन आज वह नहीं लगा है और उसका परिणाम यह है कि आप बेकारी बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप बेकारी को दूर करने नहीं करते हैं।

बेकारी दूर करने के लिये दूसरा रास्ता था कि देश के अन्दर कुटीर-उद्योग का उद्भव होना चाहिये। मैं मानता हूं कि सरकार यह कह सकती है कि हम कुटीर-उद्योग कर रहे हैं लेकिन प्रश्न यह है कि आप जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं आज की दुनिया में बिना पावर के आप उसकी तरक्की कैसे कर सकेंगे। आज तो दुनिया के हर बड़े-बड़े देशों में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज विकन्द्रित हैं। जो छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग हैं, श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो मोटर के बड़े-बड़े कारखाने हैं उनके भी जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वे छोटी-छोटी फैक्टरियों में इन्डिविजुअल द्वारा या मैनुफैक्चरर द्वारा बनाये जाते हैं और जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों में एसेम्बुल होकर उनके ठप्पे लगा कर बाहर निकाल दिये जाते हैं तो हमारी सरकार ने पावर के आधार पर छोटे-छोटे कारखाने खड़े करने के लिये क्या प्रयास किया है ? आप भले ही कह लें कि पावरलूम से थोड़े से पर्दे बुन लिये, या पावर के जरिये थोड़े से पीतल या तांबे के बर्तन बना लिये, लेकिन इससे बेकारी नहीं दूर होने वाली है। वास्तव में बेकारी तभी दूर होगी जब छोटे-छोटे धंधों को पनपाया जायगा, जब विकेन्द्रीकरण होगा और उसके आधार पर बेकार लोगों को काम मिलेगा। परन्तु हमें खेद है कि उस नीति को दुर्लक्ष्य किया गया।

मैं यहां यह भी कहूंगा कि रिहन्द बांध की बिजली जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अंश के जीवन के वैभव का स्वप्न निर्माण किया गया था वह बिजली सहस्त्रों के लाभ में न लगाकर केवल एक व्यक्ति के लिये दी जा रही है। मैं नियत पर आक्रमण नहीं करता, हो सकता है कि सरकार का विचार हो कि प्रदेश का उद्योगीकरण करना है परन्तु प्रश्न यह है कि केवल एक बड़े उद्योग के लगाने से या दो चार हजार आदमियों को काम मिलने से क्या यहां की बेकारी दूर हो सकती है ? यदि छोटे-छोटे पावर प्लान्ट लगाने से दस पंद्रह हजार आदमियों के परिवारों को रोजगार उस बिजली से मिल सकता तो उससे और भी अधिक बेकारी दूर हो सकती थी। बिजली के बारे में मुझे एक शिकायत और है कि यह बिजली जो बिरला को दी जा रही है वह किस रेट पर दी जा रही है और किस दृष्टिकोण से दी जा रही है। मेरे खयाल से ऐसा कनसेशन गलत है क्यों कि वह बिजली का जो निर्माण हुआ है वह जनता द्वारा दिये गये टैक्सेज के आधार पर हुआ है और उस का लाभ भी जिनका टैक्स का पैसा लगा है उन्हीं को मिलना चाहिये। अगर बिजली का रेट कम होगा तो उसका अर्थ होगा कि ६० लाख रुपया बिरला को कम देना होगा, इसके माने हैं कि सरकार द्वारा ६० लाख का गिफ्ट बिरला को दिया जा रहा है। जब बिरला इतना बड़ा प्लान्ट लगा रहे थे तो क्या वह ६० लाख रुपया और नहीं व्यय कर सकते थे ? टेरिफ कमीशन ने सन् ५४ की रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अगर कोई अलमूनियम की इंडस्ट्री यहां स्टार्ट करे तो उसे कनसेशन रेट पर बिजली दी जाय लेकिन सरकार की उस हानि की भी तो पूर्ति होनी चाहिये। इस तरह से जो लाभ हो उस में से यह हमारी हानि भारत सरकार के स्पेशल फंड से रिएम्बर्स होनी चाहिये। क्या इस घाटे की पूर्ति के लिये इस सरकार ने भारत सरकार से मांग की कि वह रिएम्बर्स किया जाय और वह कस्टम्स की आय के फंड से दिया जाय ? अगर नहीं की तो गलत है और अगर की है तो उसे स्पष्ट बताना चाहिये कि की है। परन्तु इस प्रकार की कोई स्पष्ट बात हमारे सामने नहीं आती और न सरकार ही इस बात को स्पष्ट करती है, इससे लोगों को शंका हो सकती है कि यह सारा बिजली का निर्माण जनता और नागरिकों के उद्योगों के लिये होगा या केवल एक व्यक्ति या दो-चार हजार व्यक्तियों को ही उसका लाभ पहुंचेगा। अगर एक व्यक्ति को इस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है तो इस प्रकार की नीति गलत है। इस से लाभ होना चाहिये था छोटे-छोटे लोगों को और पावर के आधार पर छोटे-छोटे उद्योगों को चलाकर उद्योग में लोगों को लगाना चाहिये था ताकि बेकारी दूर होती और सहस्त्रों लोग काम में लगते और बेकारी घटती। इससे तो बेकारी बढ़ती है।

मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाद्य समस्या का जिक्र करते हुये माननीय राज्यपाल ने कहा कि अगर सारी परिस्थितियां ठीक रहीं, पानी ठीक से बरसा ....

श्री उपाध्यक्ष--समय बढ़ाने के बाद भी आप का दो तीन मिनट ही है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मेरी प्रार्थना है कि ५ मिनट बढ़ा दें तो बड़ी कृपा हो।

श्री उपाध्यक्ष--५ मिनट बढ़ाने के बाद ही आपके ३ मिनट अभी हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--तो अगर पानी ठीक से बरसा, बाढ़ नहीं आई, सूखा नहीं पड़ा यानी प्रकृति ने कोप नहीं किया तो गल्ला पूर्ण पैदा होगा। तो फिर आपके यह सारे रबी और खरीफ आन्दोलन का फल क्या है? अगर प्रकृति ही ठीक रही तो स्वभावत: गल्ला पैदा होगा। वास्तव में प्लानिंग का यह अर्थ होता है कि प्रकृति प्रतिकूल भी हो जाय तो भी हमारा उत्पादन इतना हो कि हम अपनी रक्षा कर सकें। परन्तु श्रीमन्, यह तारीफ लेना कि अगर सब ठीक रहा तो हमारा कार्य सब अच्छा होगा, यह तो कोई अर्थ नहीं रखता। वास्तव में गड़बड़ होने के बाद ठीक रहे तब आपकी प्रशंसा की जाय। नेगी जी को बड़ा दु:ख है कि हम लोग प्रशंसा नहीं करते उनके कार्य की। नेगी जी को छेड़ने में हम लोगों को कुछ आनन्द भी आता है। हम प्रशंसा तो तब करेंगे कि प्रकृति के कुपित होने के बाद भी प्रान्त में इतना अन्न हो जाय कि हमारी समस्या हल हो। लेकिन हम मिथ्या प्रशंसा नहीं करेंगे, नेगी जी की आशा है कि सब कुछ ठीक रहे तो हम ठीक हैं, इसके लिये मिथ्या प्रशंसा करने में तो मैं क्षमा चाहूंगा। (एक माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) उन्हें, नास्तिक और आस्तिक का भेद ही पता नहीं इसलिये छोड़ देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--इस विषय पर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अगर उन्होंने इसका जिक्र किया होता तो अभी स्पष्ट हो जाता कि कौन बधाई का पात्र है।

श्रीमन्, एक बात और कहनी है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्या भ्रष्टाचार किया जाता है? उसका कारण नीति का गलत होना है। लखनऊ में एक्साइज़ लाइसेंस जो दिये जाते हैं उनकी जो फीस है और जो स्पिरिट और लिकर लाइसेंस प्राइस पर बेची जाती है वह फीस के दाम से कम है। कोई भी ठेकेदार इतना पागल नहीं है कि घाटा उठावे। वह करते क्या हैं, इल्लीसिट डिस्टीलेशन कराते हैं और जो प्राहीबिटेड एरिया है वहां औने पौने दाम में बेचते हैं। कानपुर की गुमटी नं० ५ इसके लिये बहुत मशहूर है। दूसरी ओर जहां चीनी के मिल मालिकों को चीनी में मुनाफा कराया वहां उन्हीं की एल्कोहल को रेक्टीफाई करके प्राहिबिटेड एरिया में, औने पौने दामों पर बिचवाया जाता है, और उसकी जानकारी सारे विभाग को है लेकिन सब आंख बन्द करके बैठे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से क्या संशोधन पेश कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी ने अगर आपको इजाजत दी हो तो आप कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि--

प्रस्ताव के अन्त में निम्मलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"किन्तु सदन को खेद है कि --

(१) राज्यपाल महोदय ने श्री जवाहरलाल नेहरू की अपरिपक्व तथा दो शक्तियों को बारी-बारी से प्रसन्न रखने की नीति ने जो राष्ट्रीय अहित किया है, उसकी ओर सदन का ध्यान नहीं खींचा।

(२) तिब्बत–नेपाल-गोवा-कश्मीर के सम्बन्ध में श्री नेहरू जी की लचर नीति ने देश का जो अहित किया उस पर सदन का ध्यान नहीं खींचा ।

(३) राज्य सरकार ने जिस प्रकार संविधान–कानून तथा जनतांत्रिक मर्यादाओं का हनन किया है, उस पर कुछ नहीं कहा ।

(४) सदन में बार-बार घोषणा करने के बाद भी जिला परिषदों तथा कारपोरेशन का चुनाव स्थगित किया गया इसके लिये सरकार की भर्त्सना नहीं की ।

(५) प्रदेश के बढ़ते हुये खाद्य संकट की ओर सदन का ध्यान नहीं खींचा ।

(६) कृषि तथा कारखाना जन्य वस्तुओं की कीमतों में न्याययुक्त सन्तुलन कायम रखने में सरकारी असफलताओं की ओर ध्यान नहीं दिया ।

(७) कीमतों के चढ़ाव को रोकने में प्रदेशीय सरकार की गलत नीतियों की ओर ध्यान नहीं दिया ।

(८) मन्त्रियों तथा सरकारी विभागों में फैले हुये भ्रष्टाचार तथा कुनबापरस्ती के कारण प्रदेश में फैले हुये व्यापक असन्तोष का वर्णन नहीं किया ।

(९) प्रदेश में बढ़ते हुये कत्ल, डाका, चोरी को रोक सकने में सरकारी असफलता की ओर ध्यान नहीं दिया ।

(१०) पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता की ओर संकेत नहीं किया ।

(११) खाद्य आन्दोलन के दरमियान सरकार द्वारा दमन नीति पर खेद प्रकट नहीं किया है ।

(१२) हरिजन विद्यार्थियों के शुल्क पर छूट अथवा हरिजनों को सहायता नहीं दे सकने के साथ विधान सभा सदस्यों को वेतन वृद्धि व यात्रा सम्बन्धी सुविधायें देने का फैसला कर असन्तोष का वातावरण कर दिया है ।

(१३) विद्यार्थियों के असाधारण रूप से अनुत्तीर्ण होने से शिक्षा नीति के खोखलेपन पर खेद नहीं प्रकट किया ।

(१४) अलाभकर जोतों की खेती पर लगान सम्बन्धी छूट की घोषणा का न होना ।

(१५) सरकार की मजदूर नीति की असफलता के कारण प्रदेश के जनता एवं मजदूरों की तबाही व बेरोजगारी का वर्णन नहीं किया ।

(१६) रिहन्द बांध द्वारा उत्पादित विद्युत का वितरण पूर्वी भागों को न देकर अनुचित रूप से व्यय किये जाने पर चिन्ता नहीं प्रकट की ।

(१७) शक्कर वितरण में पूंजीपतियों को उत्साह प्रदान करना एवं गन्ना मूल्य में वृद्धि कर सकने में असमर्थता प्रकट करना ।

(१८) लेखा याचिकाओं पर शुल्क बढ़ाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार पर अभिघात किया गया है ?

(१९) बिक्री-कर, सिंचाई-कर, पंचायत-कर आदि करों के बोझ से अत्यधिक दबी हुई जनता के निस्तार का कोई प्रयास नहीं किया ।

(२०) कक्षा ८ के विद्यार्थियों के शुल्क माफ करने की सरकारी घोषणा के विरुद्ध कार्य किया गया एवं वचन भंग पर खेद प्रकट नहीं किया ।

(२१) सरकार अपने आश्वासनों को पूरा करने में असफल रही है, जैसे तारीख २७ फरवरी, १९५९ को सदन में मुख्य मन्त्री द्वारा, मन्त्रियों के विरुद्ध रखे गये आरोपों पर खुली जांच न कर सकने पर खेद नहीं प्रकट किया है ।

(२२) पिछड़ा-वर्ग कमीशन की रपट की सिफारिशों को लागू न करके जो उस वर्ग के हितों का हनन किया है उस पर खेद प्रकट नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

(२३) राज्य शक्ति तथा अर्धशक्ति को जनतान्त्रिक व विकेन्द्रित कर चौखम्भा राज्य बनाने के औचित्य पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया ।"

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । मेरी राय में यह जो प्रस्ताव किया गया है इसके जो आइटम नम्बर १ और २ हैं जिनमें श्री जवाहरलाल नेहरू की अपरिपक्व तथा दो शक्तियों को बारी-बारी से प्रसन्न रखने की नीति ने जो राष्ट्रीय अहित किया है तथा दूसरे में तिब्बत-नेपाल-गोआ-काश्मीर आदि का जिक्र है, मैं समझता हूं यह यहां पर उपस्थित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका फारेन नीति से सम्बन्ध है और हमारी विधान सभा के क्षेत्र के बाहर की चीज है । इसी तरह से मेरा निवेदन यह है कि आइटम नम्बर २१ जो है, आज सवेरे जो मैंने बयान दिया और उस पर जो राय माननीय अध्यक्ष ने दी उसके बाद यह भी नहीं उपस्थित हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--श्री मोतीलाल जी आपको, क्या कहना है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान, मुझे इतना ही कहना है कि इसमें जो माननीय राज्यपाल जी ने उल्लेख करके तटस्थ रूप में अपनी व्याख्या की है, अतः हमें भी उसी चीज को ले करके कुछ अधिकार जरूर प्राप्त हो जाता है । यद्यपि विदेशी नीति का पूरे रूप में विश्लेषण नहीं करना चाहते लेकिन जैसा उल्ललेख अभिभाषण में हुआ है वैसा ही उल्लेख हम भी करना चाहते हैं । २१ नम्बर के बारे में यह कहना है उसका भी जवाब इस हाउस में दिया जा चुका है और उसके बारे में जो निर्णय माननीय अध्यक्ष ने दिया है उसी के अन्तर्गत रहते हुए इसका उल्लेख किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--जिस व्यवस्था के प्रश्न की तरफ मेरा ध्यान दिलाया गया है उस सम्बन्ध में मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम २० (३) की तरफ दिलाना चाहता हूं :

"20(3). The Speaker shall in consultation with the Leader of the House allot time, which shall ordinarily be three days for the discussion of the matters referred to in the Governor's address : "

जितने भी विषय माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में आये हैं, जिनका रिफरेंस आ गया है, वे इस नियम के मातहत हमारे परव्यू में आ जाते हैं । और चूंकि माननीय राज्यपाल महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय बातों का जिक्र किया है इसलिये मैं इन दोनों अंशों पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उठायी गई आपत्ति को अस्वीकार करता हूं और माननीय मोतीलाल अवस्थी को यह अधिकार होगा कि वे इस पर चर्चा कर सकें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आइटम नम्बर २१ के बारे में . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मोतीलाल ने कहा है कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है उसकी सीमा के अन्तर्गत ही भाषण देंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं आइटम नम्बर १ और २ के विषय में कहना चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष--अब निर्णय हो चुका है । आप देर से उठे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत ही आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे पैराग्राफ में ये शब्द हैं "जेनेवा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वार्ता का परिणाम भविष्य में संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच शान्ति तथा अनुकूल सम्बन्ध कायम रखने के लिये काफी महत्वपूर्ण होगा। इस बार्ता के फलस्वरूप शिखर सम्मेलन की भी संभावना है"। इस बात का उल्लेख करके हमारे महामान्य राज्यपाल जी ने उस सारे संसार की नीति का उल्लेख किया है जिसको अगर हम गौर से देखें तो उसका अन्ततोगत्वा परिणाम यह होता है कि यह हमको कहीं भी ले नहीं जाती है। यह शिखर सम्मेलन अनेकानेक बार अफसल हुए हैं और उनसे कोई सुखद परिणाम नहीं निकला है।

तिब्बत के सम्बन्ध में जो घटनायें हुईं और दलाई लामा ने हिन्दुस्तान में आकर जो स्थान पाया उस को हम इतना महत्व नहीं दे सकते कि हम उसे अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सफलताओं में दिखला सकें। यह बात और है कि चीन के प्रति हम जो रुख अख्तियार करेंगे उस समय बतला सकेंगे कि हमारा रुख उचित है या अनुचित है। इस सम्बन्ध में अधिक उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि नियमबद्ध हूं लेकिन जो उल्लेख हो चुका है अभिभाषण में उस सम्बन्ध में बतलाने में भी मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि केन्द्र की जो अन्तर्राष्ट्रीय नीति रही है उस नीति को इस पार्टी की तरफ से कभी भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। उनकी नीति हमेशा इस संसार के दो ब्लाकों में कभी इधर और कभी उधर का पक्ष ले कर रही है--तटस्थ कभी भी नहीं रही और मैं यह कहने से नहीं चूकूंगा कि यह नीति इस देश के लिये हितकर साबित नहीं हुई है। गोआ के सम्बन्ध में भी मैं स्पष्ट कह दूं कि हमने कमजोरी दिखलाई है। सारा संसार देख रहा है कि गोआ जैसे प्रश्न को भी हमारा देश तय नहीं कर सका, यह हमारी कमजोरी का द्योतक है।

अनेक बातों को लेकर इसमें २३-२४ संशोधन रखे गये हैं लेकिन मेरी समझ में इतने ही संशोधन काफी नहीं हैं। इस अभिभाषण के सम्बन्ध में अगर हम संशोधनों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करना चाहें तो २३ से कई गुना ज्यादा संशोधन हो सकते हैं लेकिन मुख्य-मुख्य जो अंश रखे गये हैं उन्हीं पर विरोधीदल के नेताओं ने अपने भाषणों में अपने विचारों को व्यक्त किया है। शेष जो मुख्य बातें रह गयी हैं उन्हीं की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। आप देखें कि विशेष तौर से इस हमारे राज्यपाल जी के अभिभाषण के वर्मियान सबसे बड़ी घटना अगर कोई हुई है तो वह खाद्य आन्दोलन रहा है। उस खाद्य आन्दोलन में जो कि पिछले समय सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में रहा और जिसमें कि सभी विरोधी पार्टियों ने भाग लिया और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की वह कहां तक सफल या असफल रहा यह सभी को ज्ञात है। यह कहा जाता है कि एक प्रकार से समझौता कर के उसमें दूसरी पार्टियों का विश्वास प्राप्त किया गया लेकिन हमें यह कहने का साहस है कि जो कदम उठाया जिसमें विरोधी पार्टियों का सहयोग प्राप्त किया वह असफल सिद्ध हुआ। स्पष्ट है कि जो सलाहकार समिति बनी वह कितनी असफल सिद्ध हुई और जो कार्य हुआ उससे भी सिद्ध हुआ कि खाद्य समिति की नीति प्रारम्भ से ही असफल साबित हुई और हमने जो स्पष्ट रूप से अपना रुख अख्तियार किया और इस खाद्य समस्या की नीति के सम्बन्ध में जो सत्याग्रह किया उस सम्बन्ध में आज भी मैं स्पष्ट कहने के लिये तैयार हूं कि हमने जो कदम उठाया था सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये, सरकार को सुझाव देने के लिये उसी स्थान पर आज भी हम मौजूद हैं और यह समझते हैं कि सरकार को पूरा-पूरा जवाब मिल चुका है।

(इस समय ४ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके साथ सी साथ मैं दो, तीन मुख्य चीजें और लाना चाहता हूं। मुझे विशेष तौर से एक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता महसूस होती है। मैं अपने को एक अध्यापक समझता हूं और अध्यापक हूं भी और उसके नाते मुझे यह साहस होता है कि सब से पहले सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर ले जाऊं और इस सम्बन्ध में मुझे जो राज्यपाल का अभिभाषण दिखलाई पड़ा उससे बड़ी निराशा पैदा हुई। राज्यपाल जी ने सारे अपने

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अभिभाषण में जो हिन्दी में २७ पृष्ठों में है कहीं भी शिक्षा का समुचित उल्लेख नहीं किया है। कहीं उल्लेख किया है तो विश्वविद्यालयों की शिक्षा का उल्लेख किया है लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस शिक्षा में मुख्य अंश माध्यमिक शिक्षा का है और इस माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की संख्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या से १० गुनी और कालेजों के विद्यार्थियों की संख्या से ६ गुनी अधिक है। उनकी ओर हमारी सरकार द्वारा एक विशेष रूप से व्यवहार हुआ है और उसका ध्यान हमारे राज्यपाल के द्वारा न हो यह आश्चर्य की बात है। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सवा लाख के करीब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुये। इसके कारण जो उन्हें निराशा या आर्थिक दंड मिला उसके साथ-साथ आज एक विशेष बात पैदा हो रही है कि उन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश पाने में एक बहुत ही संकट उपस्थित हो गया है। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि हमारे राज्यपाल जी ने इसका किंचित मात्र भी उल्लेख करना उचित नहीं समझा जबकि हमारी यूनियन गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्री, श्री श्रीमाली जी ने २७ तारीख को जो बयान दिया है उसमें कहा है--

"Again, he added, there was the problem of those who failed at the High School stage. The percentage of failures here was quite high. These failures created a serious situation as it involved a large waste in money and human resources. The problem created by the two types of students was a big one, and it called for a courageous and firm decision".

(आवाजें--इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।) उन्होंने यह कहा है कि इस साल हाई स्कूल में एक बहुत बड़ी संख्या फेल विद्यार्थियों की है जिसके कारण एक विकट स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि धन का अपव्यय और मनुष्यमात्र के श्रम का अपव्यय हुआ है और इसकी ओर हर एक को ध्यान देना उचित है।

आज हमारे सामने जो शिक्षा विभाग की ओर से योजनायें आयीं उनमें एक बात विशेष रूप से देखने को मिली कि जब-जब शिक्षा के दोषों के सम्बन्ध में हम लोगों ने यह बात रखनी चाही कि सरकार अपनी नीति को प्रदर्शित करे तब-तब विभाग की ओर से यह कहा गया कि नीति निर्धारण का कार्य सरकार का नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्री के वे शब्द मुझे याद हैं जो उन्होंने कहे थे कि जब कोई महान पुरुष अवतार लेगा तब शिक्षा की नीति का प्रदर्शन होगा। मेरी समझ में नहीं आया कि वे किस महान पुरुष के अवतार का इन्तजार कर रहे हैं। क्या वे 'गीता' के उस श्लोक की बात तो नहीं कर रहे हैं कि "यदा यदा हि धर्मस्य....," जब-जब धर्म की हानि होगी तब-तब महान् पुरुष पैदा होंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल वी० वी० गिरि ने जब गवर्नरशिप का चार्ज लिया था तो मैंने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी और उस समय भी मैंने उनके सामने यह रखने को कोशिश की कि आज हमारे देश में शिक्षा इतनी विकृत है कि विद्यार्थियों का बड़ा ह्रास हो रहा है और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था लेकिन मुझे दुःख है कि हमारे राज्यपाल ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरी बात मुझे ग्रामों की स्थिति के बारे में कहनी है। इसमें यह उल्लेख है कि ग्रामों में जो हमने लगान के सम्बन्ध में नये सुधार किये हैं या लीकेज स्कीम के मुताबिक जो नयी जांच की जा रही है उससे दो करोड़ रुपये की अधिक आमदनी होगी। इसमें किसी को एतराज नहीं है कि जितना लगान छूटा हो वह अवश्य वसूल किया जाय लेकिन यदि उसकी आड़ में किसानों पर अत्याचार हो तो वह हमें बर्दाश्त नहीं है। आज इस लीकेज स्कीम के मुताबिक जो लगान दुरुस्ती के बारे में सरकार का प्रयास है उसकी आड़ में बड़ा भारी जुल्म किया जा रहा है। किसानों को बिला किसी प्रकार की पूर्व सूचना दिये हुये उनसे बढ़ा कर लगान वसूल किया जा रहा है और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है कि वे अपनी कठिनाइयों को बता सकें। आज देहातों में जो अमीन जाते हैं वे उस बढ़ोत्तरी वाले लगान को पहले वसूल करते हैं और बाद में

बाजिबुल अदा लगान की वसूली करते हैं। सरकार द्वारा दी हुई जमीनों का उन सालों का भी लगान किसानों से वसूल किया जा रहा है जिन सालों में उन्होंने उसे जोता भी नहीं था। या यह कहें कि उन रकबों का भी लगान वसूल किया जा रहा है जिसको कभी उन्होंने जोता भी नहीं था या फिर उस सर्किल रेट से वसूल किया जा रहा है जो कभी देय नहीं था। इस तरह से किसानों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किये जा रहे हैं और कहा यह जाता है कि हमने दो करोड़ रुपया वसूल कर लिया। मैं इसको मानता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से दो करोड़ क्या ६ करोड़ भी वसूल कर के आप सफलता दिखा सकते हैं लेकिन यह चीज न्यायपूर्वक करनी चाहिये यदि न्यायपूर्वक की जायगी तो उचित होगा। आज इस अन्याय तथा अत्याचार के कारण ही जिले-जिले में तथा तहसील-तहसील में प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

श्रीमन्, राज्यपाल जी के भाषण में यह कहा जाता है कि हमने खर्चे में बचत करने का प्रयास किया है लेकिन इसी के साथ-साथ यह भी उल्लेख है कि मेसर्स मार्टिन बर्न कम्पनी को डीजल सेट्स किराये पर दिये जा रहे हैं। श्रीमन्, आप को खयाल होगा कि यह वही कम्पनी है जिसके काले कारनामे हाउस के सामने आ चुके हैं और स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिक्र किया था कि कई लाख का गबन या हिसाब में गड़बड़ी इस कम्पनी में है। यह सब कुछ होते हुये भी फिर न जाने क्यों गवर्नमेंट का इस तरफ झुकाव है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। एक तरफ तो हमारी सरकार कहती है कि दो करोड़ रुपया वसूल कर के हम अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं।

राज्यपाल जी के भाषण में कहा गया है कि पी० डब्लू० डी० में फिजूल खर्ची को पकड़ने के लिये एक नया विभाग खोला जा रहा है श्रीमन्। क्या वह एक सेल के रूप में बनेगा एवं वह टेक्नीकल अधिकारियों का कायम किया जायगा? श्रीमन्, एक कहावत है कि अगर करप्टेड को इन्क्वायरी दी जायगी तो वह क्या इन्क्वायरी कर सकता है। वह तो स्वयं करप्ट हो जायगा। जो भ्रष्ट है वह भ्रष्टाचार को रोकने में क्या सफल हो सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बातचीत के सिलसिले में कहा था कि क्या करूं, जिसको मैं इन्क्वायरी के लिये भेजता हूं वह स्वयं करप्ट हो जाता है। आप विभागों को बढ़ाते जा रहे हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे तो यह कैसे हो सकता है? अगर आप किसी भ्रष्टाचारी से जांच करायेंगे तो वह क्या जांच करेगा वह तो भ्रष्टाचारी की श्रेणी में पहले से ही शामिल हो जायगा।

खाद्य मंत्री जी ने बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण किया था लेकिन उनको इतना तो जानना ही चाहिये कि उनके मंत्रित्वकाल में यह कदम उठाया गया था कि फेयर प्राइस शाप्स देने के लिये एम० एल० एज० से सलाह करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी जिले में आपके किसी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने इस सम्बन्ध में किसी सदस्य से सलाह लेना उचित समझा। यदि आप जनता को और विरोधी पार्टियों को अपने कांफीडेंस में लेना चाहते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर आपकी कमेटियां बनी हुई हैं उनका उपयोग करें।

श्रीमन्, आप देखें कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख है कि न्याय करने में अब देरी नहीं होती है और जल्दी होने लगा है। इस संबंध में मैं थोड़े से आंकड़े इस आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास जुडीशियल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से मुकद्दमों के एरियस बढ़ते जा रहे हैं। सिविल जज रेगूलर के यहां पेंडिंग सूट्स १९५६ में ४,९७१ थे और अब ५,६०६ हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि पूरी ट्रायल के बाद जो केस डिसाइड हुये उनकी तादाद ३४,४४६ से बढ़कर ३६,९०२ हो गई। इसी तरह से यह एक बड़ा भारी स्टेटमेंट है। इससे मालूम होता है कि हमारी जुडीशियरी निकम्मी हो गई है। हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि न्याय करने में सुधार कर चुके हैं। यह बात बिलकुल उसी प्रकार से सत्य नहीं है जिस प्रकार से आम तौर से जानी हुई बात को लोगों से दूसरी तरह कहना। सरकार ने अनेक इकानोमी कमेटीज बनाई। उन्होंने अपनी रिपोर्टें दीं। लेकिन उनकी सारी रिपोर्टें अलमारियों में बन्द हैं।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यह कहा जाता है कि हम इफीशेंसी लाने के लिये बहुत से विभागों को अबालिश कर रहे हैं एवं कुछ Departmental Heads को abeyance में रख रहे हैं। लेकिन इस बात को साबित करने के लिये कोई कांक्रीट स्टेटमेंट सामने नहीं आया। इसलिये यह कहना कि शासकीय खर्चे में कमी करने में वह कारगर हो रहे हैं हालत बिलकुल इसकी उल्टी है। सरकार नये-नये विभाग खोल कर इस प्रदेश को बरबादी की ओर खींच रही है। मैं आपका ध्यान उन बातों की ओर आकर्षित करूंगा जो मेरे संशोधन में हैं। जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। पिछली बार जो कोर्ट फीस अमेंडमेंट बिल आया था उसमें हमारी ओर से कहा गया था आप जनता के अधिकारों पर आघात न करें। सरकार उस बात को नहीं मानना चाहती क्योंकि वह रुपये के लालच में पड़ गई है। उसने उस कानून को बहुमत के बल पर पास किया। आज हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरेस करार दे दिया। फिर भी आर्डिनेंस जारी किया जाता है और जनता के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है। उसकी ओर से एश्योरेंसेज दिये जाते हैं लेकिन एक भी एश्योरेंस पूरा नहीं होता। सरकार ने जिला परिषदों के सिलसिले में जो बंगिलग की है वह विशेष उल्लेखनीय है। इस पार्टी की तरफ से बार-बार मांग की गई कि आप इन जिला परिषदों और कावाल (KAVAL) म्युनिसिपैलिटियों का कार्य काल बढ़ा कर निरंकुश शासन स्थापित कर रहे हैं। हमने कहा था कि सरकार कहती तो है कि चुनाव कराने जा रहे हैं लेकिन सचमुच वह अपने वचन का पालन नहीं करती बल्कि टालने की नीति पर चलना चाहती है। वह बात सत्य कट हुई। उसने बहानेबाजी करके चुनाव को टालना शुरू किया। आज वह कहती हैं कि हम चुनाव अक्तूबर में करायेंगे लेकिन पूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव दस साल तक जो उसने टालने की नीति अख्तियार की और कार्पोरेशन बिल पास करने के बाद भी कावाल (KAVVL) शहरों के चुनाव टालने की नीति बरती, क्या इसके मानी यह नहीं हैं कि सरकार उस वक्त का इन्तजार कर रही है जब कि समय उसके माफिक हो। आप विरोधी दल की बातें चाहे न सुनें लेकिन याद रखिये कि आपके घर में ही फूट है। वह बता देती है कि आपकी नीति कमजोर है। आप अपने घर में ही लौट कर देखें कि कितना आपकी नीति का प्रतिपादन होता है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय--

[१ श्री उदय शंकर प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"किन्तु खेद है कि सम्बोधन में इस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि जिस वातावरण में विकास सम्बन्धी कार्य होते हैं वह वातावरण पैदा करने तथा शासन के अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिये क्या कदम राज्यपाल महोदय की सरकार उठाने जा रही है।"

२ श्री रामसुन्दर पाण्डे प्रस्ताव के अन्त में निम्न वाक्य और बढ़ा दिये जायं--

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में निम्न बातों की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया तथा सरकार द्वारा दिये गये गलत कामों के कारण उनकी भर्त्सना नहीं की--

(१) केन्द्रीय सरकार के मुताबिक प्रादेशिक सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिले, इस ओर संकेत नहीं किया।

[ ] उक्त संशोधन उपस्थित नहीं किये गये किन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार उपस्थित किये गये माने गये।

(२) प्रदेश के गरीब ग्रामीण जनता को भी शहरी जनता की तरह निवास-स्थान बनाने हेतु ऋण दिये जाने की ओर संकेत नहीं किया ।

(३) गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में नदियों के भीषण कटाव के कारण हजारों परिवार खाना-बदोश की भांति जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान प्रादेशिक सरकार का नहीं दिलाया ।

(४) नीचे के गांवों को सिंचाई विभाग द्वारा पूरा ऊंचा करने के लिये सरकार को आदेश नहीं दिये ।

(५) कोर्ट फीस ५ रु० के स्थान पर ५० रु० एकाएक कर देने के अपने आदेश को वापिस लेने की चर्चा नहीं की ।

(६) प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में ५ हजार की जन-संख्या पर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का आदेश प्रादेशिक सरकार को नहीं दिया ।

(७) प्रदेश के हजारों छात्रों का परीक्षा फल रोककर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की नीति की निन्दा नहीं की ।

(८) प्रदेश से शीघ्रातिशीघ्र बेरोजगारी खत्म करने की कोई ठोस योजना चालू करने के लिये सुझाव प्रादेशिक सरकार को नहीं दिया ।

(९) भूमि का बटवारा करके भूमिहीनों को काम देने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को नहीं दिया ।

(१०) पूर्वी जिलों की बढ़ती हुई आबादी रोकने तथा बेरोजगारी को शीघ्र खत्म करने के लिये नये-नये उद्योग धंधे खोलने हेतु सरकार को राय नहीं दी ।

(११) आजमगढ़ जिले के लेखपालों को २ रु० ८ आने मासिक बढ़ोत्तरी नहीं दिये जाने पर खेद प्रकट नहीं किया ।

(१२) पुलिस विभाग में काम करने वाले ग्राम चौकीदारों का ५ रु० मासिक वेतन जल्द से जल्द बढ़ाने के लिये प्रादेशिक सरकार को हिदायत नहीं दी ।

(१३) शासन तथा न्याय विभाग का बटवारा शीघ्र करने हेतु कोई राय सरकार को नहीं दी आदि-आदि ।"

३ श्री गजेन्द्र सिंह

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द और बढ़ा दिये जायं ।

"लेकिन सदन को खेद है कि—

(१) माननीय राज्यपाल ने इटावा जिले में चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार, जब कि जुलाई में इस समय खेत बो गये हैं, उस समय चकों के दखल दिलाने, खेतों के आदान-प्रदान करने, खड़ी फसल को कटवाने के विषय में कुछ नहीं कहा ।

(२) माननीय राज्यपाल ने प्रदेश में और खास तौर से इटावा जिले के बेकार पड़े कोआपरेटिव ट्यूबवेल, जिनमें हजारों रुपया सरकार व जनता का नष्ट हो रहा है, का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया ।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

(३) माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में रामगंगा बांध (जो सरकार की बहुउद्देशीय योजना है, जिससे प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को सिंचाई व बिजली मिलेगी) की बाबत कुछ नहीं कहा।

(४) माननीय राज्यपाल महोदय ने जमुना, चम्बल, क्वारी नदियों के आस-पास व बीच के प्रदेश की जनता की गरीबी के प्रमुख कारण—

(१) जमीन के कृषि योग्य न होने,

(२) कोई उद्योग-धंधा व अन्य साधन न होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया ।

(५) माननीय राज्यपाल महोदय ने अन्तरिम जिला परिषदों के कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों की नामजदगी करके अन्य पार्टियों की उपेक्षा करने के सरकार के रवैये की भर्त्सना नहीं की ।

(६) माननीय राज्यपाल महोदय ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा होने वाले निर्माण कार्यों के लिये ग्राम पंचायतों व कोआपरेटिव सोसाइटियों को ठेका देने की बाबत अपने भाषण में कुछ नहीं कहा ।"

४ श्री सीताराम शुक्ल प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन की राय है कि पार्टीबाजी और जातिवाद को मिटाने के लिये भी यदि सुझाव दिये गये होते तो सम्बोधन और अच्छा होता।"]

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से प्रस्तावक महोदय, उनके समर्थक और विरोधी वृन्द के व्याख्यानों को बहुत गौर से सुनता रहा कि शायद कोई सुझाव भी आये। मैं बड़ी इज्जत करता हूं माननीय त्रिलोकी सिंह जी की और माननीय पालीवाल जी की लेकिन कोई सुझाव नहीं आया। शिकायत तो आयी। और शिकायत भी वही जो हर साल आया करती है, कोई नयी नहीं। हां, एक दिल्लगी यह और हुई कि दुबे जी ने अच्छाई की भी शिकायत कर दी कि बेईमानी करने वाले को क्यों गिरफ्तार किया गया। ब्लैक मार्केटिंग हो तो भी बुरी चीज है मगर गिरफ्तार कर लिया जाय तो बुरी चीज है। सुनकर ताज्जुब हुआ कि विद्वान होकर ऐसी बात कैसे कह गये ? हमारे मोतीलाल जी ने जो फरमाया मैंने बड़ी गौर से सुना। लेकिन मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। इतनी जल्दी-जल्दी बोलते हुए भाषण किया कि कुछ भी अंश समझ में नहीं आया। वह अध्यापक हैं। यहां सुनायी नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं लेकिन जिन लड़कों को वह पढ़ायेंगे वह तो फेल हो जायेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर रुक रुक कर वह बोलें तो हम लोग भी फायदा उठाएं और आइंदा बच्चे भी पास हो जायं। अब मैं अर्ज करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां मौजूद हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसमें कोई शुबहा नहीं, हमें फख्र और नाज है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ऐसे ऊंचे कैरेक्टर के व्यक्ति यहां, मिले हैं जिनको चरित्र पांडित्य, बुद्धि, वक्तृत्व–कला, लेखन कला भगवान् ने इकट्ठा दे दी हैं। हमारी गवर्नमेन्ट के मेम्बर बहुत ही अच्छे हैं और निहायत मेहनत से काम करते हैं। और मुल्कों में यह है कि टाइम होगा तो चाय पियेंगे, खाना खायेंगे, आराम करेंगे, खेलने चले जायेंगे, मछली का शिकार भी करने चले जायेंगे लेकिन हमारे मुल्क में तो मंत्री वृन्द इतनी मेहनत से काम करते हैं कि उन्हें न खाने की फुर्सत है, न बैठने की फुर्सत है, न आराम करने की फुर्सत है। बाल बनवायेंगे तो बात करते जायेंगे, चाय पीयेंगे तो मतलब की बात होती जायगी, खाने

पर तो बहुत ही जरूरी बात होती रहती है । मेरा ख्याल है कि करीब १२ बजे रात से पहले तो कोई सोता ही नहीं और सबेरे फिर उठ जाते हैं। इतनी मेहनत से काम करते हैं और निस्सन्देह मुल्क को खुशहाल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह विरोधी वृन्द जो शिकायत करते हैं वह भी निराधार नहीं है। सुझाव नहीं देते यह शिकायत हमें उनसे है। वह यह नहीं बतलाते कि यह शिकायत है दूर कैसे की जाय। लेकिन जो शिकायत है वह तो निराधार नहीं है। वह है । अब सवाल यह पैदा होता है कि गवर्नमेन्ट बहुत अच्छी, निहायत मेहनत से काम करती है और शिकायतें भी जायज हैं तो क्या किया जाय ? कैसे ठीक किया जाय ? प्रश्न यही है। मैं केवल मर्सिया पढ़ने का आदी नहीं हूं कि फलां खराबी है और फलां खराबी है मैं इस पर भी गौर करता हूं कि जो खराबी है उसको ठीक कैसे किया जाय। मैं आपके सामने सुझाव रखूंगा ।

मेरी राय में यह खराबियां जो हैं वह पार्टी राज्य की हैं। आज पार्टी राज्य है। शासन एक पार्टी का चल रहा है और दूसरी पार्टी के लोग भी पार्टी बनाकर के हुकूमत में आना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि निहायत ईमानदारी से लोग समझते हैं कि हम हुकूमत में रहेंगे तो ज्यादा अच्छी खिदमत करेंगे और दूसरी पार्टी के लोग भी निहायत ईमानदारी से समझते हैं कि हम आयेंगे तो ज्यादा अच्छी खिदमत करेंगे क्योंकि "निगाह अपनी अपनी, पसन्द अपनी अपनी"। आप समझते हैं कि प्रजातंत्र अच्छा होगा, वह समझते हैं कि समाजवाद अच्छा होगा, दूसरे समझते हैं कि कम्युनिज्म अच्छा होगा। तो यह पार्टीबाजी का सबब है, और ऐसा हर जगह है, रूस में भी है, अमेरिका में भी पार्टी है। मैं यह चाहता हूं कि यह पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। पार्टीबाजी से ऊपर होकर शासन चलाना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि कांग्रेस की बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत मेहनत से काम करती है, लेकिन विरोधी वृन्द ही नहीं शिकायत करते हैं, आज सारी बिद्वान मंडली इंटेलिजेंशिया हमारे खिलाफ जा रही है और पार्टी के अन्दर भी लोगों को शिकायत है। इस सरकार के ९ मिनिस्टरों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये वह साथी हैं जिन्होंने कन्धे से कन्धा मिलाकर आजादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया था, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। यह देश के लिये अपनी जान पर खेलने वाले साथी थे जो कि आज हमसे अलग हो गए हैं। यही नहीं श्री राजगोपालाचारी, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए थे, श्री रंगा जो पार्लियामेंट्री पार्टी के सेक्रेटरी थे और मोदी जो कि यहां के गवर्नर थे, ये आजमाये हुए सेनानी थे, लेकिन ये आज हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। इसलिए हमको गौर करना होगा कि क्यों आज हमारी इतनी मुखालिफत हो रही है, कहां कमजोरी है, उसको दूर किया जाय। इसके लिये जरूरी यह है कि पार्टीबाजी से ऊपर आया जाय। पांडित्य और बुद्धि की पूजा की जाय। आज तो यह हो गया है कि चूंकि किसान मजदूर ज्यादा हैं तो क्या उपाय किया जाय कि किसान मजदूर का वोट हमको मिले। स्वराज्य होने से पहले ही नारा लगा दिया गया कि कांग्रेस तो पूंजीपतियों की संस्था और बाडी है, गान्धी जी बिड़ला हाउस में ठहरते हैं, मोटर पर चलते हैं, हम लोग ताकत में आयेंगे तो जमींदारी का नाश कर देंगे। प्रोग्राम सामने आ गया। इसी सूबे की जेल में पार्टी बनी थी। तो बजाय इसके कि कांग्रेस जबाब दे उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि जमींदारी तोड़ेंगे। हम उसको पहले ही तोड़ देते हैं। तुम तो नारा लगाकर लेना चाहते हो लेकिन हमने आज ही उसको तोड़ दिया। पूंजीपतियों पर हैवी टैक्स लगा दिया गया। अगर सही रूप में कानून की पाबन्दी की जाय तो उनको कोई मुनाफा जायज रूप से नहीं मिल सकता। दुबे जी ने कहा कि बिड़ला जी को बहुत बिजली दे दी गई। बिड़ला जी बिजली का क्या करते हैं वह उसको कारखाने में लगाते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है। इस उत्पादन को किसान भी लेता है और आप भी लेते हैं और दूसरे देशों को भी भेजा जाता है। वह कोई हजम करने की चीज नहीं है लेकिन उसूल ही कुछ लोगों ने बना लिया है कि गाली दो और वोट लो। आज कम्पटीशन हो रहा है कि जमींदारों और पूंजीपतियों को अधिक गाली कौन देता है, यह चीज बन्द होनी चाहिये। क्योंकि गाली देना तो बहुत आसान है और अब तो गाली ही नहीं रह गई है बल्कि यह हो गया है कि अगर यहां कुछ नहीं मिला तो दूसरी तरफ जायेंगे। अगर वहां भी स्थान नहीं मिला तो सोशलिस्ट हो जायंगे। अगर वहां

[श्री सीताराम शुक्ल]

पर भी जगह नहीं है तो कम्युनिस्टों में जांयगे। पढ़े-लिखे कुछ नहीं लेकिन शौक लगा हुआ है असेम्बली की मेम्बरी का लेकिन जब आजादी का बिगुल बजा था तब उससे भागते थे, आज कहते हैं कि फलां आदमी फलां जाति का है उसको वोट नहीं मिलना चाहिये। आज जाति पाति का प्रश्न सामने लाया जा रहा है। कुछ दिन पहले द्रविण कजगम लीडर आये थे उनके दर्शन के लिये इस हाउस के अनेक सदस्य भी गये थे। आज तो यह शौक बढ़ रहा है कि कौन किस जाति का है उसका ही पक्ष लिया जाय। यदि पांडित्य की पूजा की जाय अर्थात् टिकट उसे दिया जाय जो कि चरित्रवान हो फिर चाहे वह कांग्रेसी हो या गैरकांग्रेसी, तो उससे देश का लाभ होगा अगर असेम्बली के लिये आदमी भेजना है तो एक लाख में जो अच्छा हो उसको भेजा जाय और पार्लियामेन्ट के लिये जो ५ लाख में चरित्रवान और अच्छा आदमी हो उसको भेजा जाय तब देश का कल्याण जल्दी हो सकता है। इसके लिए पब्लिक पार्टी बनाना होगा। श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरा समय कितना बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—आपके ५ मिनट बाकी हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—इतने कम समय में मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आइन्दा कोई मीटिंग एड्रेस करने का मौका दें तब डिटेल में बता सकता हूं कि पब्लिक पार्टी कैसे बनाई जा सकती है। इस समय इशारा करके ही अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि देशभक्त वह है जिसके दिल मे दर्द हो—"दिल वह दिल नहीं जिसमें कि भरा दर्द न हो"। आज कुर्सी के लिये लड़ाई हो रही है। श्री चन्द्रभानु गुप्त मंत्रिमंडल में नहीं आ सकते हैं। वह आ सकते हैं जो कभी लड़ाई के मैदान में नहीं रहे थे। अगर अच्छा आदमी, पंडित आदमी छांटा जाय तो उसको अवश्य लेना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री पद के लिये डाक्टर सम्पूर्णानन्द से किसी को बढ़कर नहीं समझता। मुझे चारों तरफ उनसे अच्छा आदमी, विद्वान आदमी दिखाई नहीं देता। इनसे अच्छा आदमी हमको नहीं मिल सकता है। अगर किसी अन्य को इस स्थान पर बैठाने की कोशिश की गई तो उससे अच्छी हुकूमत नहीं चल सकती है, जो अच्छा हो उसको ही लाने की कोशिश की जाय। मगर आज तो ऐसा है कि पार्टीबाजी में जगह नहीं मिली तो इधर से उधर हो गये, शाम तक टोपी सफेद थी और टिकट नहीं मिला तो लाल हो गयी और लाल होने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो फिर उधर से इधर हो गये। तो मेरी गुजारिश है कि पार्टीबाजी से दूर रहिये।

स्वराज्य प्राप्ति के लिये जेल जाने की जरूरत थी, चक्की पीसने की जरूरत थी, फांसी पर झूल जाने की जरूरत थी, लेकिन आज मुल्क की खुशहाली के लिये कुर्सी की कुर्बानी की जरूरत है। पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि रूस में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी तो उसमें उस समय मसकाया नाम की एक बड़ी खूबसूरत कार्यकर्त्री काम करती थी। दो लीडर उस पर आशिक हो गये और मामला इतना तूल पकड़ गया कि अगर एक लीडर से वह शादी कर ले तो दूसरे का ग्रुप पार्टी छोड़ कर चला जायगा और अगर दूसरे से शादी कर ले तो पहले का ग्रुप पार्टी छोड़ देगा। उस कार्यकर्त्री ने अपने मुंह पर तेजाब डाल कर जला दिया। अस्पताल गयी, इलाज हुआ। लोगों ने कहा कि कैसे जल गयीं तो उसने कहा कि मेरा खूबसूरत चेहरा पार्टी का नुकसान करता था इसलिये मैंने इसको सजा दे कर काला कर दिया है। महात्मा गांधी की नीति भी यही थी। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के अन्दर लीडरी बढ़ रही है तो उन्होंने कहा कि हम चवन्नी के मेम्बर भी नहीं रहेंगे। मुल्क जब आजाद हुआ तो उन्होंने कोई पद नहीं लिया हालांकि दूसरे देश के लीडर क्रांति के बाद सिंहासन पर बैठे थे, महात्मा जी ने यही कहा कि हमको कुर्सी नहीं चाहिये। हमारे लिये तो "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम" काफी है। इसलिए कुर्सी की फिक्र नहीं करनी चाहिये क्योंकि कुर्सी जा नहीं सकती, अगर उसका त्याग कीजियेगा तो वह आपके पीछे घूमेगी, किन्तु यदि नौकरी दिलाकर सिफारिश करके रहेगी, ठेके दिला कर शासन

में आने का प्रयत्न कीजियेगा तो कुर्सी भाग जायगी। इसलिये हमको पार्टीबाजी से अलग उठ कर रहना चाहिये। हमें फख्र है कि मुख्य मंत्री जी यहां बैठे है। उत्तर प्रदेश हर काम में आगे रहा करता था, हमको इसमें भी आगे आने की आवश्यकता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी का नाम लिये जाने पर)

श्री टीकाराम पुजारी—मैं भी श्रीमन्, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आज भी रह जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—मैं श्रीमन्, जगदीशरण जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रारम्भ में ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने वित्त मंत्री जी के भाषण की चर्चा की है और मैं इस सदन को स्मरण दिलाने के लिये उसकी दो चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से इस प्रदेश की नीति का विवरण है और जिसके संदर्भ में हमारी सारी योजनायें चल रही हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि इसकी पुनरावृत्ति कर दी जाय। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि, 'केन्द्र में तथा देश के दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस सरकार की विशेषनीति, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करना है और समाजवादी व्यवस्था कायम करने का कार्य करना है'। इसके बाद उन्होंने कहा है कि विशेषनीति यह है कि पैदावार के मुख्य साधन समाजी मल्कियत या कंट्रोल में रहेंगे ताकि पैदावार बढ़ती रहे और देश की दौलत का मुनासिब और न्यायोचित बटवारा हो सकें। हमारे अंतिम लक्ष्य के बारे में शक की कोई गुंजायश नहीं होनी चाहिये थी। लेकिन अगर कोई थी तो वह अब नागपुर के हाल के कांग्रेस सेशन के फैसलों के कारण पूरी तौर से दूर हो गयी होगी। उन्होंने फिर कहा है कि कांग्रेस सरकारें लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये पूरी तौर से वचनबद्ध है ताकि देश की दौलत का उचित वितरण हो सके और सभी लोगों को समान अवसर मिल सके। हमारी योजना का ध्येय भी यही है और इसे राज्य के लोगों की अलग अलग और सम्मिलित कोशिशों से प्राप्त किया जाय, जो कि आपस में भाई चारे और प्रेम के धागे से बंधे हुए हैं और जिनके दुख-सुख समान हैं। उन्होंने आगे और कहा है कि इस सिलसिले में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों को अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करना है जब कि लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था में पैदावार के मुख्य साधनों पर समाजी कंट्रोल और राष्ट्रीय आय के समुचित वितरण की आवश्यकता है। उसी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर का भी यह कर्त्तव्य है कि वह इस काम में पूरी तरह से हाथ बटाये और तरक्की दे जो केवल अपने निजी लाभ की नीति से न हो बल्कि जिससे देश का लाभ हो"। श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल ने इसी ओर संकेत किया है और चेष्टा की है यह स्पष्ट करने की कि हमारे प्रदेश की क्या आर्थिक नीति है।

अब इसके साथ-साथ मैं एक विशेष विषय जिसके ऊपर माननीय नेता विरोधी दल ने, अवस्थी जी ने और दुबे जी ने चर्चा की है उसको भी लेना चाहता हूं। यह हमारे रिहैंड डैम की बिजली के बारे में चर्चा है पूर्वी जिलों के लिए। माननीय राज्यपाल ने विशेष रूप से विस्तार के साथ उसकी चर्चा की है कि हमें पूर्वी क्षेत्र की बिजली की आवश्यकताओं का भली प्रकार ज्ञान है और हम जागरूक हैं और किसी प्रकार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। गोरखपुर और मऊ के थर्मल स्टेशंस को हम रिहन्द से संबंधित करना चाहते हैं और १९६२ तक आशा है कि हमारे सभी स्टेशन्स संबंधित हो जायंगे और फिर पूर्वी जिलों की विद्युत समस्या पूरी हो जायगी। फिर उन्होंने दो-एक और योजनाओं की चर्चा की है जोकि बिजली की हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। ओबरा प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा है। फिर उनके अभिभाषण में बिजली की चर्चा नहीं की गयी, इसका क्या आधार है यह मेरी समझ में नहीं आया।

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

हमारे पूर्व वक्ता अवस्थी जी ने माननीय जवाहरलाल जी की नीति की चर्चा की है उस पर उन्होंने तिब्बत के दलाई लामा को जो यहां शरण दी गयी उसका जिक्र किया। उस सम्बन्ध में तो राज्यपाल महोदय ने प्रसंगवश थोड़ी चर्चा की थी ताकि सारा प्रदेश उससे परिचित हो जाय, कोई वैदेशिक नीति से उनका मतलब नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने जवाहरलाल जी की नीति की चर्चा की और चीन की और न जाने क्या क्या बातें कहीं। शायद उसका उन्होंने गलत अर्थ लगाया है या समझने में कमी की है। मैं केवल मुख्य मुख्य अंशों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

पहले उन्होंने कहा है कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, प्रथम योजना तो समाप्त हो चुकी है और दूसरी का चौथा वर्ष चल रहा है। पालीवाल जी की जो टिप्पणी है कि हम ग्रामों के लिये कुछ नहीं कर सके इसमें तथ्य नहीं, हम तो ग्रामों की तरफ ही गये हैं। शहरों की तरफ तो योजना का बहुत कम हिस्सा व्यय होता है। तो इससे अधिकतर गांव के लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इन योजनाओं का तो सारा आधार ही गांवों की उन्नति करना है, शहरों की तो कोई बात ही नहीं है। तो पालीवाल जी जो हमारे बड़े सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं वह किस प्रकार ऐसी बात कह पाये, यह मेरी समझ में नहीं आया इसलिये मुझे शंका है कि शायद उसके स्पष्टीकरण में वह भूल कर गये।

दूसरी बात जो माननीय राज्यपाल जी ने कही है वह प्रदेश के डेमोक्रैटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में है। हमारी नीति है कि हम बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिश के अनुसार जिलों के स्तर पर समाजवाद और जनतांत्रिक शासन को ला सकें। अभी जिला बोर्ड हमारे काम कर रहे थे उसके बाद अंतिरिम जिला परिषद् बनीं। इन दोनों का सम्मिश्रण करके जिला परिषद् बनी हैं और उस सम्बन्ध में हमारा विधेयक आ रहा है। माननीय राज्यपाल ने उसकी ओर संकेत किया है। उसका आधार यह है कि जिले के स्तर पर वह समितियां प्रदेशीय सरकार की भांति इस योजना के अनुसार कार्य कर सकेंगी। प्रदेश के स्तर पर तो अबतक हम करते ही थे, लेकिन अब जिले के स्तर पर नौकरशाही को समाप्त करने के लिये यह कदम उठाया गया है और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम है इसलिये राज्यपाल महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

इसके साथ ही साथ जो उन्होंने चर्चा की है कि कितना काम हम ९ वर्ष के अन्दर नियोजन समितियों द्वारा कर पाये हैं, प्लानिंग में जो दोनों योजनाएं चल रही हैं वह कहांतक कामयाब हो गयी हैं उसके सम्बन्ध में उन्होंने गोविन्द सहाय जी की इवेलुएशन कमेटी की चर्चा की है। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। उससे हम लोगों को जानकारी मिलेगी और योजनाओं को चलाने के लिए प्रदर्शन मिलेगा तो उसकी भी चर्चा माननीय राज्यपाल ने की है। इसलिये मैं उनको विशेष रूप से आपके द्वारा बधायी दे रहा हूं।

एक चर्चा उन्होंने और की है कि हमारे इस प्रदेश में अगर साधारण स्थिति रहे तो खाने के लिये अन्न बाहर से न मंगाना पड़े। केवल जैसे सूखा पड़ जाय या बाढ़ आ जाय तभी गड़बड़ हो सकता है और तभी बाहर से गल्ला मंगाने की जरूरत होती है। राज्यपाल महोदय ने प्रदेशीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों को बतलाया है कि रबी और खरीफ अभियान चलाकर और एग्रीकल्चर की योजनाओं को चलाकर वह इस ओर कितनी जागरूक है। परसाल रुद्रपर में एक यूनिवर्सिटी बनी जिसमें तीन कालेजेज हैं, पशुओं के लिये, इंजीनियरिंग के लिये और कृषि के अनुसन्धान कार्य करने के लिये, यह परसाल आरम्भ हो जायंगे जिसमें एक्सपेरिमेन्टल ज्ञान प्राप्त करके गांवों को बतलायेंगे कि किस तरह से उत्पादन बढ़ा सकें, किस तरह से साइंटिफिक तरीकों से जितनी भूमि और साधन हैं उसमें दुगुनी या चौगुनी पैदावार कर सके। गतवर्ष जनवरी में एक कान्फ्रेन्स सारे वैज्ञानिकों की हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि जितनी इस वर्ष देश या विश्व की पैदावार

है उससे अभी हम दस गुना पैदा कर सकते हैं । इसलिये वैज्ञानिक ढंग से हम कार्य करें और हम अपने प्रदेश में दुगुनी पैदावार ही कर लें तो हमारी समस्या हल हो जायगी । कृषि का विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में अनुसंधान करेगा यही हमारा कदम है । तो इस ओर जो उन्होंने संकेत किया है उसके लिये भी वे धन्यवाद के पात्र हैं।

सिंचाई के लिये जो छोटी-बड़ी योजनायें चलाने की योजना है जिसके लिये दो करोड़ रुपया है इसकी भी उन्होंने जो चर्चा की है उससे हमारे कृषकों और ग्राम समाज का कल्याण होगा। इसके लिये भी मैं उनको बधाई दे रहा हूं ।

माननीय राज्यपाल ने स्टेट ट्रेडिंग की तरफ भी संकेत किया है यानी कृषि उत्पादन के साथ साथ किसान को उसका ठीक-ठीक मूल्य भी मिले । इस ओर राज्य सरकार प्रयास करेगी कि किस तरह से कृषक जो उत्पादन करता है उसको उसका ठीक मूल्य मिले और क्रय-विक्रय में समानता रहे । राज्य सरकार ने चीनी के व्यापार के बारे में कदम उठाया है कि १८ नगरों में ठीक से मिल सके। उन्होंने इस ओर भी संकेत किया है कि सहकारिता के आधार पर, सहकारी समितियां बनाकर व्यापार चलाया जाय यह भी समाजवादी समाज की ओर संकेत करता है। दुबे जी ने जो अपने संशोधन में कहा है कि हमारी सहकारी समितियों की नीति सफल नहीं हो सकी तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी व्यवस्था के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकेगी। व्यक्ति को महत्व नहीं देना चाहते हैं तो राष्ट्र ऐसी वस्तु तो नहीं है जो हवा में उड़ती हो। व्यक्ति से समाज बनता है और सामाजीकरण कोआपरेटिव से होता है। मैं दुबे जी की टिप्पणी समझ नहीं पाया। उन्होंने कोई आल्टरनेटिव स्कीम भी नहीं बताई। मनुष्य भूल कर सकता है लेकिन प्रदेश का कल्याण करने के लिये सहकारी कानून बनाने का प्रयास है। किसानों को साधन देने के लिये आवश्यक है कि कई ग्रामों को मिला कर सेवा सहकारी समितियां बनाई जावें। इसके लिये भी महामहिम राज्यपाल धन्यवाद के पात्र हैं ।

लैन्ड मार्टगेज बैन्क के बारे में चर्चा भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है । जिसके पास जमीन तोड़ने के लिये साधन नहीं हैं उसका भी सरकार ने प्रबन्ध किया है क्योंकि हमको उत्पादन बढ़ाना है ।

मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पूर्वी जिलों में चीनी की मिलें ज्यादा हैं। देवरिया जिले में साढ़े चार ४·५० करोड़ मन गन्ना पेरा गया है। उससे बहुत काफी चीनी बनी है। यह कहने से कि चीनी की पैदावार आगे के लिये बन्द कर दी जाय, इससे कठिनाई होगी । हमारे यहां पहले से मिलें चलीं और १० परसेंट रिकवरी हुई । साढ़े नौ परसेंट से बढ़कर १० या साढ़े दस परसेंट रिकवरी का ध्यान रखकर किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाय ।

राज्यपाल महोदय ने प्रजातंत्र का जिक्र करके बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है । बार-बार सदन में अवहेलना के प्रश्न उठते हैं । साथ ही हमें विचारना होगा कि अदालतों में कई बार के सजा पाये हुये लोगों को फांसी की सजा होती है तो हमारे यहां अगर कोई बार-बार नियमों की अवहेलना करता रहे तब क्या होना चाहिये । क्या हम उसे ऐसे ही बैठे मुंह बाये हुये देखते रहेंगे ? हमारे विधान सभा के नियम ढीले हैं या इतने परिपक्व नहीं हैं कि बार-बार अवहेलना करने वाले को कड़ा दन्ड हो सके । हम सभी को प्रजातन्त्र को पनपाना है और उसे सफल बनाना हम सब का कर्त्तव्य है चाहे कोई किधर भी बैठनेवाला क्यों न हो । यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे प्रजातन्त्र खतरे में पड़ेगा । वैसे आशा तो मैं यह करता हूं कि भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य ऐसा अवसर पैदा नहीं करने की चेष्टा करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन का स्वागत करता हूं और जगदीश शरण जी अग्रवाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामायणराय---श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन में जो चर्चा हुई और उसका जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा सब से पहले मैं उस प्रभाव के सम्बन्ध में एक या दो शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं तो यह आशा करता था कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में, जहां की खाद्य समस्या विषम है, जिसको इस सदन का हर एक सदस्य मानता है, कोई रचनात्मक सुझाव होगा लेकिन उसके बजाय उल्टा मैंने यह देखा कि जब माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहा और यह कहना चाहा कि वहां की जनता का जीवन अन्नाभाव से संकट में है, खाद्य मन्त्री महोदय ने बड़े रोष के शब्दों में जोर डाल कर यह कहा कि जो कुछ इन्तजाम वहां किया गया था वह बहुत सही था। वे मेरी बात न मानें क्योंकि उन के कहने के अनुसार मैं विरोधी दल का सदस्य हूं, वे अपनी पार्टी के सदस्यों से ही पूछ लें कि आप के इन्तजाम का नतीजा वहां पर क्या हो रहा है। वे अन्तरिम जिला परिषद् के प्रस्ताव को ही देख लें, जो देवरिया जिले के विषम खाद्य परिस्थिति के ऊपर वहां पास किया गया था। उसके बारे में मन्त्री जी ने कहा कि उन की जानकारी में वह चीज नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि एक राज्य को चलाने वाले एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए उन को अन्तरिम जिला परिषद् के उस फैसले का ज्ञान नहीं है जो उस ने यूनेनिमसली पास किया था। उसको उन्हें जानना चाहिए था। जिस खाद्य सलाहकार समिति के बारे में आप ने कहा है कि उसकी सिफारिश को आप मानते हैं, जिस खाद्य समिति में केवल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ही सदस्य नहीं हैं, बल्कि आप की पार्टी के भी सदस्य हैं, उस समिति के हर एक सदस्य ने कहा है कि सरकार का जो आदेश है वह हमारे यहां की जनता को चक्की में पीस रहा है। आप सोते रहते हैं और वस्तुस्थिति पर पर्दा डालने में अपने को पक्का चतुर समझते हैं।

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि केरल की घटनाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या वह शिक्षा इसी प्रकार से सच्चाई पर पर्दा डाल कर लेंगे? आपने जो सीमा पर प्रतिबन्ध लगाया है जरा सोच कर देखें कि क्या सचमुच ही उससे आपने देशभक्ति का कार्य किया है। जरा आप देवरिया तशरीफ ले चलिये। आज वहां क्या हो रहा है। अगर कोई एक गरीब आदमी किसी के घर से एक गठरी अनाज लेकर जाता है तो पुलिस वाले उस से कहते हैं "कि तुम बाजार से खरीद कर लाये हो"। हमारे जिले में मजदूरी भी गल्ले की शक्ल में ही मिलती है लेकिन वहां यह हो रहा है। लोगों को इससे परेशानी है। अगर आप को प्रतिबन्ध लगाना ही था तो इसके साथ ही यह जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए थी कि इस पांच मील के भू भाग में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अन्न के बिना भूखों मरने लगे। वहां जनता की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी चाहिए थी। लेकिन वह आप ने आज तक नहीं किया। उल्टा आप ने किया क्या? पिछले वर्ष वहां २७० दूकानें थीं और अभी हाल में आपने आदेश भेज कर १४९ कर दिया।

पिछले साल मैंने शिकायत की थी कि आपके अधिकारी जब दूकानों का बटवारा होता ह तो उस में भी पार्टीबाजी का ध्यान रखते हैं। उस शिकायत का परिणाम यह हुआ कि जो प्रत्येक दो न्याय पंचायत पर एक-एक गल्ला की दूकानें चलती थीं उन को भी खत्म कर दिया गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस ने मई में दूकानों को खत्म करने का आदेश क्यों दिया। आप ने फरमाया कि अन्न की आमदनी बढ़ गयी थी। मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं आप मेरे जिले में चल कर, अगर आप में हिम्मत हो तो देखिये, और वहां चल कर कहिये कि गेहूं कि फसल पिछले साल के मुकाबले में इस साल अच्छी हुई है और यह कि देवरिया में पहले से कम भाव पर गेहूं इस साल मिल रहा है।

आप फरमा रहे हैं कि चीनी महंगी नहीं मिल रही है। मुझे याद है कि जब हम लोग गन्ना काश्तकारों की वकालत के लिए कह रहे थे कि आप ने इन मिल मालिकों को इस तरह से छूट दे रखी है कि गन्ना काश्तकारों को मूल्य देते वक्त ये कहेंगे कि भाई उपभोक्ता को चीनी महंगी मिलेगी। हम ने कहा था कि एक तरफ तो गन्ना काश्तकारों का गन्ना कम पैसे में खरीद

लिया जायगा और दूसरी तरफ उपभोक्ता को चीनी महंगी भी पड़ेगी। क्या हमारी यह बात सही नहीं निकली ? मैं जानना चाहता हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी है, रामायणराय की या खाद्य मन्त्री की ? अशोक मेहता कमेटी ने कहा था कि पूर्वी जिलों की विशेष परिस्थिति है। जहां सारे देश की जनसंख्या का औसत २५० व्यक्ति प्रति वर्गमील है वहां पूर्वी जिलों में १,००० जनसंख्या प्रतिवर्गमील में बसती है। क्या इस आधार पर आप ने वहां गल्ले की दूकानों का वितरण किया है ? केवल जनसंख्या ही आपका आधार है तो हमेशा आप की वही हालत होगी जो उस मुंशी जी की हुई कि "लेखा जोखा थाहे लड़िका मरले काहे"। तो औसत आप सब कागज पर दुरुस्त कर देंगे लेकिन मौके पर जो लोग रहते हैं उन को पता चलता है कि वहां के लोगों पर क्या बीतती है।

हमारे यहां देर से वर्षा हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे यहां अर्ली पैडी नहीं बोयी जा सकी। श्रीमन्, हमारे यहां खरीफ में लेट पैडी और अर्ली पैडी दो तरह की फसल होती है। अगर अर्ली पैडी के रिप्लान्टेशन में कोई गांठ रोपने के पूर्व उस के बीज में आ जाय तो वह ठीक से उत्पादन नहीं दे सकता है। तो देर से पानी बरसने की वजह से वह फसल नहीं बोयी जा सकी। गनीमत यह रही कि कहीं-कहीं आम की फसल हो गयी थी जिस से कुछ लोगों का सहारा हो गया। कुछ लोगों को सहारा कटहल हो गया। आज देवरिया में स्वयं जाकर श्री रफी अहमद किदवाई की तरह से आंखें खोल कर देखिये कि वहां क्या हो रहा है। आप केवल कागज मंगा कर ही वहां से देख लेंगे और उसी पर सन्तोष कर लेंगे। जिलाधीश तो सरकारी नौकर है, वह तो अपनी वैसी ही रिपोर्ट देगा जैसी कि उसे भेजनी चाहिए। मैं अपनी बात क्या कहूं, व्यक्तिगत बातों की चर्चा के लिए सदन को समय नहीं है, मैं तो जिले के २२ लाख इन्सानों की तरफ से बड़े विनम्र शब्दों में आप से अपील करता हूं कि आप वहां की वस्तु-स्थिति को देखते हुए तत्काल कोई आवश्यक कदम उठावें। यही कारण था कि मैंने सुबह विवादों के समय मन्त्री जी को कुछ प्रकाश डालने के लिए कहा था। किन्तु श्रीमान् ने कहा कि दो एक स्पीच हो जाय उस को सुन कर ही मन्त्री जी बोलें तो अच्छा हो। मन्त्री जी ने कहा था कि आज मैंने फिर एक नया आदेश जारी कर दिया है कि पारसाल जितनी दूकानें थीं उतनी खोल दी जायं, तो क्या माननीय मन्त्री जी ने इसे भी ध्यान में रखा है कि पारसाल सीमा पर इस तरह का कोई आदेश प्रतिबन्ध का नहीं था, तो क्या वे इस तरह का आदेश देंगे कि कारिडार पर जो प्रतिबन्ध लगा है उसे हटा दिया जाय, पारसाल जो दूकानों की संख्या थी उससे अधिक संख्या में दुकानें खुलवायें, या टोटल राशनिंग का ही आर्डर उस एरिया में दे दें। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप को जानना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे एक्सपर्ट को जानना चाहिए कि अर्ली पैडी क्यों नहीं पैदा हुई।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें। आपके ५ मिनट बाकी हैं, अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२८ जुलाई, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४ पर)

१९५९–६० वर्ष के बेसिक रीडरों के प्रकाशकों/मुद्रकों की सची

प्रवेशिका

१––मेसर्स यू० पी० प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद।
२––मेसर्स सूरज प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ।
३––मेसर्स स्टार प्रेस, कानपुर ।
४––मेसर्स सरस्वती प्रकाशन, मथुरा ।
५––मेसर्स बाल शिक्षा मंदिर, लखनऊ।
६––मेसर्स इंडियन प्रेस, इलाहाबाद ।
७––मेसर्स बृजबासी फाइन आर्ट आफसेट वर्क्स, मथुरा।
८––मेसर्स हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी।
९––मेसर्स जी० डब्लू० लारी, लखनऊ।
१०––मेसर्स आगरा युनिवर्सिटी प्रेस, आगरा।
११––मेसर्स जाब प्रेस, कानपुर ।
१२––मेसर्स रस्तोगी ऐन्ड कं०, मेरठ।
१३––मेसर्स कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद।

बेसिक रीडर १

१––मेसर्स आर्यावर्त प्रकाशन, लखनऊ।
२––मेसर्स गंगा साहित्य सदन, लखनऊ।
३––मेसर्स अग्रवाल प्रेस, मथुरा।
४––मेसर्स सूर्य प्रकाशन भवन, लखनऊ।
५––मेसर्स आर्ट प्रिंटर्स, इलाहाबाद।
६––मेसर्स जाब प्रिंटर्स, इलाहाबाद।
७––मेसर्स साहित्य कुटीर, लखनऊ।
८––मेसर्स गोपाल प्रिंटिंग प्रेस तथा दीपक प्रेस, वाराणसी।
९––मेसर्स आरोग्य निकेतन प्रकाशन, मेरठ।
१०––मेसर्स साहित्य मुद्रण, चिरगांव, झांसी।
११––मेसर्स प्रगति प्रेस, इलाहाबाद।
१२––मेसर्स सुलेखा बुक डिपो, अलीगढ़ ।

बेसिक रीडर २

१––मेसर्स हिन्दुस्तानी आर्ट काटेज, लखनऊ।
२––मेसर्स मैक्सवेल ऐन्ड कं०, लखनऊ।
३––मेसर्स हिन्दी विश्व भारती, लखनऊ।
४––मेसर्स प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ।
५––मेसर्स हीरा लाल प्रिंटिंग वर्क्स, मथुरा।
६––मेसर्स खन्डेलवाल प्रेस, वाराणसी।
७––मेसर्स अग्रवाल प्रेस, इलाहाबाद।
८––मेसर्स साहित्य मन्दिर प्रेस, लखनऊ।
९––मेसर्स वैनगार्ड प्रेस, इलाहाबाद।
१०––मेसर्स यूनाइटेड ब्लाक प्रिंटर्स, लखनऊ।
११––मेसर्स पुष्पराज प्रिंटिंग वर्क्स, मथुरा।
१२––मेसर्स रामनारायन लाल, इलाहाबाद।
१३––मेसर्स कपूर पब्लिशिंग प्रेस, कानपुर।

बेसिक रीडर ३

१––मेसर्स केदारनाथ रामनाथ, मेरठ।
२––मेसर्स अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ।
३––मेसर्स युनिवर्सल पब्लिशर्स, लखनऊ।
४––जे० पी० फाइन आर्ट प्रेस, कानपुर।
५––पोथीशाला प्रेस, इलाहाबाद।
६––मेसर्स हिन्द आर्ट काटेज, वाराणसी।
७––मेसर्स नवभारत प्रेस, लखनऊ।
८––मेसर्स सर्वोदय साहित्य प्रकाशन, वाराणसी।
९––मेसर्स वंशीधर प्रेस, इलाहाबाद।

बेसिक रीडर ४

१——मेसर्स इन्द्र प्रिंटिंग वर्क्स, अल्मोड़ा।
२——मेसर्स कोशाम्बी प्रकाशन, इलाहाबाद।
३——मेसर्स राजा प्रिंटिंग प्रेस, वाराणसी।
४——मेसर्स ईस्टर्न बुक कं०, लखनऊ।
५——मेसर्स राजकमल कला प्रकाशन, वाराणसी।
६——मेसर्स गोबर्द्धन पुस्तकालय, मथुरा।
७——मेसर्स किशोर पब्लिशिंग हाउस, कानपुर।
८——मेसर्स वेलबेडियर प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद।
९——मेसर्स सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
१०——मेसर्स संसार प्रेस, वाराणसी।
११——मेसर्स लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
१२——मेसर्स मास्टर निहाल चन्द्र ऐन्ड सन्स, अलीगढ़।
१३——मेसर्स सेन्ट्रल प्रेस, लखनऊ।
१४——मेसर्स राम प्रसाद ऐन्ड सन्स, आगरा।
१५——मेसर्स राकेश प्रकाशन, मुरादाबाद।
१६——मेसर्स प्रेम बुक डिपो, सहारनपुर।
१७——मेसर्स राज हंस प्रकाशन मंदिर, मेरठ।
१८——मेसर्स सरल प्रकाशन गृह, हरदोई।
१९——मेसर्स सहयोगी प्रकाशन, लखनऊ।
२०——मेसर्स दीदी कार्यालय, इलाहाबाद।
२१——मेसर्स सिटी प्रेस, कानपुर।

बेसिक रीडर ५

१——मेसर्स नन्द किशोर ब्रदर्स, वाराणसी।
२——मेसर्स कल्याण प्रेस, जौनपुर।
३——मेसर्स प्रीतम प्रकाशन मंदिर, आगरा।
४——मेसर्स दीप प्रकाशन गृह, इलाहाबाद।
५——मेसर्स नवयुग पुस्तक भंडार, लखनऊ।
६——मेसर्स पुस्तक कुटीर, वाराणसी।
७——मेसर्स जयतोष प्रकाशन, लखनऊ।
८——मेसर्स ओंकार प्रेस, इलाहाबाद।
९——मेसर्स श्री विष्णु आर्ट प्रेस, इलाहाबाद।
१०——मेसर्स विश्वविद्यालय प्रेस, गोरखपुर।
११——मेसर्स साहित्य भवन, इलाहाबाद।
१२——मेसर्स एम० गुलाब सिंह एन्ड सन्स, इलाहाबाद।
१३——मेसर्स बम्बई भूषण प्रेस, मथुरा।
१४——मेसर्स जी० आर० भार्गव, चन्दौसी।
१५——मेसर्स ज्ञान लोक, इलाहाबाद।
१६——मेसर्स इलाहाबाद ओरियन्टल प्रेस, लखनऊ।
१७——मेसर्स गोबर्द्धन दास धर्मदास, सहारनपुर।
१८——मेसर्स युगल किशोर ऐन्ड कं०, देहरादून।
१९——मेसर्स पवन प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ।
२०——मेसर्स रमेश बुक डिपो, कानपुर।
२१——मेसर्स कृष्णा प्रेस, अलीगढ़।

उर्दू बेसिक रीडर १

१——रज्जाकी प्रेस, कानपुर।

उर्दू बेसिक रीडर २

२——तेज कुमार प्रेस, लखनऊ।

उर्दू बेसिक रीडर ३

३——मेसर्स नामी प्रेस, लखनऊ।

उर्दू बेसिक रीडर ४

४——मेसर्स अहबाब पब्लिशर्स, लखनऊ।

उर्दू बेसिक रीडर ५

५——मेसर्स कामताप्रसाद अग्रवाल, इलाहाबाद।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पष्ठ ८५ पर)

PATRA SOOCHNA SHAKHA
SOOCHNA VIBHAG, UTTAR PRADESH

Press Note

Dated Camp Naini Tal, May 27, 1959.

Towards the end of the last Assembly session it was announced in the Legislative Assembly that the elections to the Corporations to be set up in the KAVAL towns would be held on July 4. The announcement appeared to give general satisfaction ; in fact, there were people who seemed to feel that the elections should have been held earlier. The Government would have been glad to accommodate such sectors of public opinion, if administrative difficulties had not stood in the way.

The kind of weather U. P. generally has in early July is a matter of common knowledge. The kind of difficulty which would be imposed by weather conditions could easily have been anticipated. Government was aware of this but came to the decision to hold the elections in July in deference to what appeared to be a universal demand. The fact that no objection was raised at the time of, or immediately following, the announcement confirmed it in this idea.

Soon after, however, Government began to receive representations from various quarters requesting postponement till after the rains. Such requests came not only from individuals but from public bodies like City Congress Committees, and branches of the Jan Sangh and Communist Parties. Statements, supporting such requests, appeared in the Press over the signatures of responsible public men. Sri Triloki Singh who is not only the leader of the Opposition in the Legislative Assembly but Secretary of the All-India Praja Socialist Party has written a letter to the Chief Minister on the 15th instant from which the following sentences are quoted below :

> "I do not know if you have seen my letter to the Editor published in the *Herald*. I have no doubt in my mind that this is the most inappropriate time to hold elections and the haphazard way in which things are being pushed through woud not be in public interest. Even the list of polling stations has not been finalized."
>
> "I hope you would find good reasons to reconsider the Government decision regarding the date of elections."

All this has placed the Government in a very embarrassing position. Administrative arrangements have reached a fairly advanced stage and necessary expenditure has already been incurred. Some individuals and political parties have already begun to make preparations for the contest. But there seems to be no doubt, judging from expressions of public opinion in the Press and on the platform, that there is a general desire for postponement. It is not possible for Government to ignore the opinions voiced by the important political parties. Weight must, particularly, be attached to the suggestion made by Sri Triloki Singh.

In these circumstances, reluctantly though, the Government feels that there is no alternative to postponing the elections for the present. This will mean upsetting pre-arranged schedules of work and, to some extent, a repetition, at a later stage, of work already done. But there is no help for this.

It is expected that it will be possible now to have the elections on some date, to be announced later, in October or early November. Further, it is hoped that the circumstances in which the Government has had to take this decision will be realized and the decision appreciated by the public.

सत्यमेव जयते

पी०एस०यू०पी० —ए०पी०— ९८ एल ए०—१९५९—८४५।